लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-1-84
Parliament Library

चतुर्थ माला
Fourth Series

4th Lok Sabha

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)
Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]
[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)
(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

2663

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 18 गुरुवार, 15 जून, 1967/25 ज्येष्ठ 1889 (शक)

No. 18 Thrusday, June 15, 1967/Jyaistha 25, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
511. अमरीका द्वारा खाद्यान्न की सहायता	Food Aid by USA	2243–2247
512. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad ..	2247–2249
513. बैल्ल मिशन की रिपोर्ट	Bell Mission Report	2249–2255
514. तेल कम्पनियों द्वारा छंटनी	Retrenchment by Oil Companies	2255–2258
515. भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण	Demonstration of Currency	2258–2259
अल्प सूचना प्रश्न/S. N. Q.		
13. भ्रमत रेस्तरां (रिवाल्विंग रैस्टोरैंट)	Revolving Restaurant	2259–2265

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
516. विदेशी ऋण	Foreign Loans	2265
518. देसी चिकित्साप्रणाली	Indigenous Systems of Medicines	2265–2266
519. योजनाएं बनाने के लिए भेजे गये आंकड़े	Data Supplied for Formulation of Plans ...	2266
520. बैंकों द्वारा छोटी राशि वाले नोटों को लेने से इन्कार करना	Non-acceptance of small size currency notes by Banks	2266–2267
521. रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक द्वारा स्वतंत्र रूप से काम करना	Functioning of Reserve Bank and State Bank on Independent Basis	2267

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर जारी/WRITTEN ANSWES TO QUESTIONS-Contd

522.	अशोधित तेल का उत्पादन तथा शोधन	Production and Refinery of Crude Oil	2267-2268
523.	कोसी परियोजना	Kosi Project	2268-2268
524.	मध्य प्रदेश की अर्थोपाय की स्थिति	Ways and Means Position of Madhya Pradesh	2269
525.	उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilizers ..	2269-2270
526.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि. अल्वाय को हुआ घाटा	Loss suffered by F. A. C. T., Alwaye ..	2270
527.	राज्यों में बिजली की दर	Electricity Rates in States	2270-2272
528.	शीरे की कमी	Shortage of Molasses	2272
529.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by O.N.G.C. Employees ..	2272-2273
530.	अप्रयुक्त विदेशी सहायता	Unutilized Foreign Aid ..	2273
531.	तेल का आयात	Import of Oil	2274
532.	भूमि सुधार कार्यान्वियन समिति	Land Reforms Implementation Committee...	2274
533.	स्कूल जाने से पहले की आयु वाले बच्चों का कुपोषण	Malnutrition among Pre-School Children ...	2274-2275
534.	दिल्ली में बाढ नियंत्रण	Flood Control in Delhi ..	2275-2277
535.	आन्ध्र प्रदेश में पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water in Andhra Pradesh	2277-2278
536.	मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices ...	2278
537.	राजस्थान में बिजली की स्थिति	Power Position in Rajasthan ..	2278-2279
538.	भाखड़ा बांध में विद्युत जनित्र (जनेरेटर)	Power Generator at Bhakra Dam...	2279-2280
539.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पर्यवेक्षक कर्मचारी (सुपरवाइजरी स्टाफ)	State Bank of India Supervisory Staff	2280

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

540	योजनाओं में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य	Targets of Public and Private Sectors in Plans	2280–2281

अता. प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.

2484	गावों तथा नगरों के लिये पेय जल संभरण योजनायें	Rural and Urban Drinking Water Schemes ...	2281–2282
2485	अधूरी सिंचाई योजनाएं	Pending Irrigation Schemes ..	2282–2283
2486	1967-68 के लिये राज्यों की योजनाएं	States Plan for 1967-68	2283–2284
2487	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग	Central Water and Power Commission	2284
2488	बिहार में गंडक नहर	Gandak Canal in Bihar ..	2234
2489	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सैक्शन आफीसरों (ओवरसियरों) का स्थायीकरण	Confirmation of Section Officers in C. P. W. D. ... –	2285
2490	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अस्पताल	Hospitals in Andaman and Nicobar Islands	2285
2491	सुनारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना	Rehabilitation of Goldsmiths ...	2285–2286
2492	सिक्कों की ढलाई	Minting of Coins	2286
2493	मध्य प्रदेश में अनुसंधान योजनायें	Research Scheme in Madhy Pradesh ...	2286–2287
2494	"लूप में लूप" परिवार नियोजन का नया उपकरण	New 'Loop in the Loop' Family Planning Device ...	2287–2288
2495	भारत में अमरीकी प्रतिष्ठान	US Fiundation in India	2288
2496	समवायों द्वारा बोनस शेयर जारी किया जाना	Issue of Bonus Shares by Companies ...	2288
2497	मध्य प्रदेश के लिए नैपथा	Naphtha to Madhya Pradesh ...	2288–2289
2498	बाजार अनुसंधान के लिए योजना निदेशालय	Directorate of Planning for Market Research ...	2289

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2499	राष्ट्रीय रक्षा कोष	Nrational Defence Fund	2289-2290
2500	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery ..	2290
2501	एडवांस इन्सोरेन्स कम्पनी	Advance Insurance Company	2290
2502	मैसर्स एम. डब्ल्यू. के. इण्टरनेशनल लिमिटेड इंक, कलकत्ता	M/S MWK International Ltd. Inc. Calcutta	2290-91
2503	ट्राम्बे स्थित उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer plant ..	2291-2292
2504	दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic Dispensaries under CHS in Delhi ..	2292
2505	लक्ष्मी कमर्शल बैंक	Laxmi Commercial Bank ..	2292-2293
2506	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling	2293
2507	पर्यटकों द्वारा पी. एल. 480 की निधियों का प्रयोग किया जाना	Utilization of PL 480 Funds by Tourists ...	2293-2294
2508	समाज कल्याण परियोजना	Social Welfare Projects	2294
2509	दीर्घकालीन 'अवधि बीमा (लांग टर्म एशोरेन्स)	Long Term 'Term Assurance'	2294
2510	राजस्थान के पिछड़े जिले	Backward Districts of Rajasthan	2295
2511	आयकर क्लर्कों को प्रशिक्षण	Training of Income Tax Clerks	2295
2512	शांति के लिए जल कार्यक्रम सम्मेलन	Conference on 'Water for Peace" Programme ..	2295-2296
2513	आयकर देने वाले लोगों द्वारा अपीलें	Appeal by Income Tax Assessees ...	2296-2297
2514	"क्राइसिस आफ इंडिया" नामक पुस्तक का आयात	Import of Book 'Crisis of India' ..	2497-2298

प्रता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
		प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
2515	लोक ऋण का परिशोधन	Amortisation of Public Borrowing ..	2298
2516	एक रुपये तथा दस रुपये के नोट	One Rupee and Ten Rupee Currency notes ...	2298–2299
2517	जबलपुर में पकड़ा गया तस्करी का सामान	Smuggled Goods seized in Jabalpur ..	2299
2518	लूप फैक्टरी कानपुर	Loop Factory, Kanpur	2299–2300
2519	पंजाब और महाराष्ट्र में विदेशी मुद्रा का तस्कर व्यापार	Smuggling of Foreign Exchange in Punjab and Maharashtra	2300
2520	दिल्ली की बादली औद्योगिक बस्ती में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था	Street Light in Badli Industrial Estate. Delhi ...	2300–2301
2521	काल्टैक्स कार्यालय, बम्बई के लिये बिजली से चलने वाले संगणक	Electronic Computer for Caltex Office, Bombay	2301
2523	सरकारी उपक्रम का कार्यवहन	Working of Public Undertakings	2301–2302
2524	उड़ीसा में बड़ी सिंचाई परियोजना सम्बन्धी योजना	Major Irrigation Projects Plan for Orissa	2302
2525	तीसरी योजना में उड़ीसा में मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans Advanced by L. I. C. for Housing in Orissa in Third Plan	2303
2526	वित्त आयोग को सामग्री उपलब्ध कराने के लिये अनुसन्धान संगठन	Research Organisation to Provide Meterial for Finance Commission	2303
2527	उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई वितीय सहायता	Financial Assistance sought by U. P. ..	2303-2304
2528	भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभागों में शिकायत प्रभाग	Complaints Division in the Marketing Division of I. O. C.	2304

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2529	मंत्रालयों द्वारा बचत	Savings by Ministries	2304-2305
2530	भारत और चीन के लोगों के तुलनात्मक जीवन स्तर	Comparative living standards of people in India and China	2305
2531	उत्तर प्रदेश में 'लूप' तथा 'बन्ध्यकरण' की सफलता	Success of 'Loop' and 'Sterlization' in U.P...	2305
2532	राजस्थान में स्नातकोत्तर स्कूल	Post Graduate School in Rajasthan ..	2306
2533	क्षेत्रीय विकास योजना, दिल्ली	Zonal Development Plan, Delhi	2306-2307
2534	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली	Hindustan Insecticides Ltd.. Delhi ..	2307
2535	नेफा, नागालैंड मनीपुर और त्रिपुरा का प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण	Techno Economic Survey of NEFA Nagaland, Manipur and Tripura	2307-2308
2536	केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं	Rural Industrial projects in Kerala	2308
2537	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियाँ	Searches made Enforcement Directorate ...	2308
2538	बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay	2308-2309
2539	दिल्ली की वृहद योजना	Master Plan of Delhi ...	2309-2310
2540	जीवन बीमा निगम में काम करने की हालत	Working Conditions of L. I. C.	2310
2541	सरजू परियोजना	Sarju Project	2310-2311
2542	भारत का स्टेट बैंक	State Bank of India	2311
2543	कलकत्ता में पटसन के सौदों में गड़बड़ी	Racket in Jute Transactions in Calcutta ...	2311-2312
2544	प्लाना कोयला खान में लिग्नाइट का उपयोग	Utilization of Lignits in Plana Colliery ...	2312
2545	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd.	2312

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2546	कोचीन का दर्जा ऊंचा करना	Upgradation of Cochin	2312-2313
2547	समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद्	Social Science Research Council	2313
2548	उड़ीसा को दी गई सहायता	Assistance given to Orissa	2313-2314
2549	उड़ीसा में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	Medical Education and Tranning in Orissa ...	2314
2550	प्रतिनियुक्ति पर विदेशों में भेजे गये उड़ीसा के महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी	Employees of Accountant General Office, Orissa sent abroad on deputation ...	2314-2315
2551	मैसूर राज्य में हरिजन	Harijan in Mysore State	2315
2553	उड़ीसा में निम्न आय वर्ग आवास योजना	Low income housing scheme in Orissa	2315
2554	उर्वरक आदि के आयात के लिये अमरीका के साथ करार	Agreement with USA for Import of Fertilizers, etc. ...	2315-2316
2555	रूमानिया के सहयोग से औषध निर्माण कारखाना	Drug Factory in Collaboration of Rumania ...	2316
2556	केरल में सिंचाई के लिए अतिरिक्त धन	Additional Funds for Irrigation in Kerala	2316
2557	अखिल भारतीय विद्युत सलाहकार परिषद्	All India Electricity Consultation Council	2317
2558	बकाया करों की राशि का जमा हो जाना	Accumulation of Taxes	2317
2559	भूतपूर्व संसद् सदस्यों के कब्जे में सरकारी फ्लैट	Flats in Possession of Ex-MPs. ...	2317
2560	लूप पहनने से रोगग्रस्त महिलाओं को सहायता	Compensation to women for suffering after effects of loop ...	2318
2561	समाज कल्याण केन्द्र	Social Welfare Centres	2318

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2562	केरल में ताप बिजली घर	Thermal Power Plant in Kerala ... —	2318-2319
2563	होजों का समाहार	Procurement of Hoses	2319-2320
2564	मध्य प्रदेश के उद्योगों से सामान का समाहार	Procurement of Stores from Industries ...	2320
2565	गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification	2320-2321
2566	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली की लाइनों में क्षति	Line Losses of Electricity in Public and Private Sectors	2321-2322
2567	सामान्य बीमा समवाय	General Insurance Companies	2322
2568	उत्तर प्रदेश में प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in U. P.	2322
2569	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes in U. P. ...	2322-2323
2570	भूतपूर्व जरायम पेशा जातियां	Former Criminal Tribes	2323
2571	मद्रास क्षेत्र में आयकर अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of I. T. Os. in Madras Region ..	2323-2324
2574	बम्बई में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant, Bombay ..	2324
2575	नेशनल टेस्ट हाउस, कलकत्ता	National Test House, Calcutta ..	2324-2325
2576	मध्य प्रदेश मे नागरौनी बांध	Nagarauni Dam in Madhya Pradesh	2325
2577	चम्बल जल विद्युत परियोजना	Chambal Hydel Scheme	2325-2326
2578	भारतीय तेल निगम के तेल को सहकारी समितियों के माध्यम से बेचना	Marketing of I. O. C. Oil through Cooperative Societies	2326
2579	सरकारी उपक्रमों का कार्य संचालन	Working of Public undertakings ..	2326-2327

2580 मध्य प्रदेश में ग्रिड व्यवस्था	Grid Net work in Madhya Pradesh	2327
2581 उड़ीसा में गृह निर्माण कार्यक्रम	Housing programme for Orissa ..	2327–2328
2582 लाकवा में तेल खोज कार्य	Oil Exploration work at Lakwa	2328
2583 पटना नगर का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Patna – –	2328–2329
2584 उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of S. C. and S. T. in U. P. ..	2329–2330
2585 गाजीपुर के अफीम कारखाने के कर्मचारियों को उत्पादन बोनस	Production Bonus to Workers of Opium Factory, Ghazipur	2330
2586 अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को आयकर की राहत	Income Tax relief to Persons with Large Number of Children	2330
2587 पटना शहर का दर्जा बढाना	Upgradation of Patna	2330–2331
2588 यमुना पर बांध	Bunds on Jamuna	2331
2589 कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्विमिंग पूल	Swimming Pool in Connaught place, New Delhi	2332
2590 ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertiliser Factory	2332–2333
2591 नियन्त्रक तथा महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Comptroller, Auditor General's Office Employees	2333
2592 चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों के लिये पंखे	Fans for Class IV Employees	2333-2334
2593 विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारी	Officers of CAG's of Office on Deputation to Foreign Countries	2334

2594 राजधानी में सरकारी बंगलों के आउट हाउसों का दुरुपयोग	Misuse of out houses of Government Bungalows in the Capital	2334–2335
2595 कर्मचारियों के वेतन	Pay drawn by employees	2335
2596 बम्बई में बरामद किये गये करेंसी नोट	Currency notes recovered in Bombay	2335
2597 अपवंचित आयकर की राशि वसूल करने में जनता का सहयोग	Public Cooperation for recovering evaded Income Tax	2335–2336
2598 मैसूर में सिंचाई और विद्युत योजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Irrigation and Power Schemes in Mysore	2336
2599 मैसूर में उपरि कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project in Mysore...	2336–2337
2600 भारत में अमरीकी पूंजी	American Capital in India ..	2337
2601 इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक	Indin Security Press, Nasik	2337–2338
2602 पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुरू किये गये काम	Works undertaken in U. P. by Ptale Commission	2338
2603 कलकत्ता उच्च न्यायालय में आयकर सम्बन्धी अपीलें	Income Tax appeals in Calcutta Highcourt..	2338–2339
2604 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	Income Tax Appeliate Tribunal ..	2339
2605 आवास परियोजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण	Loan from L.I.C. for Housing	2339–2340
2606 बीड़ी उद्योग	Bidi Industry	2340
2607 लोगों के स्वास्थ्य पर मीलो का प्रभाव	Effect of Milo on the Health of People	2340

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

2608	बन्ध्यीकरण	Vasectomy ...	2340-2341
2609	परिवार नियोजन	Family Planning	2341
2610	मोती नगर, नई दिल्ली में जल सम्भरण	Water Supply in Moti Nagar, New Delhi ...	2341-2342
2611	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की छुट्टीयां	Holidays to Central Excise staff	2342-2343
2612	इद्दिक्की जल विद्युत परियोजना	Idikki Hydro Electric Project ..	2343
2613	नई दिल्ली में लोधी कालोनी में चमरियों का अलाटमेंट	Allotment of Chummeries in Lodi Colnny, New Delhi	2343-2344
2614	चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिये धन का नियतन	Allocations for Andhra Pradesh in Fourth Plan	2344
2615	केरल में पादक-रसायन कारखाना फाइटो (केमिकल्स फैक्टरी)	Phyto Chemicals in Kerala	2344
2616	कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि	Accummulation of Employees' Provident Fund	2345
2617	शकूर बस्ती, दिल्ला में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का औषधालय	C. H. S. Dispensary for Shakur Basti, Delhi..	2345
2618	राजघाट समाधि, नई दिल्ली के कर्मचारी	Employees of Raj Ghat Samadhi, New Delhi	2345-2346
2619	मिट्टी के तेल का तस्कर व्यापार	Smuggling of Kerosene Oil	2346
2620	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये क्रयादेश	Orders with Public Sectors	2346-2347
2621	भाखड़ा-नांगल परियोजना के कर्मचारी	Workers at Bhakra-Nagal Project	2347
2622	गर्भ निरोधक खाने की गोली का बनाया जाना	Manufacture of Oral Contraceptive Pill ..	2348

S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2624	लूप तथा गर्भ निरोधक गोलियों के प्रयोग से खराबी	After effects of the use of Loop and birth control pills	2348
2625	योजना आयोग के कर्मचारी	Employees in Planing Commission..	2349
2626	जवहारलाल स्नातकोत्तरा चिकित्सा संस्था पांडिचेरी	Jawaharlal Post Graduate Medical Institute, Pondicherry	2349-2350
2627	जवाहरलाल स्नाकोत्तर चिकित्सा संस्था, पांडिचेरी	Jawaharlal Post Graduate Medical Institute, Pondicherry	2350-2351
2629	नई दिल्ली में पंचकुई रोड के समीप बच्चों का पार्क	Children parks at Punchkuin Road, New Delhi	2351
2630	नई दिल्ली में पंचकुई रोड स्थित क्वार्टरों में मेहतर-सेवा	Seavengers service in Punchkuin Road Quarters, New Delhi	2351-2352
2631	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में हड़ताल	Strike in Trombay Fertilizers ...	2352
2632	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में उत्पादन	Production in Trombay Fertilizers..	2352-2353
2633	रामकृष्णपुरम के सैक्टरों में बाजार	Markets in R. K. Puram Sectors	2353
2634	दिल्ली की वृहद योजना	Master Plan for Delhi ...	2353-2354
2635	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता (ओवरटाइम अलाउन्स)	Over time for C. P. W. D. Staff ...	2354-2355
2636	साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में जल की सप्लाई	Water Supply in South Avenue, New Delhi	2355
2637	मध्य प्रदेश में चिकित्सा कालेज	Medical Colleges in Madhya Pradesh	2355

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2638	हरियाणा द्वारा भाखड़ा सम्बन्धी ऋण की अदायगी	Repayment of Loan by Haryana Government in respact of Bhakra Project	2355-2356
2639	मध्य प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण	Flood Control in Madhya Pradesh ..	2356-2357
2640	मेडिकल कालेजों में स्थानों का संरक्षण	Reservation of Seats in Medical Colleges ...	2357
2641	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये खरीद	Purchases from Public Sector	2357-2358
2642	मिर्जापुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant, Mirzapur	2358
2643	गंडक परियोजना	Gandak Project	2358-2359
2644	दिल्ली में नकली दवाइयों को जप्त किया जाना	Seizure of spurious Drugs in Delhi ..	2359
2645	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants	2359-2360
2646	दिल्ली में अप्रशिक्षित डाक्टर	Unqualified Doctors in Delhi	2360
2647	कर की वापसी	Refund of Tax ...	2360-2361
2648	आयकर विभाग, दिल्ली द्वारा दिये गये वसूली प्रमाणपत्र	Recovery Certificates issued by I. T. Department, Delhi	2361
2649	स्टेट बैंक में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in State Bank of India ...	2361-2362
2651	चिकनाई वाले पदार्थ	Lubricants ..	2362
2652	फालतू असिस्टेंट	Surplus Assistants	2362-2363
	हाल के सामान्य निर्वाचन में विदेशी धन के तथा कथित प्रयोग के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Alleged use of foreign funds in the recent General Elections ...	2363-2364
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2363-2364
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2364-2365
	समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee ...	2366-2367

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	All India Institute of Medical Sciences ...	2366–2367
पांचवे इस्पात संयंत्र के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377 re. Fifth Steel Plant	2367–2368
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	2367
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	2367–2368
चीन में भारतीय राजनयिकों के बारे में	Re. Indian Diplomate in China .. —	2368
भ्रष्टाचार विरोध विधियां (संशोधन) विधेयक जारी	Anti-Corruption Laws (Amedment) Bills (Contl)	2368–2380
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	2369–2370
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	2370
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	2372–2373
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	2373–2374
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	2374
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	2374
श्री कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	2375
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	2375
श्री शंकरानन्द	Shri Shankaranand	2376
श्री रबी राय	Shri Rabi Ray	2376
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inderjit Malhotra	2376–2377
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Gani Dar	2377
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	2377
श्री के. लकप्पा	Shri K. Lakkappa ...	2377
श्री अमृत नाहटा	Shri Amrit Nahata ... —	2379
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita ...	2379
श्री जी. बी. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	2380
चीन में भारतीय राजनयिकों से किये गये बर्ताव के बारे में वक्तव्य	Statement Re। treatment wated out to Indian Diplomate in China	2380–2381

श्री मु क. चागला	Shri M. C. Chagle ..	2381
भारत में हाल के निर्वाचनों में विदेशी धन के तथाकथित प्रयोग के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा	Discussion under Rule 193 Re: Alleged use of foreign funds to the recent election in India. ...	2381-2187
श्री रा. बरुआ	Shri R. Barua	2382
श्री मी. रु. मसानी	Shri M. R. Masani	2382-2383
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok	2383
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	2383-2384
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	2384
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	2384
श्री उमानाथ	Shri Uma Nath	2385
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	2385-2386
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2386-2387

लोक-सभा वाद-विवाद

का

अनूदित संस्करण

दिनांक 15 जून, 1967 । 25 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1	`36.5` के स्थान पर `3.65` पढ़िये।
1	`48` के स्थान पर `4.80` पढ़िये।
2379	पंक्ति 6, `पौरपाडे` के स्थान पर `पौरमाडे` पढ़िये।
2379	नीचे से पंक्ति 4, ` Deputy Speaker ` के स्थान पर 'Speaker' पढ़िये।
2380	नीचे से पंक्ति 7-8, ' Treatmement weted out to Indian Diplomate in China ' के स्थान पर 'Treatment of Indian Diplomats by China ' पढ़िये।
2381	नीचे से पंक्ति 6, 'To ' के स्थान पर 'In' और 'ELECTION ' के स्थान पर 'ELECTIONS ' पढ़िये।
2382	नीचे से पंक्ति 9, `श्री मो रू.मसानी` के स्थान पर `श्री मो.रू. मसानी` पढ़िये।

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 15 जून, 1967/25 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
Thursday June 15, 1967/*Jyaistha* 25, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीका द्वारा खाद्यान्न की सहायता

+
*511. श्री मधु लिमये : श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया : श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) खाद्यान्न की 1 करोड़ टन की सहायता में से अमरीका से कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) अन्य देशों से कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अब तक जितनी सहायता का वचन दिया जा चुका है उससे निम्नलिखित परिमाण में अनाज का आयात किया जा सकेगा :

संयुक्त राज्य अमेरिका (पी०एल० 480)	36.5 लाख मेट्रिक टन
कनाडा	8 ,, ,, ,,
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	2 ,, ,, ,,
आस्ट्रेलिया	1.5 ,, ,, ,,
कुल :	48 ,, ,, ,,

इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 30 लाख मैट्रिक टन अनाज और उपलब्ध करने की इच्छा प्रकट की है, बशर्ते कि दूसरे देश भी इतना ही अनाज दें।

Shri Madhu Limaye : From newspaper reports it appears that the Government of U.S.A. and the Congress there has not liked our role in the Arab-Israeli war. I want to know whether it will affect the food aid to this country ?

Shri Morarji Desai : There are no indications as yet that it will affect the food aid to us.

Shri Madhu Limaye : Apart from this 40 to 45 lakh tons of food aid the 30 to 32 lakh tons the condition is that U.S.A. would give it on a matching scale. Whether government had talks with other countries and if so what assurance have they given ?

Shri Morarji Desai : We are having talks with other countries and we expect to get aid. We may not get as much food grains out we may get foreign exchange for fertilisers and we may buy from other countries. We hope to get thus 6 million tons of aid.

श्री उमानाथ : अभी पांच दिन पूर्व अम्बिकापुर में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि अमरीका खाद्यान्न के बारे में दबाव डाल रहा है। यह समाचार सब समाचार पत्रों में छपा था। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ऐसा दबाव पड़ रहा है और यदि हां तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे प्रधान मंत्री के वक्तव्य का पता नहीं। इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जहां तक मुझे पता है इन बातचीतों में कोई दबाव नहीं डाला गया था। दूसरे देशों से बराबर की सहायता के लिए कहा जा रहा है ताकि हम अपना प्रभाव डाल कर दूसरों से भी सहायता प्राप्त कर सकें। इसलिये मुझे कोई दबाव नहीं दिखाई देता।

Shri Madhu Limaye : This a disunited government. What its one part does, the other has got no knowledge about that. For this question either you call the Prime Minister or the Deputy Prime Minister should give a reply after consulting the Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : उप प्रधान मंत्री ने सुन लिया है और वह इस पर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye : Will you give a statement after making the necessary enquiry ?

Shri Morarji Desai : I will not make any enquiries of the newspaper reports.

Shri Madhu Limaye : I have put a question. You should make enquiry,

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब सम्मानित समाचार पत्रों में यह समाचार छपता है और सरकार उसका खंडन नहीं करती और प्रधान मंत्री यहां उपस्थित नहीं है तो क्या उप प्रधान मंत्री जांच करने से इन्कार कर सकते हैं ? फिर हमारी क्या स्थिति रहती है इस मामले में ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा परामर्श यह है कि यह प्रश्न आप प्रधान मंत्री के नाम पर ही क्यों नहीं देते ?

श्री उमा नाथ : हमने एक अल्प कालीन प्रश्न रखा था परन्तु प्रधान मंत्री ने उसे अस्वीकार कर दिया है। अब यह मामला आ गया है और उप प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह समाचार पत्रों पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रधान मंत्री अथवा मंत्री किसी अल्प कालीन प्रश्न को मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता कि उसे स्वीकार करें। मैं तो केवल उनके पास उसे भेज ही सकता हूं। फिर भी सूचना प्राप्त करने के और तरीके भी हैं।

Shri Madhu Limaye : But you can give a direction that he may get this information and inform the House.

Shri Sidheshwar Prasad : The Deputy Prime M nister has said that we would get 2 Lakh tons of foodgrains from U.S.S.R. How much foodgrains has been supplied by U.S.S.R. since they had good harvest and why government did not ask for more from them. If you have asked them to do so, what reply did you get ?

Shri Morarji Desai : There is no question of asking from them. They give to us whatever they can.

श्री स्वैल : हमने तो अभी हाल में पश्चिम एशिया की लड़ाई में किया उसके कारण पश्चिमी देशों में जैसे अमरीका, ब्रिटेन तथा कनाडा में यह मांग हो रही है कि भारत को सहायता बन्द होनी चाहिए। क्या सरकार ने अन्दाजा लगाया है कि यदि वहां यह सहायता बन्द कर दी तो सरकार ने परिस्थिति से निबटने के लिए और क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि खाद्यान्न सहायता पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यदि यह सहायता नहीं प्राप्त होती है तो हमें यही मजबूती से इन्तजाम करना होगा।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : जो सहायता अमरीका, रूस तथा आस्ट्रेलिया आदि से प्राप्त होती है उनके मूल्य में कितना अन्तर है तथा क्या जो सहायता रूस तथा आस्ट्रेलिया देता है, अमरीका उसी मात्रा में सहायता देगा ?

श्री मोरारजी देसाई : अमरीका ने औरों से कहीं अधिक सहायता दी है, इसलिए बराबर की सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मूल्यों के आंकड़ों के बारे में यदि मुझे आप अलग नोटिस दें तो मैं बता दूंगा।

श्री कडप्पन : स्वेज नहर के बन्द होने के कारण अन्न लम्बे रास्ते से आवेगा और इस प्रकार किराया बढ़ जायेगा । क्या यह किराया उपभोक्ताओं को देना होगा अथवा सरकार इसके बारे में सहायता देगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इस प्रश्न पर विचार करना बाकी है ।

श्री एम० सुदासनम : स्वेज नहर बन्द होने से किरायों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यह तो स्पष्ट है कि किराये बढ़ जायेंगे ।

श्री हेम बरुआ : अरब-इसराईली युद्ध के समय 10 जहाजों को बन्दी किया था और स्वेज नहर बन्द कर दी गई । राष्ट्रपति नासर ने कहा है कि यदि इसराईली अरब क्षेत्रों से हटे नहीं तो वह अन्य राष्ट्रों के लिए स्वेज नहर को बन्द रखेंगे । इस वक्तव्य को देखकर उप प्रधान मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने नासर को कहा है कि वे स्वेज नहर को खोल दें ताकि भारत में जो लाखों व्यक्ति भूखे मर रहे हैं वह भूखे न मरें ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि राष्ट्रपति नासर स्वेज नहर को नहीं खोलना चाहते तो हम उन्हें उसे खोलने के लिए विवश नहीं कर सकते ।

श्री हेम बरुआ : आप उन्हें समझा तो सकते हैं कि वह उसे खोलकर हम नाजुक समय पर हमारी सहायता करें ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस मामले में किसी से भीख नहीं मांगूंगा ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister stated that we have got 50 Lakh tons of food-grains. How much more do we need now and from which countries do we expect to get it ?

Shri Morarji Desai : I have repeated this many times.

Shri S. C. Jha : What are items of food which U.S.A. gives us as food aid. Is it a fact that only condemned quality is given to us which people in U.S.A. cannot consume and which can cause one to fall ill ?

श्री मोरारजी देसाई : यह गलत बात है । हमें उसी किसम का अन्न दिया जाता है जो वहां उपयोग में लाया जाता है । मेरे विचार में वह ऐसा नहीं है कि खाया न जा सके ।

श्री म० रा० कृष्ण : क्या यह सत्य है कि सहायता देने वाले देश इस बात पर जोर देते हैं कि जो सहायता वे देते हैं वह सारी खाद्यान्न खरीदने के काम में ही लाई जाये तथा उसे लाने के लिए जहाज भी उनके ही किराये पर लिये जायें ?

श्री मोरारजी देसाई : हमें वहीं से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाता ।

श्री वासुदेवन नायर : खाद्य मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार ने 15 लाख टन गेहूँ प्राप्त करने का करार किया हुआ है, बस केवल अमरीका के राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर

करने बाकी हैं। समाचार पत्रों में आ रहा है कि वहां के राष्ट्रपति ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया है। हम करार पर हस्ताक्षर करने में देर का क्या कारण है ?

श्री मोरारजी देसाई : अमरीका में भी हमारी तरह लोकतन्त्र है तथा जैसे यहां दबाव पड़ता है ऐसे ही वहां भी दबाव पड़ता है।

Shri Amrit Nahata : Is the government aware that the imported "Jowar" distributed to the famine affected areas of Rajasthan is of such a bad quality that even animals do not consume that ?

Shri Morarji Desai : I do not agree to it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that the foodgrains of inferior quality is not supplied but only grinded. Some of the foodgrains imported from abroad get spoled during the way when it is imported ? If mills refuse to grind, they are put to pressure ?

Shri Morarji Desai : No pressume is put on anyone. I have also consumed that "atta" but I did not find it that bad.

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या रूस ने भी भारत को अन्न की सहायता देने का वचन दिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : वह तो पहले ही दे भी दिया।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न खाद्य मंत्री की बजाय वित्त मंत्री को क्यों दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इतनी देर के बाद आपने इसका पता लगाया।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

\+

***512. श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाबूराव पटेल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या वित्त मंत्री 17 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में इस समय कितना उत्पादन होता है;

(ग) इस मिल में पूरा उत्पादन कब तक होने की आशा है और देश की सिक्योरिटी पेपर की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और यह मिल उसे कहां तक पूरा करेगा; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां। चार मशीनों वाली मिल की पहली दो मशीनें आजमाइशी तौर पर चलायी जाने लगी हैं।

(ख) अनुमान है कि 1967–68 में 700 मैट्रिक टन और 1968–69 में 1,500 मैट्रिक टन कागज का उत्पादन होगा।

(ग) अनुमान है कि मिल में 1969–70 में पूरी तरह से उत्पादन होने लगेगा। चूंकि इस मिल की निर्धारित वार्षिक क्षमता 2,700 मैट्रिक टन है, इसलिए यह उस वर्ष करेंसी नोटों और बैंक नोटों के कागज की 2,300 मैट्रिक टन की सारी प्रत्याशित आवश्यकता पूरी कर देगी। टिकटों और डाक-सम्बन्धी लेखन-सामग्री आदि के काम आने वाले दूसरी तरफ के सिक्योरिटी कागज की लगभग 850 मैट्रिक टन कि आवश्यकता के कुछ अंश को पूरा करने के लिए शेष क्षमता का उपयोग करने का भी प्रयत्न किया जायगा।

(घ) अनुमान था कि मशीनों का आजमायशी तौर पर चलाया जाना, मार्च 1967 के अन्त में शुरू हो जायगा। इसमें कुछ देर होने का मुख्य कारण यह है कि भाप से चलने वाला संयंत्र देने वाले संभरणकर्ता (सप्लायर) के कारखाने में धीमे काम करने का आन्दोलन चलने से यह संयंत्र देर से मिला और कुछ पाइप भी देर से प्राप्त हुए।

Shri Ram Kishan Gupta : What will this factory cost and whether foreign collaboration for it has been obtained ?

Shri K. C. Pant : Yes Sir, one U. K. firm of the name of Portals Limited is collaborating in it. It is estimated to cost about Rs. 12 crores.

Shri Ram Kishan Gupta : The raw material to be used in production of paper will be all indigenous or some of it will be imported too ?

Shri K. C. Pant : Most of the raw material will be obtained indigenously.

श्री बाबूराव पटेल : रुपये के अवमूल्यन के बाद तथा सोना चान्दी न होने का कारण हमें अपने देश के लिए इस सिक्योरिटी पेपर की बहुत आवश्यकता है ताकि विदेशी मुद्रा बचा सके। क्या सरकार इस राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रख कर उत्पादन को शीघ्र बढ़ायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार इस कारखाने को जल्दी चलायेगी। आजमाइशी मिलों ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री स० भं० सामन्त : क्या कारण है कि यह मिल होशंगाबाद में खोला गया। नासिक के मिल को ही क्यों नहीं बढ़ाया गया ? क्या बंगलौर की जलवायु इस कार्य के लिये होशंगाबाद की जलवायु से अच्छी है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : होशंगाबाद पर इसे स्थापित करने के कारण थे। एक तो पानी तथा बिजली का मिलना, दूसरे यह नासिक के निकट है तथा ट्रंक रेलवे लाईन पर है, तीसरे यहां के वातावरण में धुंआ का अभाव है जो इसके लिए बहुत आवश्यक है।

श्री मु० कु० तापड़िया : क्या बाद में इस कागज के निर्यात किये जाने की कोई संभावना है या क्या किन्हीं पड़ौसी देशों से उनकी मुद्रा या टिकटों की आवश्यकता के लिये, क्रयादेश मिलने की सम्भावना का पता लगाया गया है ?

श्री कृ० चं० पन्त : मैं नहीं समझता कि ऐसा किया गया है क्योंकि निकट भविष्य में यहां पर तैयार किया गया सारा कागज बैंक नोटों या टिकटों और डाक की लेखन सामग्री में काम में ले लिया जायेगा।

Shri Pakash Vir Shastri : What amount of foreign exchange is spent on the import of paper required for the manufacture of currency notes and what amount of saving will be affected after the commissioning of this Hoshangabad factory ?

Shri K. C. Pant : The expenditure incurred on the import of paper at present is Rs. 3 crores approximately.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has recounted the reasons for the delay in the manufacture of paper at Hoshangabad. One and a half year back I had drawn the attention of the hon. Minister and I had also conferred with the present Minister of State regarding the feasibility of effecting economy in the use of this paper in Nasik I had also given certain details to the former Finance Minister regarding this. May I know whether the hon. Minister has himself gone into the question of effecting economy in the use of paper and saving of foreign exchange ?

Shri K. C. Pant : The suggestions given by the hon. Member have been examined and every possible effort will be made to implement them.

बैल्ल मिशन की रिपोर्ट

+

*513. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैल्ल मिशन ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत अपना प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च कम करे तथा अनेक संयुक्त भारत-पाकिस्तान उपक्रम स्थापित करें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस मिशन ने जो सुझाव दिये हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उन के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) विश्व बैंक के शिष्ट मण्डल (मिशन) ने अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष को दी है, भारत सरकार को

नहीं। चूंकि बैंक इस रिपोर्ट को अपना प्रतिबंधित (रेस्ट्रिक्टेड) दस्तावेज मानता है और इस कारण इसमें कही गयी बातें प्रकाशित नहीं की जा सकतीं, इसलिए मुझे खेद है कि मैं रिपोर्ट की बातों के बारे में सवालों का जवाब देने में असमर्थ हूं।

Shri Siddheshwar Prasad : Is it not a fact that a copy of the Bell Commission report submitted to the President of the World Bank has also been submitted to the Government of India to know its reaction, if so, what reply has been sent thereto ?

Shri Morarji Desai : Since we are committed to treat that report confidential, we cannot tell.

Shri Siddeshwar Prasad : May I know whether it is not a fact that the Bell Commission which visited India had suggested that the Government of India and Pakistan should together work on the projects for which assistance would be given by the World Bank and certain other countries, if so, what is the nature of those suggestions as also the reply sent by the Government of India ?

Shri Morarji Desai If I give a reply to this question it will contradict what I have just now stated. Therefore I cannot reply.

श्री प० गोपालन : दूसरे बैल मिशन ने अपने तथाकथित गोपनीय प्रतिवेदन में कहा है कि बदली हुई नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में भारत सरकार के कार्य से वह बहुत संतुष्ट है। अर्थात, सरकार की नितियां और कार्यक्रम 1966 में विश्व बैंक की सलाह से बदले गये थे। कौनसी नीतियों और कार्यक्रमों में यह परिवर्तन किया गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : जैसा कि मैंने पहले कहा मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री उमानाथ : श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न सीधा सा है कि क्या यह सच है कि क्या विश्व बैंक के परामर्श से नीति में कोई परिवर्तन किया गया है, यदि हां, तो क्या। किसी गोपनीय प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का प्रश्न नहीं है। क्या सरकार ने नीति में कोई प्रतिवेदन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ब्योरा नहीं पूछ रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई परिवर्तन किया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : जब कि यह बताया जाता है कि प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि ये परिवर्तन किये जाने चाहिये और भारत सरकार परिवर्तन करने के लिये राजी हो गई है, यदि मैं इस प्रकार की चीज़ स्वीकार कर लूं तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि मैं प्रतिवेदन की बातों को बता रहा हूँ। मैं 'हां' या 'ना' नहीं कहूँगा।

श्री उमानाथ : प्रश्न यह है कि क्या सरकार विश्व बैंक की सलाह से अपनी नीति में कोई परिवर्तन किया है। सरकार को यह कहने का हक है कि यह लोक हित, देश की सुरक्षा और अन्य कई कारणों से किसी चीज़ को प्रकट करने के लिये तैयार नहीं है, यदि यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन की तरह, जिसके बारे में आपने हाल ही में विनिर्णय दिया था, सरकार का एक गोपनीय प्रतिवेदन है। यहां पर प्रश्न बैल मिशन के प्रतिवेदन के बारे में प्रश्न है जो

कि पहले से ही समाचार पत्रों में आ चुकी है। विश्व बेंक को संरक्षण देने का प्रश्न इसमें कहां है? जहां तक इस संसद का सम्बन्ध है, हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या भविष्य में कोई नीति सम्बन्धी परिवर्तन किये जायेंगे। परन्तु यह प्रश्न उन नीति सम्बन्धी परिवर्तनों के बारे में है जो कि सरकार द्वारा पहले ही किये जा चुके हैं। सरकार सीधे रूप से बता सकती है कि क्या उसने कोई परिवर्तन किया है अथवा नहीं।

श्री मोरारजी देसाई : सरकार की नीति को बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। जो कुछ सरकार करती है। अपनी मर्जी से करती है। मैं नहीं जानता वे नीति में क्या परिवर्तन चाहते हैं। यदि इस प्रतिवेदन की ओर उनका इशारा है तो मैं नहीं जानता कि प्रतिवेदन में क्या है। यह समाचार पत्रों में आया होगा। परन्तु मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और न ही मैं इस पर कोई ध्यान देता हूं। यह एक गोपनीय प्रतिवेदन है और इसलिये मैं इसके विषय के बारे में कुछ नहीं बता सकता।

श्री प० गोपालन : प्रश्न पूछने का क्या फायदा यदि मंत्री महोदय उसका उत्तर ही न दें?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि नीति हमारी अपनी है और परिवर्तन इसलिये किये जाते हैं कि हम उन्हें आवश्यक समझते हैं न कि इसलिये कि किसी अन्य व्यक्ति ने हमें सुझाव दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सच नहीं है।

श्री चक्रपाणि : जून, 1966 में, भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश पर रुपये का अवमूल्यन किया।

अध्यक्ष महोदय : आप पृष्ठ भूमि में क्यों जाते हैं?

श्री चक्रपाणि : गत वर्ष अक्तूबर, नवम्बर के दौरान बैल और उसका दल यहां पर कुछ सुझाव लेकर आये। इसको ध्यान में रखते हुए क्या बैल मिशन रुपये के अग्नेतर अवमूल्यन की सिफारिश नहीं करेगा?

श्री मोरारजी देसाई : बैल मिशन क्या करेगा, इस बारे में हम क्या जाने?

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या यह सच है कि भारत सहायतार्थ संघ और विश्व बैंक, भारत सरकार द्वारा बैल मिशन का प्रतिवेदन स्वीकार किये जाने पर ही भारत को सहायता देगा?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी कोई शर्त नहीं है।

श्री शिवाजी राव देशमुख : अब तक यह बार बार प्रमाणित किया जा चुका है कि बैल मिशन की बागडोर विश्व बैंक द्वारा नहीं, अपितु किसी अन्य स्थान से खेंची जाती है

और जिनके नियंत्रण में वह बागडोर है वे हमेशा ही नीति संबंधी परिवर्तन करने पर आग्रह करते हैं जो कि हमारा आन्तरिक प्रशासनिक मामला है । क्या उप-प्रधान मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि भविष्य में बैंल मिशन द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि कोई हस्तक्षेप किया गया है। मैंने कल कहा था कि किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

श्री उमानाथ : सलाह ।

श्री मोरारजी देसाई : प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देने की स्वतन्त्रता है और हमें उसको स्वीकार करने और अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता है। यदि हम इसको स्वीकार करते हैं, तो यह हमारा अपना निर्णय है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन, वित्त मंत्री बहुत ही मामूली सा उत्तर देकर रह जाते हैं। उन्हें अपना तरीका ठीक करना चाहिये । हमें उन लाखों लोगों के लिये जानकारी प्राप्त करनी है जिन्होंने हमें चुना है । हम किसी से वेतन नहीं पाते हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : श्रीमन, माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने तुच्छ सा उत्तर दिया है । क्या वह बता सकते हैं कि मैंने कहां पर ऐसा किया है ? माननीय सदस्य मेरे प्रति अनादर व्यक्त कर सकते हैं; मैं ऐसा नहीं करूंगा । मैं उनसे कहीं अधिक इस सभा का आदर करता हूँ । अतः माननीय सदस्य द्वारा जो आलोचना की गई है मैं उस पर आपत्ति उठाता हूँ ।

श्री बलराज मधोक : यदि माननीय सदस्य के पास देने के लिये कोई जानकारी नहीं थी तो उन्होंने इस प्रश्न को स्वीकार ही क्यों किया था ? प्रश्न स्वीकार किये जाने के पश्चात यदि वह उत्तर देने के लिये तैयार नहीं है तो यह सभा का अपमान है ।

श्री मोरारजी देसाई : किसी प्रश्न को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना मेरा काम नहीं है । क्योंकि मेरे पास प्रश्न अध्यक्ष से आया है, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार पूरा उत्तर देने का प्रयत्न किया है और जिस चीज़ को में प्रकट नहीं कर सकता हूं मैंने उसको प्रकट नहीं किया है ।

श्री बलराज मधोक : माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि हम बाहर के किसी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे । में इसका बहुत स्वागत करता हूं, परन्तु क्या यह सच नहीं है कि सहायता देने वाली शक्तियां चाहे वह रूस है चाहे अमरीका वे हमारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करती रही हैं और हमारी नीतियों पर उनका प्रभाव पड़ा है ? क्या माननीय मंत्री आश्वासन दे सकते हैं कि हम अपनी नीतियों के मामले में प्रभावित नहीं होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कई बार स्पष्ट किया जा चुका है । उन्होंने कहा है कि नीति को किसी के द्वारा भी प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा ।

श्री ज्योतिमय बसु : श्रीमन्, मेरे पास कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्र की एक कतरन है जिसमें दूसरे बैल मिशन के प्रतिवेदन का संक्षेप दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार और मंत्री श्री अशोक मेहता को उन लोगों द्वारा अवमूल्यन के लिये मजबूर किया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि आयात और विनियोजन के सम्बन्ध में उनकी सलाह मानी जायेगी। अतः हमें यह जानने का अधिकार है कि बैल मिशन का प्रतिवेदन क्या है जो हमें हमेशा के लिये कर्जदार बनायेगी। क्या में इस कतरन को सभापटल पर रख सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। समाचार पत्र सभी लोग पढ़ते हैं और यह कतरन कोई गोपनीय दस्तावेज़ नहीं है जिसे सभा पटल पर रखा जाये। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम बैल मिशन सहित किसी से प्रभावित नहीं होंगे। जैसे आपको किसी बात से असहमत होने का हक़ है इसी प्रकार से मंत्री को भी अपनी बात कहने का पूरा हक़ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या यह सच है कि बैल कमीशन का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् विश्व बैंक ने भारत सरकार को अनुदेश दिया था (1) कि भारत सरकार को अपना प्रतिरक्षा व्यय घटाना चाहिये और (2) कि भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई काम करना चाहिये, और यदि हाँ, तो भारत सरकार ने उसका क्या उत्तर दिया ?

श्री मोरारजी देसाई : यह भी लगभग वही चीज़ है। मैं अपने माननीय मित्र को उत्तर देने के लिये सहमत नहीं हो सकता, परन्तु मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ (व्यवधान) कि हमें यह लिखना विश्व बैंक का काम नहीं है कि हमें यह नहीं करना चाहिये या वह नहीं करना चाहिये; वे कभी ऐसा नहीं करते और मैं नहीं समझता कि वे कभी ऐसा नहीं करेंगे, और यदि वे ऐसा करते हैं तो हम उसका पालन नहीं करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। श्री हेम बरुआ।

श्री हेम बरुआ : माननीय उप-प्रधान मंत्री ने कहा कि बैल कमीशन का प्रतिवेदन गोपनीय है क्योंकि यह विश्व बैंक को दिया गया है न कि भारत सरकार को यदि यह भारत सरकार को नहीं दिया जाता है तो वित्त मंत्री कैसे कह सकते हैं कि यह एक गोपनीय दस्तावेज़ है और वह इसको प्रकट नहीं कर सकते ? यदि यह गोपनीय दस्तावेज़ है और यदि इस प्रतिवेदन को विश्व बैंक को दिया गया है, तो उन्होंने इसको नहीं देखा है और इसलिये उसको प्रकट न करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर समाचार पत्रों में यह भी आया है कि उस प्रतिवेदन की पहली सिफारिश यह है कि भारत को अपनी मुद्रा का अवश्य अवमूल्यन करना चाहिये जो कि भारत सरकार ने अच्छे लड़कों की तरह कर दिया है और यह भी कहा गया है कि प्रतिवेदन की आठवीं सिफारिश में यह कहा गया है कि भारत को अपना प्रतिरक्षा व्यय अवश्य कम करना चाहिये। ये सब चीजें पहले ही आ चुकी हैं। अतः उप-प्रधान मंत्री का यह कहना कि यह गोपनीय है मेरी समझ में नहीं आता।

श्री मोरारजी देसाई : इस मामले में मुझे तो कोई उलटी चीज दिखाई नहीं देती। बैल मिशन का प्रतिवेदन विश्व बैंक को दिया है। विश्व बैंक उस प्रतिवेदन की एक प्रति हमको

इस शर्त पर देती है कि यह एक गोपनीय दस्तावेज़ है और यह गोपनीय रहेगा । फिर मैं कुछ कैसे बता सकता हूँ । यदि कोई चीज़ प्रकट भी हो गई है तो वह अनुचित तरीके से प्राप्त की गई होगी और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता । मैं 'हां' या 'ना' कहकर उनकी सहायता क्यों करूं ?

श्री वासुदेवन नायर : माननीय वित्त मंत्री ने एक अन्य अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उन्होंने प्रतिवेदन को नहीं देखा है । परन्तु अब वह कहते हैं कि उनको प्रतिवेदन की एक प्रति मिली है और उसे गोपनीय रखने के लिये उन्हें कहा गया है । इन दोनों में कौन सी बात सही है ?

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपको तब आप इस प्रश्न को पूछ सकते हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सभा के नियमों के अन्तर्गत मंत्री महोदय किसी दस्तावेज़ को सभा पटल पर रखने से उसी सूरत में इन्कार कर सकते हैं जब वह यह कहें कि उसको प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा । यदि माननीय वित्त मंत्री इसको प्रकट करना नहीं चाहते हैं तो उन्हें यह कहना चाहिये कि इसको प्रकट करना लोक हित में नहीं है या वह इसको प्रकट करें अन्यथा लोग यह समझेंगे कि लोक हित के प्रश्न का निर्णय करना विश्व बैंक के प्रधान के हाथ में है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें लोक हित का कोई प्रश्न नहीं है । आप स्पष्टीकरण चाह रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि विश्व बैंक उनकी जानकारी के लिये उन्हें एक प्रतिवेदन की एक प्रति भेजता है । उस प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद माननीय मंत्री ने कुछ निष्कर्ष निकाले होंगे और कुछ निर्णय किये होंगे । मैं नहीं समझती कि इन निर्णयों और निष्कर्षों को क्यों गोपनीय रखा जाता है और इन्हें बताने में माननीय मंत्री को क्यों संकोच है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वह दे चुके हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरा विश्वास है कि इन मामलों पर बैल मिशन ने वित्त मंत्रालय या योजना मंत्रालय से चर्चा की होगी । क्या उस चर्चा के दौरान बैल मिशन ने प्रतिरक्षा व्यय में कमी करने और संयुक्त भारत-पाकिस्तान उपक्रमों के लिये कोई सलाह दी थी ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोपनीय प्रतिवेदन में जो कुछ दिया गया है मैं उसको नहीं बता सकता ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं प्रतिवेदन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । मैंने जो भेद दिया है कृपया उसको देखिये । यदि यह गोपनीय दस्तावेज़ है तो इसे गोपनीय रहने दीजिये । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनको कोई ऐसी सलाह दी गई थी ।

श्री मोररजी देसाई : इसका भी वही अर्थ निकलता है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय आप हमारी रक्षा कीजिये । हम गोपनीय प्रतिवेदन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार को ऐसी कोई सलाह दी गई थी अथवा नहीं । यदि वह यह कहना चाहते हैं कि इसको प्रकट करना लोक हित में नहीं है तो उन्हें ऐसा कहना चाहिये । वह यह कैसे कह सकते हैं कि इसका भी वही अर्थ निकलता है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं कि वह 'हां' या 'नां' कहने के लिये तैयार नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हैं तो वे अन्य तरीकों को अपना सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रतिवेदन में जो कुछ दिया गया है केवल उसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा है । हम उस प्रतिवेदन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं । हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या उनको ऐसी कोई मंत्रणा दी गई थी ।

श्री मोरारजी देसाई : क्या मेरे माननीय मित्र इस स्पष्ट तथ्य को नहीं देखते हैं कि जब वह बैल प्रतिवेदन में दी गई सलाह का जिक्र करते हैं, और यदि मैं उसके बारे में कुछ भी कहता हूँ तो यह प्रतिवेदन को प्रकट करने के तुल्य होगा ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : कैसे ?

श्री मोरारजी देसाई : और इसका क्या अर्थ है ?

श्री अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में माननीय सदस्य इस प्रकार चर्चा नहीं कर सकते हैं । जानकारी प्राप्त करने और चर्चा करने के और तरीके हैं ।

तेल कम्पनियों द्वारा छंटनी

\+
***514. श्री वि० कु० मोदक :**
श्री भगवान दास :
श्री उमा नाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी तेल कम्पनियों के इस दावे की ओर दिलाया गया है कि उन्हें अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी सरकार की तेल सम्बन्धी नीति के कारण करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विदेशी तेल कम्पनियों की समय से पूर्व सेवानिवृत्ति योजना वास्तव में कर्मचारियों की संख्या में कमी करने सम्बन्धी योजना ही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां, सरकार की तेल नीति के कई पहलुओं को हवाला दिया गया है ।

(ख) कार्य सुरक्षा तथा स्टाफ की छंटनी की समस्या की जांच के लिए अक्तूबर, 1965 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, सरकार की यह राय है कि यह दावा आधार रहित है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी-सुरक्षा के प्रश्न को हल करने के बारे में एक सहमत सिद्धान्त मालूम करने के लिए श्रम और रोज़गार विभाग में 28-4-1967 को विदेशी तेल कम्पनियों, पैट्रोलियम कर्मचारियों की यूनियनों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय बैठक हुई । द्विपक्षीय बातचीत को शामिल करते हुए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है और वे सरकार के विचाराधीन है ।

श्री वी० कु० मोडक : क्या छंटनी के मामलों की जांच हेतु एक जांच समिति नियुक्त करने के बारे में त्रिपक्षीय सम्मेलन में कोई निर्णय किया गया था ?

श्री रघु रमैया : यह सुझाव कर्मचारियों की ओर से आया था । जैसा कि मैंने बताया अन्य भी कई सुझाव हैं । वे सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री वी० कु० मोडक : क्या सरकार की ओर से कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कि जांच समिति नियुक्त करने के बारे में कोई निर्णय किया गया था, यदि हां, तो उस निर्णय को उलटने के क्या कारण हैं ?

श्री रघुरमैया : मैंने कहा था कि कोई निर्णय नहीं किया गया है । यह एक सुझाव था जो कि विचाराधीन है ।

श्री उमानाथ : मंत्री महोदय ने कहा कि कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को घटाने के उपायों का सरकार की तेल सम्बन्धी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । हाल ही में एस्सो के मुख्य अधिकारी द्वारा उनके मुख्यालय को दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कम्पनी का विचार अगले वर्ष में 300 से 400 कर्मचारियों को घटाने का है । वास्तविक वाक्य यह है ।

'हमें भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की आशा है । पहले ही 9,000 की छंटनी की जा चुकी है । इसका अर्थ तो यह हुआ कि उन्होंने पहली छंटनी के लिये भी भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया था । क्या सरकार इस बारे में जानती है ? क्या छंटनी की इस योजना के बारे में सरकार, एस्सो कम्पनी और अन्य तेल कम्पनियों के बीच कोई सूझबूझ है ?

श्री रघु रमैया : कोई भी करार नहीं किया गया है। इसके विपरीत, त्रियत्रीय बातचीत के पश्चात सरकार ने उनसे कहा है कि वे तथाकथित स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत सभी अग्नेतर कार्यवाही बन्द कर दें।

श्री उमानाथ : 'एस्सो' के प्रमुख ने अपने मुख्यालय को जो पत्र लिखा है उसके बारे में आपको क्या कहना है ? 9000 की छंटनी पहले ही की जा चुकी है। सरकार ने उनको बन्द नहीं किया है। सरकार कहती है कि कोई सूझबूझ नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो दिन धाड़े 9000 व्यक्तियों की छंटनी कैसे की जा सकती थी।

श्री रघु-रमैया : जब कोई करार नहीं किया गया है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि करार किया गया है।

श्री उमानाथ : परिणाम क्या निकला है ? 9,000 की छंटनी की गई है।

श्री रघु-रमैया : वे चाहे कुछ भी आशा लगायें। हम इसके लिये राजी नहीं हुए हैं।

श्री गणेश घोष : पिछले अप्रैल की 3 तारीख को सरकार ने बर्माशैल और शायद अन्य विदेशी तेल कम्पनियों को भी लिखा था कि त्रिपक्षीय सम्मेलन के निर्णय लेने तक वे अपनी केन्द्रीयकरण योजनाओं को आगे न बढ़ायें। उसी मास की 28 तारीख को एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ था जिसमें श्री रघु-रमैया भी उपस्थित थे। यह तय पाया था कि विदेशी तेल कम्पनियां केन्द्रीकरण योजना के बारे में एक पक्षीय कार्यवाही नहीं करेंगी। फिर भी उसके तुरन्त बाद वे सारे देश में बड़े पैमाने पर छंटनी करती रही हैं। इस एक तरफा कार्यवाही को रोकने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री रघु-रमैया : मैं यहां पर उपस्थित था और शायद मेरे माननीय मित्र भी उपस्थित थे। यदि वह वहां पर थे तो उनको मालूम होगा कि जबकि सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि समय से पूर्व सेवा निवृत्ति की योजनाओं के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही बन्द की जानी चाहिये, नियोजक इससे सहमत नहीं थे। यह स्थिति है।

Shri Mohammed Ismail : In view of the fact that the employees are lying retrenched for the last 6 months why the Government after this tripartite conference, has not been able to implement its decision to appoint a court of inquiry which was also endorsed by the employees union ?

श्री रघु-रमैया : कोई एक त्रिपक्षीय बैठक नहीं हुई है। एक से अधिक हुई है, और कर्मचारियों द्वारा की गई मांगों के साथ सरकार को पूरी सहानुभूति है और मेरे साथी इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि बातचीत का कोई आधार निकल आये। ऐसा न होने की सुरत में क्या उपाय किये जायें, मुझे विश्वास है वह, इस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Sheo Narain : Why do the Government do not take over the foreign oil companies which are indulging in retrenchment practices ?

श्री रघु-रमैया : कुछ समय पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि इन कम्पनियों के आरम्भ में इनको आश्वासन दिया गया था कि कुछ समय तक सरकार उनको अपने हाथ में नहीं लेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether in the present conference and in the committee that has been appointed the question of rehabilitating the 9000 retrenched employees will also be broached ? Why did the Government not take immediate action when the retrenchment was made and was it due to pressure from any quarter that the Government could not do it.

श्री रघु-रमैया : मैं पहले बता चुका हूं कि मेरे साथी को मामले की पूरी जानकारी है, परन्तु जहां तक छंटनी किये गये कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमारे अपने संस्थान भारतीय तेल कम्पनी में उनको वहाँ तक खपाना संभव होगा खपाया जायेगा ।

भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण

+

*515. **श्री भारतसिंह चौहान :** **श्री रणजीत सिंह :** **श्री शारदा नन्द :** **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** **श्री जि० ब० सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखा बाह्य धन को बाहर निकालने के उद्देश्य से भारतीय मुद्रा के विमुद्रीकरण की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) करेन्सी (नोटों) का चलन बन्द कर देने से कोई लाभ नहीं होगा । जो लोग नोट वापस करेंगे और इस बात के तर्कसंगत कारण बतायेंगे कि उन्होंने वे नोट किस तरह प्राप्त किये, उन्हें नोट बदलवाने की पूरी सुविधाएं देनी होंगी और सम्भव है कि लगभग सभी नोट बदलने पड़ जांय । साथ ही, नोटों का चलन बन्द कर देने से सोने, भूमि आदि के रूप में रखे काले धन की समस्या भी हल नहीं हो सकती ।

Shri Bharat Singh Chauhan : My question is whether Govenment have chalked out a scheme to unearth the black money, if not, whether its adverse effect on all the development plans of the country will continue in the same manner.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : The Government have taken a number of steps. In the first place, previously the items in the taxation act were kept secret which has now been done away with and any body

can find it out. Secondly, more facilities have been provided in cases where search or seizure has to be resorted to and thirdly, the transfers and contracts of construction of immovable property above a specified limit have to be notified to the Government. Vigorous efforts are being made to cover the new assessees. Provisions relating to penalty and punishment have been extended aad a voluntary disclosure scheme has been framed.

Shri Bharat Singh Chauhan : What amount of black money has been unearthed as a result of the steps so far taken by the Government ?

Shri K. C. Pant : I can't give the figure off hand. But this information is given here every now and then in answer to other questions.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : 15 वर्ष पहले जो विमुद्र करग किया गया था उससे सरकार को क्या अनुभव प्राप्त हुआ उससे क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ? विशेष रूप से काले धन के निकलने के बारे में और दूसरे व्यापारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां 1946 के इस तजर्बे का सम्बन्ध है, वास्तव में जारी किये गये सारे नोटों को नये नोटों से बदलना पड़ा था। 138 करोड़ रुपयों के बड़े नोटों में से उस समय लगभग 136.8 करोड़ रु० के नोट बदले गये थे।

श्री हेम बरुग्रा : इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि काला धन इकट्ठा करने वाले लोग उससे सम्पत्ति खरीद लेते हैं, सरकार विमुद्रीकरण के अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहती है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो खुशी से दे सकते हैं।

श्री दी० च० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि स्वेच्छा से धन प्रकट करने की सरकार की योजना बिल्कुल असफल रही है और क्या इस योजना को सरकार ने वापस ले लिया है या नहीं और इस योजना को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या वे चाहते हैं कि हम योजना को दबा दें या इसको पुनर्जीवित करें ? (व्यवधान)।

मैं अपनी स्मृति से कह सकता हूं कि इस प्रकार की दो योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा लगभग 190–200 करोड़ रु० प्राप्त किया गया था।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

भ्रमत् रेस्तरां (रिवाल्विंग रेस्टोरेंट)

+

अ. सू. प्र. *13. श्री के० कृ० दास चौधरी : श्री चित्तरंजन राय :
श्री समर गुह : श्री म० ला० सोंधी :

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री याज्ञिक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री काशी नाथ पांडे :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दीपा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री एस० एम० जोशी:
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री नंजा गौडर :
श्री अमिय नाथ बोस :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के एक होटल के एक उपभवन के रूप में 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से एक भ्रमत् रेस्तरां तथा सम्मेलन कक्ष (रिवाल्विंग रैस्टोरैंन्ट एण्ड कान्फ्रेंस हाल) बनाने के लिये कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इसके निर्माण का ठेका एक ऐसी फर्म को दिया गया है जिसका टैंडर न्यूनतम राशि का नहीं था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सरकार ने 27 जनवरी 1967 को अशोक होटल्स लिमिटेड में लगभग 2.39 करोड़ की लागत का एक उपभवन बनाने की स्वीकृति दे दी है जिसमें 300 अतिरिक्त बिस्तरों के कमरे, एक सभा। भोज कक्षा तथा दो विशेष रेस्तरां (जिनमें एक घूमने वाला रेस्तरां भी शामिल है) होंगे और जो संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये जोकि 1 फरवरी 1968 को दिल्ली में होगा, के समय तैयार रहे।

(ख) कम्पनी के निदेशक मंडल ने यह कार्य सब से कम से एक ऊपर नम्बर वाले टेंडर देने वाले को दे दिया। फिर भी जब यह मामला सरकार के पास आया तो उन्होंने अशोक होटल्स लिमिटेड से कहा कि वे सम्बन्धित ठेकेदार से इस कार्य में 2.20 लाख रु० कम करने को कहें। उसके लिये वह तैयार हो गया। इस प्रकार वह 87, 47 570, रु० का टेंडर देकर सब से कम टेंडर देने वाला हो गया।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश इस समय एक बड़े आर्थिक संकट में से गुजर रहा है सरकार ने इतनी बड़ी योजना की क्यों स्वीकृति दे दी तथा उसने आहुजा एंड कम्पनी नाम की विशेष फर्म को मूल टेंडर में से 2,20,000 रु० कम करने दिया। इसका क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार तथा विकास सम्मेलन 1 फरवरी 1968 को दिल्ली में होगा जिसमें विभिन्न देशों के

2,500 प्रतिनिधि आने की आशा है। इस समय दिल्ली में 1300 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति ठहराने की व्यवस्था नहीं है। अशोका होटल अपनी क्षमता को 2,500 प्रतिनिधियों को एक समय बैठाने तथा एक सम्मेलन कक्ष बनवाना चाहते थे। एक विशेष रेस्तरां बनवाना भी आवश्यक है और इस कारण एक घूमने वाला रेस्तरां बनवाने का विचार किया था।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मेरा कहना यह है कि यह कहना कि तीरथ राम आहुजा को यह काम चुप चाप दे दिया असत्य है। हम इसका खडंन करते हैं। यह सब से कम से दूसरे नम्बर का टेंडर है। अशोका होटल प्रबन्धकों ने इसे स्वीकार कर लिया। मामला प्रधान मंत्री के पास गया। सरकार ने कहा कि इस टेंडर की राशि 2,20,000 रु० कम कराई जाये। ऐसा कर दिया गया। इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या यह सच है कि मैसर्ज आहुजा एंड कम्पनी ने अशोक होटल लिमिटेड को अपने पत्र में कहा कि यदि उनके पत्र तथा ठेके की शर्तों में कोई मतभेद हो तो पत्र की बात मानी जायेगी ? सरकार इसी फर्म की बात मानने को क्यों तैयार थी ? क्या यह सच नहीं है कि आहुजा एंड कम्पनी ने यह संख्या 15, 16, 17 तथा 27 के लिये कोई मूल्य कथन नहीं किया जिसके फलस्वरूप 25 लाख अथवा उससे अधिक और व्यय होगा ?

श्री जगन्नाथ राव : उन मदों के लिए किसी भी टेंडर देने वाले से मूल्य कथन के लिए नहीं कहा था। जहां तक पत्र का उल्लेख है जिसका जिक्र सदस्य महोदय ने किया है उस से कहा था कि वह अपनी शर्तें वापस लें। इन टेंडरों की जांच सलाहकार शिल्पियों से पूछा था और उन्होंने कहा कि तीरथ आहुजा एंड कम्पनी का टेंडर शर्तों के अनुकूल है।

श्री समर गुह : क्या कारण है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए 2.5 करोड़ रु० की बड़ी रकम पर घूमने वाला रेस्तरां बना रही है ?

श्री इकबाल सिंह : इनको हमने ही आमंत्रित किया हैं और यह अमरीकी नमूने पर है। यदि हम अशोक होटल से अधिक धन कमाना चाहते हैं तो यह रियायत देना आवश्यक है।

श्री समर गुह : मेरे पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न में (क), (ख), (ग) आदि भाग लगा कर प्रश्न पूछे गये तो कठिन होगा। प्रत्येक सदस्य एक ही प्रश्न पूछ सकता है।

श्री चितरंजन राय : सरकार के वित्त मंत्री ने इसी सदन में कहा है कि व्यय में कमी की जा रही है, फिर क्या कारण है कि इतना धन व्यय किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि टेंडर के नोटिस सब समाचार पत्रों में नहीं प्रकाशित किये थे बल्कि कुछ छांटे हुए ठेकेदारों को ही वह दिये थे ? क्या यह भी सत्य है कि यह घूमने वाली बुर्जी टेंडर में शामिल कर ली गई है यद्यपि शिल्पी ने इसका नमूना तैयार भी नहीं किया था ?

श्री जगन्नाथ राव : टेंडर के नोटिस सारे देश की 24 फर्मों को जारी किये थे जोकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली तक फैली हुई हैं। टेंडर नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये थे क्योंकि सब फर्मों को वैसे ही टेंडर नोटिस भेज दिये थे। केवल दिल्ली की 6 फर्मों ने टेंडर फार्म खरीदे और इनमें से 5 ने टेंडर भेजे। इसलिए उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

यह टेंडर 10 अप्रैल 1967 को टेंडर प्राप्त हुए तथा प्रबन्धकों ने इसके बारे में निर्णय 20 अप्रैल 1967 को ले लिया। इसलिये कोई छुप कर काम नहीं किया गया है।

श्री म० ला० सौंधी : जी प्रश्न पूछे गये तथा जो उनके उत्तर दिये गये उनसे ऐसा पता लगता है कि यह पद ही भ्रष्टाचार का है। क्या मंत्री महोदय को पता है कि यह ठेका अनिश्चित है तथा अवैध है।

श्री जगन्नाथ राव : हमने ठेकेदार को कोई शर्त नहीं मानी हैं। हमने उससे शर्त हटाने को कहा और वह मान गया। पर ठेका पक्का है तथा इसमें कोई अवैध बात नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : The minister stated that he had [consulted the Prime Minister but I may tell him that regarding contracts the responsibility is always of the Chief Engineer and so I am surprised to listen to i here.

I want to know whether you called those four contractors who gave tenders ? whay did you not give this contract to the person who gave lowest tender ? why did you not reject the conditional tender ?

श्री जगन्नाथ राव : यह ठेका केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का नहीं अपितु अशोका होटल्स लिमिटेड का था जो कि एक स्वयत्त निकाय है। उप प्रधान मंत्री जो कि वित्त मंत्री भी हैं से मेंने अशोका होटल्स के प्रबधन्कों से कहा कि वह ठेकेदार से रकम कम कटायें। जहां तक कम से कम टेंडर की बात है प्रत्येक टेंडर में यह लिखा होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि सबसे कम टेंडर को स्वीकार किया जाये......

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक सदस्य खड़ा होकर प्रश्न करने लगेगा तो सदन का कार्य चलना कठिन हो जायेगा। सूचि में पहले ही 30 व्यक्तियों के नाम हैं

Shri Yajna Datt Sharma : The answer should be correct, We have not come here to waste our time.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : * * *

* * * अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही में से निकाल दिया गया।
Not recorded,

अध्यक्ष महोदय : जो यह कह रहे हैं उसे न लिखा जाये। क्या आप मंत्री महोदय से केवल वह उत्तर चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे। यह संभव नहीं है। मैं मंत्री महोदय को ऐसा करने पर विवश नहीं कर सकता। यदि प्रश्न का उत्तर पूरा न आये तो सदस्य महोदय अथवा उनका नेता खड़ा होकर कह सकता है कि उत्तर नहीं आया। अब हमें मंत्री महोदय का उत्तर सुनना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव : महोदय मैंने प्रधान मंत्री का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो उपप्रधान मंत्री जोकि वित्त मंत्री भी हैं उनसे परामर्श किया था।

सबसे कम टेंडर मैसर्ज उत्तमचन्द दुगल एंड कम्पनी का था परन्तु उनके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सुरक्षा विभाग के साथ जो ठेके का कार्य किया था वह संतोषजनक नहीं था। इसी कारण उसे ठेका नहीं दिया गया तथा उसका ठेका भी नियमानुकूल नहीं था। शिल्पी ने सब ; टेंडरों की जांच की और कहा कि मैसर्ज तीरथराम आहुजा का टेंडर ठीक है और प्रबन्धकों ने उसे मानने को कहा। वैसे प्रबन्धकों को ऐसा करने का अधिकार था परन्तु जब यह मामला सरकार के पास आया तो सरकार ने कहा कि टेंडर देने वाले से कहा जाये कि वह इसमें से 2.02 लाख रु० कम करे और वह इस बात के लिए मान गया।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order. The Minister has not answered the point of Shri Berwa that if the tender is conditional or incomplete it should be rejected. Again he has not replied to what Shri Sondhi wanted to say that the tenderer gave a letter that what he had written in his letter will prevail over the terms of tender.

One thing is clear that there is violation of rules here. Even the P. A. C. in its 50th Report had mentioned and condemned such practices that contract is given only to a few selected firms and no advertisement is given in the newspapers, The Minister should answer all these questions.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो प्रश्न पूछा गया है। यदि आप चाहते हैं तो इस मामले पर चर्चा हो सकती है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय कुछ छुपायेंगे नहीं। परन्तु यह सब नियम से होना चाहिए।

श्री नरेन्द्रनाथ देव : क्या कारण है कि केवल दो तीन दिन के सम्मेलन के लिए इतना धन क्यों व्यय किया जा रहा है ?

श्री जगन्नाथ राव : होटल उद्योग बढ़ने वाला उद्योग है और इसे बढ़ती हुई आवश्यकताओं तथा सुधारों के साथ साथ चलना है।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Is the hon, minister aware of the complaint made to the Prime Minister about the collusion between the ministry of Works and Housing and the contractor and some suggestions have also been made in that regard ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे उसका पता नहीं है।

श्री जे० एच० पटेल : (कन्नड भाषा में बोले)

Shri Madhu Limaye : Sir, there should be arrangement for interpretation. No reply has been given to his question.

अध्यक्ष महोदय . मैं आप से सहमत हूं कि मातृभाषाओं का मान हो। परन्तु मैं 14 भाषाओं के लिए अनुवादक कहां से लाऊं ?

श्री जे० एच० पटेल : (कन्नड़ में बोले)

अध्यक्ष महोदय : यह तो वही प्रश्न है। वह समझे नहीं हैं। अब आप सदन को हंसी का स्थान बना रहे हैं। मुझे इसका खेद है। सदन का मान बनाये रखना चाहिए

श्री कृष्णमूर्ति : प्रश्न तो माननीय सदस्य के अधिकार का है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पसन्द नहीं करता कि सदस्य बार बार खड़े हो जायें और बोलना आरंभ कर दें। माननीय सदस्य अंग्रेजी जानते हैं परन्तु वह जान बूझ कर कन्नड में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री म० ला० सोंधी : मंत्री महोदय अंग्रेजी नहीं जानते। ...... इस सदन में भ्रष्टाचार है। श्री प्रेम किशन भ्रष्ट है। मैं यह बात इस बार कहूंगा ताकि आई० सी० एस० के व्यक्ति समझ सकें।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री सोंधी इस प्रकार व्यवहार करते रहे तो मुझे कुछ करना होगा। श्री सोंधी समझते हैं कि केवल वह ही अंग्रेजी समझते हैं, मंत्री महोदय नहीं समझते। यदि वह इसी प्रकार व्यवहार करते रहे तो मुझे उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी।

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है हमें इसका हल तलाश करना होगा। यहां सदन में इसके बारे में चिल्लाने से कार्य नहीं चलेगा। एक बार दलों के नेताओं से इस बारे में बात भी की थी कि हम देश की 14 भाषाओं के अनुवाद का प्रबन्ध करें। परन्तु देखना यह है कि क्या इसको कार्यान्वित भी किया जा सकता है। यह कार्य टेक्नीकल व्यक्तियों का है और जब तक ऐसा नहीं होता हमें संतोष से काम लेना होगा। मैं उन 20 या 30 सदस्यों की कठिनाई को अनुभव करता हूं जिन्हें न हिन्दी आती है और न ही अंग्रेजी आती है। हम चाहते हैं कि वे भी कार्यवाही को समझे। हम इसके बारे में कल ही बात कर सकते हैं तथा संसद कार्य मंत्री को भी बुला लें कि वह हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। यह निर्णय हो गया है कि ऐसे प्रत्येक भाषण का टेप-रिकार्ड किया जाये और इसका फिर अनुवाद किया जाये और दूसरे दिन सदस्य महोदय को दे दिया जाये। परन्तु यदि कोई कहे कि सारी 14 भाषाओं का अनुवाद किया जाये तो यह असंभव है। अब इसके बारे में हम कल बात चीत करेंगे।

श्री कन्डप्पन : मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आप इसे नहीं उठा सकते। अब कल इस बारे में बैठक होगी। सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाये।

Shri M.A. Khan. I have a point of order'

अध्यक्ष महोदय : मैं ने और किसी को भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने दिया है तो आपको यह विशेष अधिकार कैसे दूं ।

अब मैं मूल प्रश्न के बारे में यह कहूंगा कि यदि आप चाहते हैं तो हम आधे घंटे की चर्चा रख सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी ऋण

*516. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी ऋणों का ब्याज चुकाने से भारत की काफी मुद्रा खर्च हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप **प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख) विदेशी ऋणों को चुकाने के लिए, जिसमें ब्याज अदा करना भी शामिल होता है, भारत द्वारा कमाई बहुत अधिक विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजनी पड़ती है । इससे विकास के लिये मिलने वाले साधन स्वभावतः कम हो जाते हैं । इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सहायता संघ से अनुरोध किया गया है कि वह गैर-प्रायोजना सहायता के सिलसिले में और एक प्रकार की गैर-प्रायोजना सहायता के तौर पर ऋण की अदायगी के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के किसी रूप पर विचार करे, ताकि वास्तव में देश में आने वाली सहायता में वृद्धि की जा सके, सहायता की रकम जल्दी से ली जा सके और देश के साधनों के उपयोग में लचीलेपन को बढ़ाया जा सके ।

Indigenous Systems of Medicines

*518. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri Ranjit Singh :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state ;

(a) whether there is any scheme to raise the standard of indigenous systems of medicines and to make them popular;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the manner in which it is being implemented ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Schemes have been included in the successive Five Year Plans both in the Central and State sectors or the development of the indigenous systems of medicine.

(b) and (c) A statement is laid on the table of the Sabha. [**Placed in Library see No. LT-667/67**]

योजनाएं बनाने के लिए भेजे गये आंकड़े

***519. डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि योजनायें–विशेषकर अनाज के उत्पादन की योजनायें–बनाने के लिये विशेषज्ञों को भेजे गये गलत आंकड़ों के कारण हमारी आयोजन कमजोर तथा गलत रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेंकों द्वारा छोटी राशि वाले नोटों को लेने से इन्कार करना

***520. श्री राम मूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि कुछ बैंक छोटी राशि वाले नोटों को लेने से इन्कार करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस शिकायत पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) बैंकों द्वारा छोटी रकमों के नोट लेने से इन्कार किये जाने या ऐसे नोटों के स्वीकार किये जाने पर उनके द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के बारे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों को जो शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच-पड़ताल करने पर पता चला है कि ऐसे नोट लेने से शायद ही कभी इन्कार किया गया हो। सुरक्षित कोठों में स्थान की कमी और

कर्मचारियों की कमी होने के कारण, कुछ बैंकों ने छोटी रकमों के नोटों को, खास तौर पर ज्यादा कामकाज के घण्टों में, स्वीकार करने पर, इस कारण कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये थे कि वे अपने बहुत से असामियों द्वारा दी जाने वाली रकमों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाई कर सकें। यह बात भी देखने में आई कि अधिकतर मामलों में, छोटी रकमों के नोटों में दी जाने वाली राशियों को सीमित रखने के उद्देश्य से, बैंकों ने अपने असामियों का सहयोग भी मांगा था।

(ग) रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों से कहता रहा है कि जहां तक सम्भव हो इस प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाने की व्यवस्था की जाय। जिन मामलों में, बैंकों की एजेंसियों द्वारा लगाये गये इसी तरह के प्रतिबन्धों के कारण, बैंकों को प्रतिबन्ध लगाने पड़ते हैं, वहां वे खुद भी अपनी एजेंसियों को उन सब कठिनाइयों को दूर करने की कार्यवाई करने की हिदायतें देते रहे हैं, जिनका अनुभव बैंकों को होता है।

रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक द्वारा स्वतन्त्र रूप से काम करना

521. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक को स्वतन्त्र आधार पर गठित करने के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है ताकि वे बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के राज्यों के साथ ऋण दाता-ऋणी के आधार पर व्यवहार कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी नहीं। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक विशेष अधिनियमों के अधीन गठित किये गये हैं, और इस प्रयोजन के लिए उनके पुनर्गठन का प्रश्न नहीं उठता।

अशोधित तेल का उत्पादन तथा शोधन

*522. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोधित तेल के उत्पादन तथा शोधन का लक्ष्य अब तक पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा 50 लाख टन तेल के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां। तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के हवाले से।

(ख) बरौनी और कोयाली शोधनशालाओं को पूरे होने तथा उनके लिए अपेक्षित कच्चे तेल की प्रक्रिया में मुख्यत: देरी के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में कमी थी। उपर्युक्त देरी तथा कोचीन शोधनशाला के भी शुरू होने में देरी के कारण शोधन लक्ष्य प्राप्त न हो सका।

इस समय देशीय कच्चे तेल का उत्पादन प्रति वर्ष 5 मिलियन मीटरी टन की दर से भली भांति अधिक है।

कोसी परियोजना

*523. **श्री देवेन सेन :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये : **श्री केदार पस्वान :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना की क्रियान्विति के मामले में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना से कितनी भूमि की सिंचाई होती है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना धन व्यय हो चुका है;

(घ) इस योजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कोसी परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित होने के लिए स्वीकार हुई है। परियोजना के प्रथम चरण में बराज, बाढ़ तटबन्ध और पूर्वी कोसी नहर प्रणाली शामिल हैं। बराज पूर्ण हो चुका है। बाढ़ तटबन्ध का कार्य भी, पूर्वी ओर के तीन स्लूसिस को छोड़कर पूर्ण हो चुका है। पूर्वी कोसी नहर में 96 प्रतिशत मिट्टी का कार्य अभी तक हुआ है।

कोसी परियोजना के दूसरे चरण में बिजली घर, राजपुर शाखा नहर प्रणाली और पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण सम्मिलित है। कोसी बिजली घर के कार्यों का निर्माण प्रौढ़ावस्था में है। यूनिट नं० 4 के दिसम्बर, 1967 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। यूनिट नं० 3 मुख्य भाग स्थल पर प्राप्त हो चुके हैं। इस यूनिट और यूनिट नं० 1 और 2 के प्रतिष्ठापन के लिए अपेक्षित इन्शोलेशन उपस्कर को जापानी फर्म से आयात किया जाना है और इसके लिए विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दे दी गई है। राजपुर शाखा नहर पर कार्य पूर्ण प्रगति पर है। इसमें निहित 51·05 करोड़ घन फुट के कुल मिट्टी के कार्य में से 44·48 करोड़ घन फुट कार्य किया जा चुका है। जनवरी, 1967 के शुरू में नेपाल सरकार की आज्ञा प्राप्त होने पर पश्चिमी कोसी नहर के लिए नेपाल के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य हाथ में लिया जा चुका है। नदी के भाग के परे नेपाल क्षेत्र में 101·70 आर० डी० लम्बी इस नहर का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है।

(ख) पूर्वी कोसी नहर से 1966–67 की खरीफ ऋतु में 2 लाख एकड़ की, रबी ऋतु में 2 लाख एकड़ की और ग्रीष्म ऋतु में 40,000 एकड़ की सिंचाई की गई।

(ग) विस्तारों और चरण–2 समेत इस परियोजना पर लगभग 73 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

(घ) पूर्वी कोसी नहर प्रणाली को पूर्ण रूप से चालू करने में देरी को छोड़कर इस परियोजना को कार्यान्वित में कोई खास देरी नहीं हुई है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली को

पूर्णतः काम में न लाया जा सका क्योंकि मुख्य नहर में बिजली घर का निर्माण करना है। बिजली घर के काम में मुख्यतः देरी इसलिए हो गई क्योंकि 1965 की लड़ाई में सामान पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था।

(ड) इस योजना का चरण–1 लगभग पूरा हो गया है। समय-समय पर इसमें अमल किये गये विस्तार कार्य प्रगति पर है। पश्चिमी कोसी नहर को छोड़कर, जो चौथी योजना में पूरी होगी, इस सारी परियोजना के चौथी योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश की अर्थोपाय की स्थिति

***524. श्री नीता राज सिंह चौधरी :** **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री लखन लाल गुप्त :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार को प्रशासनिक कारणों से राज्य में बैंकिंग का कारोबार न करने वाले खजानों में 1 करोड़ से लेकर 1·50 करोड़ रुपये तक की राशि जमा रखनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी भी समय राज्य सरकार के 3 करोड़ रुपये से लेकर 8 करोड़ रुपये तक की प्रतिपूर्ति के दावे केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को भुगतान किये जाने के लिए निलम्बित पड़े रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय पेशगी की निर्धारित राशि को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मध्य प्रदेश सरकार बैंक का कारोबार न करने वाले खजानों तथा उप-खजानों में इतनी राशि सामान्यतः रखती है।

(ख) वर्ष 1966–67 के दौरान राज्य सरकार को दिये गये आयातित अनाजों का मूल्य 17·60 करोड़ था, परन्तु वर्ष के अन्त में जमा ऐसे कुल अनाज का कितना मूल्य था, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार के ऊपर राज्य सरकारों की 3 करोड़ रुपये से अधिक की कोई राशि बकाया नहीं जिसका केन्द्र ने एक लम्बे समय में भुगतान न किया हो।

(ग) राज्य सरकार और भारत के रिजर्व बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार रिजर्व बैंक राज्य सरकार के लिये महाजन के रूप में कार्य करता है तथा बैंक द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली आर्थोपाय-अग्रिम राशि बातचीत के माध्यम से निश्चित की जाती है वैसे हाल ही में अर्थोपाय-अग्रिम राशि की सीमा बढ़ा दी गई है।

उर्वरकों की कमी

***525. श्री वासुदेवन नायर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उर्वरकों की कितनी कमी है; और

(ख) इसको पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कथित कमी का आशय सम्भवता देशीय उत्पादन से है। वर्ष 1967–68 के दौरान, 1·350 मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन और 0·500 मिलियन मीटरी टन पी० 2 ओ 05 के मुकाबले में उत्पादन क्रमशः 0·525 मिलियन मीटरी टन और 0·305 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) मांग के शेष भाग को आयात द्वारा पूरा किया जायेगा।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लि०, अल्वाय को हुआ घाटा

***526. श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाय स्थित सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लि० को 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले 2 वर्षों में 1,18,68,000 रुपये का घाटा हुआ;

(ख) क्या इस घाटे के विभिन्न कारणों का पता लगाने के लिए सरकार का विचार एक जांच समिति नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्योंकि घाटे के कारण भली प्रकार मालूम है; एक समिति की नियुक्ति से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

राज्यों में बिजली की दर

527. श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों में तुरन्त बिजली की दरें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हाल में विश्व बैंक ने बिजली की दरें बढ़ाने का सुझाव दिया था ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति पर गौर करने और विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के राजस्व तथा बिजली कर से होने वाली आमदनी में सुधार लाने के तरीके सुझाने के लिए अप्रैल, 1964 में भारत सरकार ने मद्रास के तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री आर० वेंकटरमन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने, अन्य सुझाओं के साथ-साथ, निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) सभी राज्य बिजली बोर्डों के ध्येय का प्रथम चरण यह होना चाहिए कि वे प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रसार, सामान्य तथा मूल्य ह्रास के रिजर्व के अंशदान तथा ऋण पूंजी पर ब्याज के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त अधिक राजस्व प्राप्त करें। जिन बोर्डों ने अभी तक यह नहीं किया है वे तीन से पांच वर्षों के अन्दर इस ध्येय की पूर्ति के लिए प्रयत्न करें।

(2) (क) ध्येय की द्वितीय चरण के रूप में, बोर्डों की पूंजी आधार पर 3 प्रतिशत का वास्तविक लाभ निकालते हुए प्रथम चरण में निर्धारित सभी खर्चों को पूरा करके राजस्व का कुछ भाग बचाने का लक्ष्य रखना चाहिये (समिति के अनुसार यह लाभ राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये बिजली करों, परिचालन और रख-रखाव के खर्च, मूल्य ह्रास की गणना करने पर लाभ की राशि 11 प्रतिशत बैठेगी अर्थात् 6 प्रतिशत ब्याज 3 प्रतिशत वास्तविक लाभ, 3 प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि तथा $1\frac{1}{2}$, प्रतिशत बिजली कर।

(2) (ख) जिन बोर्डों ने प्रथम ध्येय को पूरा कर लिया है, उन्हें द्वितीय ध्येय को पूरा करने की ओर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए तथा अन्य बोर्डों को चाहिए कि वे अपने प्रथम ध्येय को पूरा करने के बाद उससे 5 वर्षों के अन्दर द्वितीय ध्येय को पूरा करने की ओर ध्यान देंगे।

चूंकि बिजली सप्लाई उद्योग में बहुत पूंजी लगती है तथा इन पूंजियों से अधिकाधिक लाभ कमाना आवश्यक है इसलिये यह अनुभव किया गया कि समिति की सिफारिशों को न्यूनतम समझकर कार्यान्वित किया जाए तथा और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हर प्रयत्न किया जाए। इस उद्योग में नई पूंजी लगाने के लिए साधनों को बढ़ाने के हेतु यह आवश्यक समझा गया कि इन पूंजियों पर त्वरित लाभ प्राप्त हो। राज्य सरकारों/राज्य बोर्डों से सलाह के बाद इन सिफारिशों को मान लिया गया।

बिजली पारेषण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 1965 में हुए 700 लाख डालर के ऋण के समझौते की एक शर्त यह भी थी कि राज्य बोर्ड सभी आवश्यक पग उठाएं जिससे वे यथा-शीघ्र राजस्व कमाएं और लगाई गई अपनी पूंजी पर उचित लाभ प्राप्त करें। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि लाभ की दर राज्य बिजली बोर्डों की व्यवस्था पर वेंकटरमन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार होगी। ऋण समझौते में परिकल्पित लाभों की प्राप्ति के

लिए बिजली की दरों में कुछ वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। विश्व बैंक ने दरों की वृद्धि के सम्बन्ध में कोई विशेष सुझाव नहीं दिये हैं।

शीरे की कमी

*528. डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री काशीनाथ पाण्डे :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, आसवनियों (डिस्टलरीज) में स्पिरिट तैयार करने के लिए शीरे की अत्यधिक कमी की शिकायत है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) शीरा खाँड-उद्योग का उपोत्पाद है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों में विशेष-रूप से सूखे की स्थिति के कारण चालू खाँड मौसम असामान्य रूप से खराब रहा। इसके अतिरिक्त गन्ने की खेती के लिए कृषि-भूमि में कमी और गुड़ एवं खांडसारी के बनाने की कमी ने भी इसमें योगदान दिया। स्थिति को सुधारने के लिए एलकोहल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और विदेशी प्रदायकों के साथ पहले से ही किये गये अप्रति संहार्य ठेकों (Irrevocable commitments) के स्तर पर शीरे के निर्यात को प्रतिबन्धित किया गया है। एल्कोहल पर आधारित उद्योगों को मुख्यतः चालू रखने की दृष्टि से एल्कोहल के आयात को भी अधिकृत किया गया है। कमी वाले प्रदेशों को शीरे की सप्लाई के लिए फालतू शीरे को उपलब्ध करने के यत्न किये जा रहे हैं। आगामी खांड मौसम के दौरान में गन्ने का उत्पादन और तदनुरूप शीरे में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

Strike by O. N. G. C. Employees

*529. **Shri Bramhanandji :**
Shri Humkam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Oil and Natural Gas Commission working at the project at Cambay and Nawagaon have launched a strike for an indefinite period;

(b) if so, the causes of the strike and the extent of the resultant loss; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b) The Manager, Cambay-Nawagaon Project received a strick notice

on 23-5-1967 from the Chairman, ONGC Employees Mazdoor Sabha, Nawagaon Branch that workers of Nawagaon wing of the Cambay-Nawagaon Project will go on stricke with effect from 24-5-67 to enforce the following demands :

(1) Payment of uniform rate of House rent allowance at 15% of pay to all the employees posted in Nawagaon Project.

(2) Regularisation of contingent staff against regular posts in Class III and IV cadres.

(3) Providing ice at drill site, office and workshop.

(4) Payment of "bad climate" allowance to the employees posted in Nawagaon project.

The employees accordingly struck work from 00 hours on 24-5-67. The strike was, however, called off unconditionally at 6 A.M. on 25-5-1967. There has been no known loss.

(c) The demands are under examination by the ONG Commission.

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

***530. श्री श्रीचन्द गोयल : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री बलराज मधोक : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों द्वारा दिये गये परियोजना ऋणों की 244 करोड़ रुपये से अधिक राशि का उपयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना विधि में नहीं किया गया;

(ख) क्या इन ऋणों के मिलने की अवधि अब बीत चुकी है; और

(ग) इस राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण थे तथा सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में ऐसा न हो ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चालू प्रायोजनाओं से सम्बन्धित प्रायोजना-ऋणों की वह रकम, जो तीसरी आयोजना की अवधि के अन्त तक नहीं ली गयी, 444·31 करोड़ रुपया थी।

(ख) और (ग) जी नहीं। ऋणों से रकमें तभी ली जा सकती हैं, जब विदेशों से माल मंगाया जाता है और उसके लिये अदायगी की जाती है। प्रायोजनाओं के लिये उपकरणों, संयंत्रों और मशीनों का आयात, प्रायोजना के निर्माण के दौरान, स्थापना और निर्माण के कार्यक्रम के अनुसार, समय-समय पर किया जायगा। इस प्रकार, प्रायोजना-ऋण की रकम लेने में, आम तौर पर उतना समय लग जाता है जितना प्रायोजना के निर्माण में लगता है। ऋणों को लेने की आखिरी तारीखें निश्चित करने में इस अवधि का भी विचार किया जाता है। इसलिए ऋणों की रकमें मिलने की अवधि पहले ही निकल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

तेल का आयात

***531. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1947 से तेल के आयात पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। क्या आगामी 6–7 वर्षों में उतनी और राशि खर्च की जाने वाली है; और

(ख) विदेशी मुद्रा कम खर्च करने तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करने की नीति अपना कर अनावश्यक आयात कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1948–49 से 1966 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादनों और कच्चे तेल की आयात पर लगभग 1,555 रुपये खर्च हुए, परन्तु अगले 6–7 वर्षों में इन मदों की आयात के बिल में भारी कमी होने की आशा है।

(ख) देशीय कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और देश में अतिरिक्त शोधक क्षमता स्थापित की जा रही है।

भूमि सुधार कार्यान्वयन समिति

***532. श्री क० हाल्दर :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की भूमि सुधार कार्यान्वियन समिति की सिफारिशों को जल्दी क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई समय-सीमा निश्चित करने का है ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) समिति ने भूमि सुधारों के क्रियान्वयन सम्बन्धी विचार राष्ट्रीय विकास परिषद की 21 अगस्त, 1966 को हुई बैठक में पेश किये थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में समिति की सिफारिशों को सामान्य रूप से ले लिया गया है और इस आशा के साथ राज्य सरकारों का ध्यान उनकी ओर दिलाया है कि वे उन सिफारिशों के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करेंगी।

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में लाभ पूरा किया जाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

स्कूल जाने से पहले की आयु वाले बच्चों का कुपोषण

***533. श्री अदिचन :**
श्री मेघ चन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि एक से छः वर्ष की स्कूल जाने से पहले की आयु के बच्चों का कितना कुपोषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) ऐसे बच्चों के पोषण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले बच्चों में पाये जाने वाले कुपोषण की मात्रा के निर्धारण के लिए राज्य स्वास्थ्य विभागों तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं ने सारे देश में बहुत से सर्वेक्षण किये हैं ।

(ख) इन सर्वेक्षण से, स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले 1–6 वर्ष तक के बच्चों में, विभिन्न प्रकार की पोषण सम्बन्धी कमियों का पता चला है । मुख्य कमियां जो पाई गई हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. प्रोटीन–केलौरी कुपोषण;
2. विटामिन 'ए' की कमी;
3. विटामिन 'बी' कम्पलैक्स की कमी; और
4. लोहे की कमी से रक्त क्षीणता ।

(ग) स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिये निम्नलिखित उपाय बरते जाते हैं :—

1. विभिन्न एजन्सियों की सहायता से चलने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम के अनुपूरक आहार दिया जाता है:–

   (क) व्याहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत आहार देना

   (ख) बाल वाड़ियों के जरिये आहार देना

   (ग) केअर फीडिंग प्रोग्राम

   (घ) यूनिसेफ दुग्ध आहार कार्यक्रम

2. माताओं को पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना ताकि वे अपने बच्चों को पोष्टिक आहार देने के लिए आम उपलब्ध सस्ते खाद्यों का उपयोग कर सकें ।

3. प्रसूति एवं बाल कल्याण केन्द्रों के जरिये कुपोषण की प्रारम्भिक अवस्था के रोगियों का उपचार करना ।

दिल्ली में बाढ़ नियन्त्रण

*534. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आने वाली वर्षा ऋतु में दिल्ली बाढ़ तथा पानी भर जाने से होने वाली क्षति से बचाने के लिए क्या पूर्वोपाय किये गये हैं;

(ख) उन पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दिल्ली में बाढ़ों के दो मुख्य कारण हैं:—नजफगढ़ नाला और यमुना नदी। 1964 में दिल्ली को यमुना की अपेक्षा नजफगढ़ नाले से अधिक हानि पहुंची। तब से नजफगढ़ के नाले को चौड़ा और गहरा कर दिया गया है और पुलों के नीचे जब मार्ग को बढ़ा दिया गया है। काफी बड़े जल मार्गों वाले कुछ नये पुल भी बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त ढासा बांध से कक्रौला तक 500 क्यूसेक क्षमता का भी एक जल मार्ग होगा। 1964 में नजफगढ़ नाले की क्षमता 900 क्यूसेक थी, इसके प्रति अगामी मानसून ऋतु में इसकी क्षमता 3000 क्यूसेक होगी। इस प्रकार यह नाला पहले की अपेक्षा बाढ़ पानी को यमुना तक अच्छी तरह से ले जायेगा और दिल्ली के ग्रामीण व शहरी इलाके क्षति से बच जायेंगे।

यमुना के बांये तट पर लोनी के निकट से लेकर रेल पुल के लगभग 8 मील प्रतिस्रोत, ओखला तक, बाढ़-तट बनाये गये हैं। दांये तट पर जी० टी० रोड अपने पश्चिम की ओर के इलाकों को थोड़ी बहुत रक्षा करती है। पल्ला बंध, भुखमेलपुर बंध, शाहआलम बंध, बुरारी बंध, टाई बंध, यमुना बाजार की दीवार और बंध, मुगल बंध, पावर हाउस बंध, मलेरिया बंध, डोवल बंध इत्यादि नाम के कई और बंध है जो दिल्ली के ग्रामों और शहरी इलाकों में स्थान विशेष की सुरक्षा करते हैं। बाढ़ ऋतु में इन सब की देखभाल की जाती है और दिन रात गश्त लगाई जाती है।

मंगेशपुर, नंगलोई इत्यादि जैसे अन्य बहुत से नालों को आवर्द्धित निस्सार के लिए दुबारा बना दिया गया है। व्यपवर्तन नाला नं० 8 को जिसमें दरारों के कारण पहले बाढ़ आई थी, नवरूपित किया गया है और इसके दक्षिण तट की, बाढ़ ऋतु में 24 घण्टे गश्त की जाती है। बवाना निकास नाली और नाले नं० 6 के नवरूपमा का काम भी आरम्भ हो चुका है और कुछ पहुंचों पर बाढ़ ऋतु से पहले ही काम पूरा हो जायेगा। इस नालों के तटों पर भी गश्त की जा रही है।

दिल्ली में बाढ़ संकट का सार्थक रूप से मुकाबला करने के लिए एक स्थायी समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष दिल्ली के उप-राज्यपाल हैं। इस समिति के सदस्य ये हैं:—पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली नगर निगम आयुक्त, आवास आयुक्त, उप आयुक्त सिविल सुरक्षा निदेशक और कमाण्डेंट जनरल, होमगार्ड और सेना का एक प्रतिनिधि तथा दिल्ली प्रशासन के अन्य अधिकारी।

(ख) दिल्ली में बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास कार्यों पर तीसरी योजना में लगभग 2·8 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 1966-67 में लगभग 86 लाख रुपये व्यय हुए। 1967-68 के लिए प्रस्तावित व्यय 96 लाख रुपये हैं।

(ग) यमुना नदी के साथ-साथ के बंध दिल्ली के शहरी क्षेत्रों तथा बंध के भू-भाग की ओर के ग्रामीण इलाकों और ग्राम्यों की सुरक्षा करते हैं। अलीपुर खंड के बंधों से स्थान विशेष की

भी सुरक्षा होती है। नजफगढ़ कांझेवाला और अलीपुर खंडों में जल निकास अवरोध का प्रचुर निराकरण किया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश में पेय जल की कमी

*535. **श्री पार्थसार्थी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र में कुड्डापा (राजन पेट तथा राजचोटी ताल्लुक), चित्तूर (मोदनपल्ली, व्यालपाडा तथा चन्द्रगिरी ताल्लुक) और अनन्तपुर (कादिरी तालुक) के कुछ भागों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस कमी के बारे में अभ्यावेदन दिया है और उसने पानी की कमी की समस्या को हल करने के लिये धन की तथा बिजली से चलने वाले ड्रिलों की मदद देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) 1966 में आन्ध्र प्रदेश सरकार से चित्तूर और अनन्तपुर जिलों के सूखा ग्रस्त होने की सूचना मिली थी। कुड्डपा जिले में ऐसी कोई कमी नहीं बतायी गई थी।

(ख) राज्य सरकार ने सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में जलपूर्ति योजनाओं के लिए 21·83 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुरोध किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय को बिजली से चलने वाले ड्रिलरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

(ग) एक विवरण सभा का पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कतिपय म्युनिसिपल टाउनों में पीने के पानी की कमी की पूर्ति सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 21·83 लाख (बाद में संशोधित 21·54 लाख रुपये) तक की आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनकी यह सहायता उनके प्लान सीलिंग के अतिरिक्त होनी चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया कि राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम केन्द्र सहायियत योजना है अतः सम्बन्धित राज्य सरकारों को प्लान सीलिंग के अन्तर्गत ही इस पर होने वाले सारे खर्च की व्यवस्था करनी होगी। अतः उनसे कहा गया कि वे राज्य की चौथी योजना के प्लान सीलिंग में से अपेक्षित खर्च की पूर्ति कर लें और सामान्य कार्यविधि के अनुसार केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध करें। वित्त मंत्रालय (सामान्य विभाग) ने 1966–67 में आन्ध्र प्रदेश सरकारों को सहायता कार्यों के लिए 2.00 करोड़ रुपये का ऋण और 50 लाख रुपये का सहायतानुदान मंजूर किया था। राज्य सरकार को यह भी सुझाया गया है कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सहायता उपाय बरतने के लिए उसे जितना धन की

आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति वह वित्त मन्त्रालय द्वारा दी गई सहायता में से कर सकती है, राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बतलाया है कि सूखा सहायता कार्य के लिए उनको जो 2.5 करोड़ रुपये दिये गये थे वे सहायता कार्यों में खर्च हो गये हैं और जलपूर्ति की व्यवस्था के लिए नगरपालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें से नहीं हो सकी है। उनको फिर यह बतला दिया गया है कि प्लान सीलिंग के अतिरिक्त भारत सरकार उन्हें और सहायता नहीं दे सकेगी। उन्हे चाहिए कि वे इस खर्च को अपने योजना आवण्टन में से ही पूरा करने के लिए उचित कार्यवाही करें।

मूल्यों में वृद्धि

* **536. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य विशेष रूप से सिगरेट, चाय, काफी, कपड़ा, जूते आदि के, जिन पर चालू वर्ष के बजट में शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया है, बजट प्रस्तावों की घोषणा के तुरन्त बाद फुटकर बाजार में अनधिकृत रूप से बहुत अधिक बढ़ा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो लोकप्रिय किस्म की इन विभिन्न वस्तुओं के मूल्य कहां तक पहुंच गये हैं तथा ये मूल्य पहले मूल्यों की तुलना में कितने है ; और

(ग) फुटकर बाज़ार में मूल्यों को आवश्यक रूप से बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उल्लिखित किस्म की कोई शिकायत सरकार कों नहीं मिली है। लेकिन चाय, काफी तथा जूते जैसी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के खिलाफ सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) चाय, काफी तथा जूतों आदि जिन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है अथवा दोबारा लगा दिया गया है उनकी बजट से पूर्व की तथा बजट से बाद की अवधियों की कीमतों के स्तर को दिखाने वाला एक विवरण-पत्र अनुबन्ध में दिया हुआ है, जो सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 668/67]**

(ग) इस समय ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह लगे कि फुटकर बाजार में कीमतों में सहसा कोई वृद्धि हो गई है। लेकिन स्थिति की बराबर समीक्षा की जारही है और जैसे ही तथा जब भी आवश्यक होगा स्थिति को सुधारने के लिए उपाय किये जाएंगे।

राजस्थान में बिजली की स्थिति

* **537–श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषत: कोटा खण्ड में जहां भारी तथा महत्वपूर्ण उद्योगों की बहुतायत हैं, सामान्यत: बिजली की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण वहां औद्योगिक विकास की गति में बाधा पड़ रही है ; और

(ग) यदि हां तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राजस्थान में लगभग 20 लाख यूनिट प्रतिदिन की मांग के प्रति राज्य के सभी सूत्रों से प्राप्त बिजली अभी लगभग 10·6 लाख यूनिट तक सीमित है। कोटा क्षेत्र में 5.5 लाख यूनिट की माँग के प्रति प्राप्ति 3.9 लाख यूनिट की है।

(ख) राजस्थान में बिजली की कमी से औद्योगिक प्रगति में रुकावट पड़ रही है।

(ग) राजस्थान में बिजली सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) मध्य प्रदेश की कोरबा-अमरकण्टक प्रणाली से एक लाख यूनिट प्रतिदिन की मात्रा में बिजली का आयात।

(2) कोटा में गैस टर्बाइन यूनिट में ईन्धन के रूप में काम आने वाले तींव्र गति डीजल पर 55% तक उत्पादन शुल्क की छूट प्राप्त करने के पश्चात् यूनिट को पुन: चलाना। इस गैस टर्बाइन की क्षमता लगभग एक लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पन्न करना हैं।

(3) सतपुरा तापीय बिजली घर के जनित्र यूनिटों के प्रचालन में तथा सतपुरा बिजली के राजस्थानी भाग के प्रेषणार्थ इटारसी से बरवाह तक पारेषण लाइन के निर्माण में शीघ्रता जैसी कि आशा है, जुलाई, 1967 के अन्त तक सतपुरा के प्रथम 62·5 मैगावाट यूनिट के चालू हो जाने से राजस्थान के कोटा क्षेत्र में लगभग 3 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध हो जाएगी। दूसरे जनित्र यूनिट के प्रचालन और पारेषण लाइन की क्षमता बढ़ जाने से दिसम्बर. 1967 तक राजस्थान 6 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन लेने की स्थिति में हो जाएगा।

(4) बल्लभगढ़ से अलवर तक 132 के० वी० पारेषण लाइन डालने की स्कीम कार्यान्वित के लिए स्वीकार हो गई है। पूर्ण होने पर यह राजस्थान को दिल्ली से लगभग 3 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली लेने की स्थिति में ला देगी।

(5) हिसार से जयपुर तक की 220 के० वी० लाइन के निर्माण में शीघ्रता लाई जा रही है और इसके 1968 के अन्दर तैयार हो जाने की आशा है। इस लाइन द्वारा भाखड़ा नांगल प्रणाली से बिजली का भारी मात्रा में पारेषण किया जा सकता है।

भाखड़ा बांध में विद्युत जनित्र (जनेरेटर)

*** 538. श्री यशपाल सिंह : श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री राम गोपाल शालवाले : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह अग्रवाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध के जलाशय में पानी की सतह अत्यधिक कम होने के कारण भाखड़ा बांध में बिजली तैयार करने पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या अन्य प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मई, 1967 के महीने सतलज नदी में अन्तर्प्रवाह के असाधारणतः कम होने के कारण जलाशय स्तर कम हो गया और वहां से पानी के निकास पर पाबन्दी लगाना आवश्यक हो गया । इससे भाखड़ा जनित्रों से बिजली के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चन्डीगढ़ में स्थिति सभी तापीय व डीजल उत्पादन सैटों को इस क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिए चलाया गया । 2 जून, 1967 से नदी के पानी की सप्लाई स्थिति ठीक हो जाने के कारण भाखड़ा जनित्रों से बिजली उत्पादन की व्यवस्था आम जैसी हो गई हैं ।

स्टेट बैंक आफ इन्डिया के पर्यवेक्षक कर्मचारी (सुपरवाइजरी स्टाफ)

*** 539. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री देवेन सेन :
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्डिया के प्रबन्धकों तथा उसके पर्यवेक्षक कर्मचारियों के बीच जो 5,500 से भी अधिक हैं, कोई विवाद चल रहा है ;

(ख) क्या स्टैट बैंक के पर्यवेक्षक कर्मचारियों ने "नियमानुकूल काम करने" की धमकी दी है ; और

(ग) क्या इस अनिर्णित विवाद को हल करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) : अखिल भारतीय राज्य बैंक पर्यवेक्षण कर्मचारी संघ द्वारा मई, 1966 में पेश की गयी मागों के सम्बन्ध में संघ और राज्य बैंक के प्रबन्धकों में बात-चीत चल रही है और कई मांगों को पूर्णतः या आंशिक रूप से पूरा कर किया गया है । बाकी मांगों पर बात-चीत अभी चल रही है ।

(ख) संघ ने अपने सदस्यों को, 1 जून, 1967 से, कुछ निर्धारित घंटे ही काम करने को कहा है और कुछ सदस्य उस तारीख से संघ द्वारा निर्धारित घंटे ही काम कर रहे हैं ।

योजनाओं में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रो के लिए निर्धारित लक्ष्य

*** 540. श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन योजनाओं में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितनी पूंजी लगाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ;

(ख) उन तीनों योजनाओं के दौरान ये क्षेत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों से कितने पीछे रहे अथवा कितने आगे बढे ; और

(ग) परिकल्पित आयोजना के सन्दर्भ में उनके अपने अपने लक्ष्य क्या क्या हैं, जिन्हें सरकार आर्थिक समृद्धि के लिये आवश्यक समझती है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाजकल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) एक वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 669/67]**

वक्तव्य में गैर सरकारी क्षेत्र में निवेश के लक्ष्यों के अधीन गैर सरकारी क्षेत्र के लिये सम्भावित और/या वांछनीय पूंजी का मोटा अनुमान दिया गया है । स्थिर मूल्य पर दिखाये गये लक्ष्य आंकड़ों की वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुमानित निवेश के वास्तविक आंकड़ों से तुलना नहीं की जा सकती । मूल्यों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पहली और दूसरी योजनाओं में योजना के लक्ष्य कुल वास्तविक निवेश के समान हो रहे, और तीसरी योजना में वे कुछ कम रहे ।

(ग) चौथी योजना के प्रारूप के दूसरे अध्याय "आत्म-निर्भरता और भावी विकास" में अपेक्षित निवेश के प्रश्न पर विचार किया गया है । तथा तत्सम्बन्धी अतिरिक्त आंकड़े 'सामग्री तथा वित्तीय शेष राशि' में दिये गये हैं । भावी विकास के सन्दर्भ में चर्चा की गई है और प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय को लगातार और संतोषप्रद रूप से बढ़ाने पर बल दिया गया है, ताकि देश विदेशी सहायता के ऊपर अनावश्यक रूप से निर्भर न रहे ।

जब तक आर्थिक विकास की वह न्यूनतम दर, जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से समर्थ हो, निश्चित नहीं की जाती, तब तक 'टेक आफ' की स्थिति की संकल्पना ही अस्पष्ट रहती है ।

गांवों तथा नगरों के लिये पेय जल संभरण योजनायें

2484. श्री बाबूराव पटेल : **श्रीमती अगमदास गुरु मिनीमाता :**
श्री हुकम चन्द्र कछवाय : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री रामसिंह अग्रवाल : **श्री गं० चं० दीक्षित :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों तथा नगरों, दोनों के लिये पेय जल संभरण की कितनी योजनायें इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) इनमें से कितनी योजनायें मध्य प्रदेश की हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इन योजनाओं में से आदिम जातीय क्षेत्र के लिये बनाई गई कुछ योजनाओं की शीघ्र मंजूरी दी जाने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) 31 मई, 1967 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन 11 देहाती और 15 नगर जल पूर्ति योजनाएं स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन के विचाराधीन थीं।

(ख) एक

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय को कोई ऐसा अनुरोध नहीं मिला हैं किन्तु भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग से ज्ञात हुआ है कि इस राज्य सरकार ने जन जाति क्षेत्रों में पीने के पानी के 2500 कुएं खोदने के लिये 1 करोड़ 80 लाख रुपये की अनुमानित लागत का एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। इसका सारा खर्च भारत सरकार अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के केन्द्र समर्थित कार्यक्रम के अधीत जन जाति विकास खण्डों की योजनाओं के लिये स्वीकृत धन राशि में से वहन करेगी। समाज कल्याण विभाग ने इस योजना को चरणवार कार्यान्वित करने के लिये अपनी अनुमति देती है। यह अनुमति इस प्रकार है :–

	(रुपये लाखों में)
1966–67	3.12
1967–68	32.30
1968–69	42.86
1969–70	50.86
1970–71	50.86
योग	180.00

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधूरी सिंचाई योजनाएं

2485. श्री बाबूराव पटेल : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री उन बड़ी तथा मंझली सिंचाई योजनाओं का जिनकी मंजूरी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग एवं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा अभी दी जानी है, विस्तृत ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे और यह बतायेंगे कि कब तक इन अधूरी परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : तीसरी योजना में सम्मिलित उन बड़ी और मंझली सिंचाई स्कीमों का विवरण नीचे दिया जाता है जिनको अभी स्वीकृति मिलनी है। इस सूची में उन स्कीमों को शामिल नहीं किया गया है जिनको तीसरी योजना में होने के लिये स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है किन्तु जिन्हें केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को प्रेषित किया गया है।

बहुत सी मंझली और कुछ बड़ी परियोजनाएं चौथी योजना के दौरान पूर्ण हो जाएंगी, ऐसी सम्भावना है। सही स्थिति का पता चतुर्थ योजना के आवंटन को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही लगेगा।

विवरण

राज्य	स्कीम का नाम	अनुमनित लागत (लाख रु० में)	लाभ	
			सिंचाई (लाख एकड़)	बिजली प्रतिपित क्षमता, मेगावाट में
1	2	3	4	5
जम्मू और काश्मीर	1. उझ परियोजना	4250.26	0.76	115
उडीसा	2. जोरोहभंएी	527.00	0.73	–
पंजाब	3. व्यास परियोजना यूनिट–2	12191.00	52.00	240
	4. अपरवारी दोआव नहर के क्षेत्रों को ब–बारहमासी सिंचाई का विस्तार।	185.45	3.04	–

STATES PLAN FOR 1967–68

2486. Shri Sidheshwar Prasad : will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the names of the States whose annual plan for 1967-68 have been finalised so far;

(b) the factors which have been mainly kept in view while finalising them;

(c) the reasons for not being able to finalise the annual plans of the remaining States so far;

(d) whether any State Government has requested for reconsideration of its annual plan;

(e) the ratio, State-wise, in which the Centre and the States would make the financial resources available; and

(f) the State-wise details of preparations being made right from now for the annual plans of different State for 1968-69 ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chamicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the Houee. (**Placed in Library,** sec No. LI-670/67).

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

2487. श्री म० ला० सोंधी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में किन-किन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी थी और कितना व्यय हुआ ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग आयोजना, गवेषणा, अभिकल्प, विशिष्टियों और उपस्कर आदि के मानकीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है । कुछ खास मामलों में ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्यों के वास्तविक कार्यान्वन को अपने हाथ में लेता है । प्रश्नाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने दो परियोजनाओं को कार्यान्वन के लिये हाथ में लिया जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:-

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	31-3-67 तक गत 5 वर्षों में हुआ	रिमार्कस
त्रिशूली परियोजना (नेपाल)	12,88 करोड़ रुपये	8,79,62,052 रुपये	प्रथम चरण पूरा हो चुका है। जिसमें 3-3मैगावाट के तीन उत्पादन यूनिटों के बिजली घर का निर्माण शामिल है ।
2. जम्मू व कश्मीर में स्थित अखनूर में 'लाग बूम' का निर्माण ।	41.44 लाख रुपये	5,08,690 रुपये	कार्य प्रगति पर है ।

GANDAK CANAL IN BIHAR

2488. **Shri K. M. Madhukar** : will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) when water from the Gandak Canal in Bihar would be made available to the cultivators for irrigation purpose; and

(b) whether the canals under Gandak Project would be completed within the fixed time-limit without any assistance from the Centre ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Kharif 1968.

(b) Yes, centre is giving cent per-cent loan assistance for Gandak Project

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सैक्सन आफिसरों (ओवरसियरों) का स्थायीकरण

2489. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि 1955 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियुक्त किये गये सैक्शन आफिसर (ओवरसियर) अब तक स्थायी नहीं किये गये है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों/आफिसरों को स्थायी नहीं किया गया और इसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन कर्मचारियों को स्थायी करने का क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबालसिंह) : (क) 1955 में कुल 257 सैक्शन आफिसर नियुक्त किये गये थे जिनमें से 75 अभी स्थायी किये जाने हैं।

(ख) इनमें से कुछ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है और कुछ स्थायी किये जाने के योग्य नहीं हैं। कुछ मामलों में सेवा-रिकार्डों की जांच और स्वास्थ्य परीक्षा अभी की जानी है।

(ग) वरिष्ठता एवं योग्यता। अखिल भारतीय आधार वरिष्ठता सूची रखी जाती है।

Hospitals in Andaman and Nicobar Islands

2490. **Shri Rama Chandra Veerappa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of hospitals in Andaman and Nicobar Islands as in 1965-66; and

(b) the number of doctors and nurses working therein ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) (a) and (b) : There were 9 hospitals, 23 doctors and 86 nurses at the end of 1965-66.

सुनारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना

2491. श्री वि० नरसिन्हा राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनारों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) इसमें से अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है और इससे कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ; और

(ग) चालू वर्ष के शेष भाग में सुनारों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने के हेतु सरकार इनको और किस प्रकार की सहायता देगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सुनारों के पुनर्वास के निमित ऋण देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष (1967-68) में 1.50 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गयी है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक तो वास्तव में कोई ऋण विभिन्न राज्यों को मंजूर नहीं किये गये है। राज्य सरकारों से विशिष्ट निवेदन प्राप्त होने पर ही ये मंजूरियां जारी की जाएंगी।

(ग) स्वर्ण नियंत्रण द्वारा प्रमाणित विस्थापित सुनारों के पुनर्वास के लिए 1963 में कुछ योजनाएं बनायी गई थीं इनमें उन सुनारों को दी जाने वाली वित्तीय तथा अन्य सहायता भी शामिल है जिन्होंने अपने पेशे को बदलने का विकल्प स्वीकार किया था। तकनीकी प्रशिक्षण तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं भी दी जाती हैं। इन सहायता-योजनाओं को चालू रखा जा रहा है।

सिक्को की ढलाई

2492. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सिक्कों को बनाने में विभिन्न किस्म के कितने प्रतिशत धातु प्रयुक्त किये जाते हैं और इन सिक्को को तैयार करने वाली टकसाल कहां-कहां पर हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : निम्न सारणी में जानकारीं दी गई है :

मूल्य वर्ग	ग्राम में भार	धातु की मात्रा	*टकसाल का स्थान
50 पैसे	5	निकल–100 प्रतिशत	ब. क.
25 पैसे	2.5	निकल–100 प्रतिशत	ब. क.
10 पैसे	5	निकल–25 प्रतिशत कोपर–75 प्रतिशन	ब. क. है.
5 पैसे	1.5	एल्यूमिनियम और 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक मैंगनेशियम	ब. क
3 पैसे	1.25	तदैव	ब. क. है
2 पैसे	1	तदैव	ब. क.
1 पैसे	0.75	तदैव	ब. क. है

*ब. = बम्बई टकसाल।
क = अलिपुर टकसाल कलकत्ता
है = हैदराबाद टकसाल

मध्यप्रदेश में अनुसंधान योजनायें

2493. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा आरम्भ किये जाने के लिये कोई अनुसन्धान योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और मध्य प्रदेश में अब तक कितनी अनुसन्धान योजनाए आरम्भ की जा चुकी हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) चतुर्थ योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश को मौलिक तथा आधारभूत अनुसन्धान स्कीमों के अन्तर्गत निम्नलिखित समस्याएं अध्ययन के लिए अलाट की गई हैं:-

1. सिंचाई (**अनुसंधान स्कीमें**)

(1) गांधीसागर जलाशय-गाद तथा तलछट का अध्ययन।	निदेशक, सिंचाई अनुसंधान, जन-कार्य विभाग, मध्य प्रदेश की देख-रेख में ।

2. **बिजली (अनुसंधान स्कीमें)**

(1) ग्रामों में परिक्षण पथों के लिए लकडी के खम्बों तथा गठीले जोड़ वाले खम्बों का अध्ययन ।	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के अनुसंधान यूनिट की देख-रेख में ।
(2) फ्री लकड़ी की समस्या का अध्ययन	
(3) ताप बिजली घरों की राख के निपटान के लिए अध्ययन ।	

"लूप में लूप" परिवार नियोजन का नया उपकरण

2494. श्री बाबूराव पटेल :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) " लूप में लूप" का नया उपकरण क्या है जिसका निर्माण करने के लिये कानपुर स्थित लूप निर्माण कारखाने को कहा गया है ;

(ख) किन-किन वैज्ञानिक आँकड़ों अथवा पूर्व प्रयोगों के पश्चात परिवार नियोजन विभाग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि लूप के डिजाइन में परिवर्तन करने से रक्त स्राव तथा उसके साथ-साथ पैदा होने वाली अन्य खराबियां कम हो जायेंगी ; और

(ग) इस नये उपकरण का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का निर्णय लेने से पूर्व कितने मामलों में तथा कितनी अवधि तक इस नये उपकरण का प्रयोग किया गया था और स्त्रियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) कानपुर स्थित 'लूप' बनाने वाले कारखाने को कोई आदेश नहीं दिया गया है कि वहां पर बनने वाले

लिप के 'लूप' के वर्तमान आकार में कोई अन्तर किया जाये। 'लिप के लूप' में मामूली-सा परिवर्तन करने के प्रश्न पर तकनीकी आधार पर विचार किया जा रहा है।

भारत में अमरीकी प्रतिष्ठान

2495. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम कर रहे अमरीकी प्रतिष्ठानों में भारतीयों तथा विदेशियों की अलग अलग संख्या क्या है;

(ख) सरकार कितनी परियोजनाओं में अमरीकी प्रतिष्ठानों के साथ सहयोग कर रही है; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 671/67**]

समवायों द्वारा बोनस शेयर जारी किया जाना

2496. श्री दामानी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में कितने समवायो ने बोनस शेयर जारी किये थे; और

(ख) वर्ष 1965–66 में जारी किये गये बोनस शेयरों की तुलना में 1966–67 में जारी किये गये बौनस शेयर कितने कम अथवा अधिक हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : 1966–67 में 404 कम्पनियों ने बोनस-शेयर जारी किये :

(ख) 1966–67 में, 404 कम्पनियों ने 134.87 करोड़ रुपये के मूल्य के बोनस-शेयर जारी किये, जबकि 1965–66 में 48 कम्पनियों ने 4.62 करोड़ रुपये के ऐसे शेयर जारी किये थे।

मध्यप्रदेश के लिए नेफ्था

2497. श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री राम सिंह अयरवाल : **श्री नाथूराम अहिरवार :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 24 अगस्त, 1966 अतारांकित प्रश्न संख्या 3264 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी से कानपुर के बीच मुख्य नेफ्था पाइप लाइन को मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसी उपयुक्त स्थान पर काट कर मध्यप्रदेश के लिये नेफ्था की व्यवस्था करने के प्रस्ताव के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : बरौनी शोधनशाला में तैयार हुये नेफथा के प्रतिरुपी लक्षण राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। यदि किसी रसायन या उर्वरक कारखाने में नेफथा के उपयोग के उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुये तो बरौनी-कानपुर पाइप लाइन को इस्तैमाल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

बाजार अनुसंधान के लिए योजना निदेशालय

2498. श्री दामानी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय में बाजार अनुसंधान के लिये एक आयोजना निदेशालय स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) और (ख) भूतपूर्व संसद सदस्य श्री विद्यालंकार की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल द्वारा, की गई सिफारिश के आधार पर, जिसे उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने मान लिया था, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में 22-9-66 से एक योचना और विकास निदेशालय काम कर रहा था । इस निदेशालय के कामों में अन्य कामों के साथ बाजार अनुसंधान का काम भी सम्मिलित है ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

2499. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं सामन्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि गैर-सरकारी निकायों द्वारा जो राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए धन संग्रह किया गया था उसका सामान्य लेखा परीक्षण किया जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक के कार्यालयों और राज्य बैंक की उन शाखाओं में जो सरकारी राजकोष का काम करती हैं, इस निधि के लिए दी जाने वाली रकमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है । जहां तक राज्य बैंक की अन्य शाखाओं और अन्य वाणिज्यक बैंकों में दिये गयें अंशदानों का सम्बन्ध है, सम्बद्ध बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपते लेखापरीक्षकों या निरीक्षक अधिकारियों से एक ऐसा प्रमाण पत्र लेकर दें जिसमें निधि के लिए प्राप्त और निधि को भेजी गयी रकमों का उल्लेख हो ।

राज्य सरकारों और केन्द्रीय नागरिक परिषद ने, उपर्युक्त अभिकरणों के अलावा, कुल गैर-सरकारी अभिकरणों को भी निधि के लिए अंशदान प्राप्त करने का अधिकार दिया था ।

इन अंशयानों की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरो से पता चलता है कि अंशदानों की लेखापरीक्षा महालेखाकारों या अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। जिन मामलों में लेखापरीक्षा का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में राज्यों से बातचीत की जा रही है।

Barauni Oil Refinery

2500. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the amount spent during 1964. 1965, 1966 and 1967 so far, to safeguard the Barauni Oil Refinery against floods and erosion, and

(b) the measures adopted in this direction ?

The Minister of State in the Ministery of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The amounts spent during the financial years 1164-65, 1965-66 and 1966-67 are Rs. 8,75, 220, 8,?6,151 and Rs.20,861 respectively.

(b) The entire refinery area has been raised by an average or 1.6 meters. Drains have also been provided around the units of efficient drainage of rain water,

The refinery area in also protected against river floods by the Gupta Bundh maintained by the Irrigation Department of Bihar Government.

एडवांस इन्सोरेन्स कम्पनी

2501. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐडवांस इंश्योरेंश कम्पनी द्वारा मेसर्स जयदयाल डालमिया सीमेंट फर्म से किश्त की राशि स्वीकार किये जाने के मामले की जांच इस बीच पूरी हो चकी है :

(ख) यदि हां, तो इस इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या कुछ और अनियमितताओं का पता लगा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

मैंसर्स एम० डब्ल्यू० के इण्टरनेशनल लिमिटेड इं'क० कलकत्ता

2502. **श्री मधु लिमये :**
श्री सं० मो बनर्जी
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मंत्री 17 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 353 के (उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंसर्स एम० डब्ल्यू० के० इन्टरनेशनल लिमिटेड इंक० कलकत्ता के जिन तीन मामलों में न्याय निर्णय हो चुके हैं उनमें कुल कितना जुर्माना किया गया है ;

(ख) क्या जुर्माना वसूल कर लिया गया है ;

(ग) इस फर्म के विरुद्ध आठ नये कारण बताओ नोटिसों पर हुए न्याय निर्णय का क्या परिणाम रहा है ; और

(घ) इन मामलों में कुल कितना जुर्माना किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिनांक 17–11–66 के तारांकित प्रश्न सं० 353 के उत्तर में जिन तीन मामलों के बारे में कहा गया था कि न्याय निर्णय की कार्यवाही की गयी है उनमें मेसर्स एम० डब्लूय० के इन्टर-नेशनल लिमिटेड इंक, कलकत्ता की फर्म पर 8,040 रुपये तथा फर्म के जनरल मैनेजर पर 7,040 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है । इसके अतिरिक्त, फर्म को ग्रस्त माल की जब्ती के बदले में 8,800 रुपये जुर्माना देकर माल छुड़ा लेने का विकल्प भी दिया गया है ।

(ख) फर्म पर लाये गये 8,040 रुपये तथा जनरल मेनेजर पर लगाये गये 7,040 रुपये का दण्ड पूरा हो गया है । इसके अलावा, एक मामले में फर्म ने माल की जब्ती के बदले 1,500 रुपये का जुर्माना अदा करके माल छुड़ाने का विकल्प स्वीकार किया है ,

(ग) और (घ) : जहां तक दिनांक 17–11–66 के तारांकित प्रश्न सं० 353 के उत्तर में उल्लिखित आठ नये कारण बताओ नोटिसों का सम्बन्ध है, सात मामलों में, फर्म तथा ग्रस्त व्यक्तियों पर 11,700 रुपये का व्यक्तिगत दण्ड लगाया गया है; और इसके अलावा ग्रस्त माल को जब्ती के बदले 12,300 रुपये का कुल जुर्माना अदा करके माल छुड़ा लेने का विकल्प भी किया गया है ।

जहाँ तक आठवें कारण बताओ नोटिस का संम्बन्ध है, आरोप सिद्ध नहीं किये जा सके हैं, और इसलिये इस मामले में आगे कार्य-वाही करने का फैसला किया गया ।

ट्राम्बे स्थित उर्वरक कारखाना

2503. श्री मधु लिमये :
श्री एस ० एम० जोशी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक निगम तथा एक अन्य सरकारी अभिकरण ने उर्वरक सम्बन्धी टेक्नोलौजी तथा जानकारी के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है अथवा आत्म-निर्भर होने का दावा किया है ; और

(ख) क्या इस जानकारी को उर्वरक निगम के ट्रांबे स्थित कारखाने के दोषों को दूर करने के लिये काम में लाया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां। अधिकतर स्वयं भारतीय उर्वरक निगम लि० द्वारा विकसित जानकारी के आधार पर तथा बाहर से परचेज़ आफ लाइसेन्स द्वारा जानकारी प्रक्रिया से आत्म निर्भरता को बढ़ाया गया है।

(ख) विदेशी जानकारी के आधार पर ट्राम्बे उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया। अमरीकी प्रदायक अमरीकन सपलायर के संविदागत उत्तरदायित्व कंट्रैक्च्यूयल रेस्पांसिबिलिटी के अनुसार भारतीय ऊर्वरक निगम लि० कारखाने की कार्यान्वित को सुधारने तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए निजी संशोधनों का परीक्षण नहीं कर सकता था।

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय

2504. **श्री बलराज मधोक :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत कितने आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं तथा इन औषधालयों में प्रति दिन औसतन कितने रोगियों को दवाई दी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि औषधालयों में रोगियों की भीड़ रहती है और इसी कारण उनका ठीक प्रकार से उपचार नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली में और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) (क) इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दो आयुर्वेदिक औषधालय हैं—एक गोलमार्केट में दूसरा किदवई नगर, नई दिल्ली में इस वर्ष (30 अप्रैल 1967) इन दो औषधालयों में एक वैद्य द्वारा प्रतिदिन देखे जाने वाले रोगियों की औसत संख्या 114 है जबकि एलोपैथिक औषधालयों में यह औसत 118 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लक्ष्मी कमर्शल बैंक

2505. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने लक्ष्मी कामर्शल बैंक के निदेशकों तथा उच्च अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में जांच करने का आदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का आदेश कब दिया गया था और वास्तव में जांच कब की गई थी तथा क्या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

GOLD SMUGGLING

2506 Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether it a fact that 170 tolas of gold worth Rs. 34,000 was recoverd by the Income-tax authorities at Idgah Station (Agra) on the 24 April, 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the place from where the gold was brought ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) on 23rd April, 1967 the Central Excise officers apprehended a passenger at Idgah railway station and recoverd from him 170 tolas of gold bearing foreign markings valued at Rs. 16,731/- at the international rate and Indian currency to Rs. 500/-

(b) The passenger was arrested and subsequently released on bail. The case in under departmental adjudication.

(c) According to the person from whom the gold was seized, it was brought by him from Ahmedabad.

पर्यटकों द्वारा पी ० एल० 480 की निधियों का प्रयोग किया जाना

2507. श्री यशपाल सिह :
श्री स० चं सामन्त :
श्री दिग्विजय नाथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बता सकती है कि पर्यटकों को पी एल० 480 की निधियों का प्रयोग करने की अनुमति दिये जाने के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1966–67 में अमरीकी दूतावास ने अमरीकी पर्यटकों को डालरों के बदले रुपये देने के लिए पी० एल० 480 निधि में जमा रुपयों में से 2.34 लाख रुपये का उपयोग किया था।

समाज कल्याण परियोजना

2508. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता प्राप्त समाज कल्याण परियोजनाओं के बीच समन्वय नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

दीर्घकालीन 'अवधि बीमा' (लांग टर्म ऐशोरेन्स)

2509. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीर्घकालीन 'अवधि बीमा' की लागत मालूम कर ली है ;

(ख) यह अवधि बीमा पालिसी किन देशों में दी जाती है ;

(ग) उन देशों में समाज के प्रायः किन किन वर्गों (आय-वर्गों) के लोग ऐसी पालसियां लेते हैं; और

(घ) क्या सरकार का ऐसा विचार है कि जीवन बीमा निगम इसे चालू करे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) निगम के पास ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु यह सुविदित है कि प्रायः सभी देश आवश्यक पाबन्दियां रखकर सावधिक बीमा जारी करते हैं जैसा निगम द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) सामूहिक बीमा जारी करने के मामले में सावधिक बीमा का काफी प्रचलन है तथा इसमें सभी आयवर्ग आ जाते हैं ।

(घ) निगम पहले ही कई योजनाओं के अन्तर्गत 'सामयिक बीमा' जारी कर रहा है ।

राजस्थान के पिछड़े जिले

2510. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये जिस तरह पटेल आयोग नियुक्त किया गया था क्या उसी भांति राजस्थान में झुंझुनू तथा सीकर आदि जिलों के पिछड़ेपन की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर योजना आयोग विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस समिति के कब तक नियुक्त किये जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी विवरण से यह ज्ञात होता है कि ये दो जिले इतने पिछड़े हुए नहीं है जितने कि राजस्थान के अन्य जिले हैं। इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र के विशेष विकास हेतु जांच कराने का काम प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकार का है।

Training of Income-Tax Clerks

2511, Shri Rabi Ray :
Shri Madhu Limaye :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri S. M, Joshi :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Clerks of Income-tax Department are not adequately trained in their work in spite of the recommendations of the Income-tax Investigation Commission and Taxes Enquiry Commission to the effect that they should be adequately trained and as a result thereof most of the income remains unaccounted for; and

(b) If so, the steps taken or proposed to be taken by Government to impart training to the clerks of the Income-tax Department ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. Arrangements exist for imparting training to the Upper Division Clerks and the Lower Division Clerks in the Income-tax Department.

(b) A foundational course of training lasting over six weeks is given to all newly recruited Lower Division Clerks and Upper Division Clerks. An advanced course of training lasting over six weeks is given to all Upper Division Clerks and Lower Division Clerks who have completed two year's service in the Department.

Conference on "Water for Peace" Programme

2512, Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a Conference of 100 countries is being held in U. S. A. to consider "Water for Peace" programme;

(b) if so, whether Government propose to participate in the said conference; and

(c) whether any programme has been chalked out for the conference ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) An international conference on 'Water for Peace' was organised by the Government of U. S. A. in Washington from May 23 to May 31, 1967. A large number of countries participated in the Conference.

(b) A three-man delegation was sent from India.

(c) The programme for the conference envisaged the identification of the worlds water problems, discussions regarding opportunities and means of attacking these problems and also to explore possibilities of international co-operation to stimulate effective programmes of water development at local, national and International level.

आयकर देने वाले लोगों द्वारा अपीलें

2513. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में आय-कर देने वाले लोगों की कितनी अपीलों पर निम्नलिखित अधिकारियों ने निर्णय दिये :—

(एक) आय-कर के अपीलीय सहायक आयुक्त

(दो) आय-कर आयुक्त

(तीन) आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण

(चार) अन्य न्यायालय; और

(पांच) उच्चतम न्यायालय; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने मामलों में आयकर विभाग के विरुद्ध निर्णय दिया गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

(1)

1964–65	1,20,352
1965–66	1,37,927
1966–67	1,94,080

(ये आंकड़े सभी करों से सम्बन्धित अपीलों के बारे में हैं, केवल आयकर के बारे में नहीं हैं)

(2) आयकर अधिनियम में आयकर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त को अपील करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 264 के अन्तर्गत आयकर आयुक्तों को नजरसानी के अधिकार दिये गये हैं। आयुक्त द्वारा तीन वर्षों में निर्णीत नजरसानी की दरख्वास्तों की संख्या इस प्रकार है :—

1964–65	5,078
1965–66	4,074
1966–67	4,395

(ये आंकड़े केवल आयकर अधिनियम के अधीन दायर की गई याचिकाओं के बारे में हैं)

(3)	1964-65	10,671
	1965-66	11,328
	1966-67	12,721

(ये आंकड़े सभी करों से सम्बन्धित अपीलों के बारे में हैं)

(4 और 5) सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) इस सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना आयकर आयुक्तों द्वारा निर्णीत नजरसानी की दरख्वास्तों तथा न्यायधिकरणों द्वारा निर्णीत अपीलों के बारे में है। स्थिति इस प्रकार है :—

(1) आयुक्तों द्वारा पूरी तौर से विभाग के विरुद्ध निर्णीत नजरसानी की दरख्वास्तें :–

1964-65	1.318
1965-66	1.227
1966-67	1.782

(2) न्यायाधिकरण द्वारा पूरी तौर से विभाग के विरुद्ध निर्णीत अपीलें :—

1964-65	3,027
1965-66	3,488
1966-67	4,265

अपीलीय सहायक आयुक्तों, उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत अपीलों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

"क्राइसिस आफ इंडिया" नामक पुस्तक का आयात

2514. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग, बम्बई ने कुछ दिन पहिले पुस्तक-विक्रेताओं से यह कारण बताने के लिये कहा था कि उनके विरुद्ध रोनाल्ड सेगल द्वारा लिखित "क्राइसिस आफ इंडिया" नामक पुस्तक की प्रतियां आयात करने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिये;

(ख) क्या सीमा शुल्क विभाग अथवा किसी अन्य सरकारी अभिकरण ने इस पुस्तक की हजारों प्रतियां प्रकाशकों को वापस लौटाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 'कारण बताओ नोटिस' इसलिए जारी किया गया था कि यह पुस्तक समुद्रीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 19 के अन्तर्गत जारी की गयी 26 नवम्बर 1959 की अधिसूचना सं० 158 सी० शु० के उपबन्धों के अन्तर्गत आती थी क्योंकि इसमें देश की प्रादेशिक अखण्डता पर आपत्तिजनक मानचित्र छपा था।

लोक-ऋण का परिशोधन

2515. श्री रामसिंह अग्रवाल :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री नीति राज सिंह चौधरी :
श्री नाथू राम अहिरवाल :
श्रीमती मिनोमाता :

क्या **वित्त** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या चौथे वित्त आयोग के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिश के अनुसार राज्यों की ऋणग्रस्तता और लोक ऋण के परिशोधन तथा मानकीकरण की आवश्यकता के सामान्य प्रश्न की जांच करने के बारे में कोई प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार से इस बीच कोई पत्र मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग) जनता से लिये गये ऋणों के परिशोधन और उसके लिए दी जाने वाली सहायता के और साथ ही कर्जदारी के प्रश्न की जांच, सभी राज्यों के सम्बन्ध में, की जानी थी : जाँच का काम विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर चालू है। चूंकि इस मामले से कई पेचीदा मसले पैदा होते हैं, इसलिए इसका अन्तिम फैसला करने में कुछ समय लग सकता है।

One Rupee and Ten Rupee Currency Notes

2516. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question no. 692 on the 6th April, 1967 and state :

(a) whether the bank authorities have inquired into the case of two currency notes of one Rupee denomination bearing the same number received from a Government Treasury ;

(b) whether it is also a fact that similarly two currency notes of ten rupees denomination bearing the same number were also detected ;

(c) if so, the details of the inquiry ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Three cases of duplicate numbering of ten rupee notes were brought to notice.

(c) and (d) In the case of the notes referred to impart (a) of the Question, it was found that the number had been altered deliberately in one of the notes. The motive behind such alteration is not clear. The three cases referred to in (b) above have also been investigated. In two of these cases the number on one set of notes had been altered by a deliberate attempt. In the third case the duplicate numbering was due to an error which escaped notice in the Press and departmental action was taken against the persons responsible for this error.

Smuggled Goods Seized in Jabalpur

2517. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 200 tolas of contraband gold, currency notes worth ten thousand rupees, 130 watches and other costly articles were recovered during April, 1967 from some persons in Jabalpur and one of the smuggler was killed in this connection ;

(b) if so, the place from where these articles were brought ;

(c) the total value of the articles recovered and whether these articles have been deposited with Government ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d) On 31st March, 1967 a person who had come to Sagar by bus collapsed on alighting from the bus and died. 200 tolas of foreign-marked gold valued at Rs. 19,684/-at the international rate, 131 watches valued at about Rs. 19,000/-and Indian currency amounting to Rs. 10,108.98 were recovered from the deceased by the local police. On 4th April, 1967 under the orders of Sub-Divisional magistrate, Sagar, the seized articles were taken over by the customs authorities for further action under customs law. The place from where the seized articles were brought is not yet known. The matter is under investigation.

Loop Factory Kanpur

2518. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of workers employed in the loop factory in Kanpur ;

(b) the quantity of raw matèrial, if any, imported so far for manufacturing the loops ; and

(c) the date from which Government have taken over or propose to take over this factory ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The Factory which is an undertaking of the Uttar Pradesh Government has two gazetted officers and

21 non-gazetted members on its regular establishment. Besides it employs 139 workers on daily wages.

(b) The factory has not imported any raw material on its own. It has been purchasing some imported raw material from some firms in India. Some of the raw materials has also been obtained as gift from the Population Council. New York through the Government of India.

(c) The Government of India do not propose to take over the factory. The question of its being taken over by the Hindustan Latex Limited (a Government of India Undertaking) is under consideration.

Smuggling of Foreign Exchange in Punjab aud Maharashtra

2519. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 654 on the 6th April, 1967 and state :

(a) whether the inquiry against the smugglers of foreign exchange apprehended in Punjab and Maharashtra has been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The enquiries have been completed and departmental adjudication proceedings for alleged violation of the Foreign Exchange Regulations have been initiated.

(c) Does not arise.

रोशनी की व्यवस्था

2520. श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वादली औद्योगिक बस्ती में पिछले कई वर्षों से बिजली के खम्भे लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अभी तक वहां बिजली नहीं दी गई है; और

(ग) वहां सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नये विकसित क्षेत्रों की सड़कों पर रोशनी दिल्ली बिजली पूर्ति उपक्रम द्वारा विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की प्रार्थना पर उनके खर्च पर दी जाती है। जहां तक इस काम का संबंध है, प्रस्ताव का सूत्रपातन दिल्ली विकास प्राधिकार ने किया था। रोशनी

के इन स्थानों को तब ही ऊर्जित किया जाता है जब संबद्ध पार्टी उपक्रम के साथ रख-रखाव और खपत खर्च की अदायगी के लिये करार कर लेती है। सड़कों पर रोशनी के स्थानों को ऊर्जित करने के लिये न तो दिल्ली विकास प्राधिकार ने और न ही कारखानादारों के किसी संघ ने प्रार्थना की है और न ही किसी पार्टी ने अभी तक रख-रखाव और ऊर्जा खपत के खर्च की अदायगी के लिये उपक्रम के साथ करार किया है।

कालटैक्स कार्यालय, बम्बई के लिये बिजली से चलने वाले संगणक

2521. श्री वि० कृ० मोदक :
श्री उमानाथ :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालटैक्स के प्रबन्धकों को, उनके बम्बई स्थित कार्यालय में बिजली से चलने वाला एक संगणक लगाने की अनुमती दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संगणक आंकड़े तैयार करने वाली स्वचालित उन मशीनों का स्थान ले लेगा जिन्हें इस समय प्रयोग में लाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता में कालटैक्स का सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग पिछले छः मास से भी अधिक समय से बेरोजगार है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कम्पनी को नए किस्म का उन्नत संगणक लगाने की अनुमती देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी, नहीं, किन्तु कम्पनी ने स्थानीय मार्किट से एक संगणक किराये पर लिया है। इस प्रकार किराये पर लेने के लिए सरकार की अनुमती आवश्यक नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) की पंच मशीन और यूनिट रिकार्ड मशीन पर नियुक्त स्टाफ केवल बेरोजगार हो गया है।

(घ) उपर्युक्त 'क' के उत्तर को दृष्टि में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रम का कार्यवहन

2523. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री दामानी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुए सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ के अधिकारियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकारी परियोजनाओं के कार्य संचालन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या इन निर्णयों के लागू किये जाने के फलस्वरुप उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा लागत में कमी आई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री द्वारा सरकारी क्षेत्र के संबंध में आयोजित सम्मेलन द्वारा की गयी कुछ सिफारिशों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 672/67]**

अन्य सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उड़ीसा में बड़ी सिंचाई परियोजना सम्बन्धी योजना

2524. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में उड़ीसा की राज्य योजना का व्यौरा प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन योजनाओं के नाम और इनका व्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा को 1967-68 में बड़े और मध्यम सिंचाई कार्यों के लिए योजनावार कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी, हां। चतुर्थ योजना की परियोजनाएं नीचे दिये गये विवरण में व्यौरे सहित साथ ही दी जाती हैं।

(ग) उड़ीसा की 1967-68 के वर्ष की योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

परियोजना का नाम	अनुमति लागत	तीसरी योजना के अन्त तक व्यय	1966-67 के दौरान प्रत्याशित व्यय	पूर्ण होने पर सिंचाई किया जाने वाला कुल क्षेत्र (000 एकड़ों
1. हीराकुड चरण 1	6781.94	6531.94	7.34	627.00
2. महानदी डेल्टा	3433.88	2021.48	351.50	1608.00
3. सालन्दी	1183.00	651.17	250.00	153.00
4. आनन्दपुर बराज *	2009.48	....	1.16	459.00

* (इसको अभी स्वीकृति मिलनी है)

तीसरी योजना में उड़ीसा में मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋण

2525. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम ने तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में कोई ऋण दिये थे;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण दिये गये और उस राज्य में किन-किन नगरों तथा शहरों के लिये; और

(ग) जीवन बीमा निगम के इन ऋणों से उड़ीसा में अब तक कितने मकान बनाये गये है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) कटक में 1,06,000 रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

(ग) पांच भवन बनाये जा रहे हैं जो निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

वित्त आयोग को सामग्री उपलब्ध कराने के लिये अनुसन्धान संगठन

2526. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले तथा दूसरे वित्त आयोगों ने ऐसे आयोगों के लिये बुनयादी सामग्री प्राप्त करने तथा उपलब्ध कराने के लिये एक स्थायी अनुसन्धान संगठन स्थापित किये जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिफारिश को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रथम वित्त आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया एक छोटा कक्ष, जिसमें वित्त आयोग के काम का अनुभव रखने वाले न्यूनतम आवश्यक कर्मचारी हैं, वित्त मंत्रालय में काम कर रहा है । इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के विभिन्न एकक, आंकड़ों सम्बन्धी तथा अन्य गवेषणा-कार्य करते हैं जिसमें राज्यों के बजटों, राज्यों के करों और आयोजना आदि के लिए राज्यों के साधनों का अध्ययन भी शामिल है । इसलिए इस काम के लिए एक अलग अतिरिक्त गवेषणा-संगठन बनाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

उत्तर प्रदेश द्वारा माँगी गई वित्तीय सहायता

2527. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में खर्च को पूरा करने के लिये कुछ वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई वित्तीय सहायता दी गई है तथा 1966-67 में कुल कितनी रकम दी गई थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । वर्ष 1966-67 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र को राहत देने के लिये अभी तक कुल 90 लाख रुपये की राशि दी गई है ।

भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभागों में शिकायत प्रभाग

2528. श्री ह० प० चटर्जी : **श्री दत्तात्रेय कुन्ते**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग में जनता की शिकायतों पर कार्य-वाही करने के लिये कोई संगठन है;

(ख) यदि नहीं, तो निकट भविष्य में ऐसा कोई संगठन स्थापित किया जाने वाला है; और

(ग) व्यापारियों या एजेंटों द्वारा चोर बाजारी या अन्य कदाचार के मामलों की जांच किस प्रकार किये जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां । मार्किटिंग प्रभाग के मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी ऐसे शिकायतों पर कार्यवाही करता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मुख्य सतर्कता अधिकारी के निदेशानुसार मार्किटिंग प्रभाग का क्षेत्रीयस्टाफ इंडियन आयल कारपोरेशन के व्यापारियों या एजेन्टों द्वारा चोर बाजारी या अन्य कदाचारों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करता है ।

मंत्रालयों द्वारा बचत

2529. श्री दामानी : क्या **वित्त** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वित्तीय वर्ष 1966-67 में विभिन्न मंत्रालयों ने बचत के फलस्वरूप कितनी राशि वापस की है तथा इससे विभाग की कार्य-कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ा ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : विभिन्न मंत्रालयों ने 1966-67 के अंत तक 110 करोड़ रुपये की वास्तविक रकमें वापस की । पर इससे अन्तिम

स्थिति का पता नहीं चलता जिसका पता अक्टूबर में या उसके आसपास, वर्ष के खाते अंतिम रूप से बंद किये जाने के बाद ही लगेगा।

रकमें वापस करने से पहले मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं का विचार कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की कार्यवाही से कार्यकुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

जहां तक 1966-67 का संबन्ध है, कुल मिलाकर स्थिति यह थी कि बजट सम्बन्धी घाटा संशोधित अनुमान में दिखायी गयी 350 करोड़ रुपये की रकम के मुकाबले 313 करोड़ रुपये का रहा जिसका उल्लेख 25 मई 1967 के बजट भाषण में किया जा चुका है।

भारत और चीन के लोगों के तुलनात्मक जीवन स्तर

2530. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशिया के सबसे बड़े दो देशों अर्थात् भारत और चीन के लोगों के जीवन स्तरों का तुलनात्मक सूचकांक क्या है; और

(ख) भारत का जीवन स्तर हंगरी और पोलैंड के लोगों के जीवन स्तर की तुलना में कैसा है?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) एक ओर भारत और दूसरी ओर चीन, हंगरी तथा पोलैंड के लोगों के जीवन स्तर की सार्थक रूप से तुलना करने के लिये अपेक्षित ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में 'लूप' तथा 'बन्ध्यकरण' की सफलता

2531. डा० कर्णी सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 'लूप' तथा 'बन्ध्यकरण' की महान सफलता के बारे में सरकार को रिपोर्ट मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को चलाने का विस्तृत ब्यौरा क्या है और क्या इसे उतनी ही सफलता के साथ देश के अन्य भागों में भी चलाया जा सकता है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी, वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में स्नातकोत्तर स्कूल

2532. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों के विकास का एक स्नातकोत्तर स्कूल खोलने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग को उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय विकास योजना, दिल्ली

2533. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई दिनांक 20 फरवरी 1967 की सार्वजनिक सूचना संख्या एफ (4)/4/67–एम०पी० की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता का निश्चय करने के लिए प्रस्तावों की अच्छी तरह परीक्षा की गई है; और

(ग) इसके लिये सामान और व्यक्तियों पर कितना धन व्यय होगा तथा नागरिक सुविधाओं के मामले में दिल्ली के नागरिकों को पेश आ रही अन्य अनेक भयानक समस्याओं को देखते हुए यह व्यय कहां तक उचित है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये योजनाएं अभी अन्तिम रुप से तैयार नहीं की गई हैं और उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के उत्तर में जो सुझाव और आपत्तियां प्राप्त की जायेगी उनकी जांच दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित परीक्षण बोर्ड द्वारा की जायेगी। जो लोग आपत्ति आदि करेंगे उनके विचार व्यक्तिगत रूप से सुने जायेंगे। इसके बाद परीक्षण बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिशों पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जायेगा और उसके बाद में इस मामले पर स्वयं प्राधि-

करण विचार करेगा । स्वीकृति देने से पहले केन्द्रीय सरकार भी योजना का परीक्षण करेगी। इस प्रकार योजना की पूरी जांच किये जाने के बाद उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा लोगों द्वारा दिये गये सुझावों और आपत्तियों पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

(ग) योजना के क्रियान्वित पर होने वाले खर्च का अनुमान नहीं लगाया गया है । इस समय ऐसा प्रयास करना उचित नहीं है क्योंकि अभी तक यह मालूम नहीं हो सका है कि आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद क्षेत्रीय योजना क्या रूप लेगी । दूसरे क्षेत्रीय योजना भूमि के प्रयोग की विस्तृत योजना पर आधारित है और इसकी क्रियान्विति से सरकार स्थानीय प्राधिकरण और गैर सरकारी सम्पत्ति-स्वामियों का सम्बन्ध है । इसका क्रियान्वयन कई वर्षों में पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि परिस्थितियों में समयानुसार परिवर्तन आता रहता है ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, दिल्ली

2534. **श्री गणेश घोष :**
श्री उमानाथ :
श्री वी० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के विरूद्ध इस आधार पर एक दावा दायर किया है कि डी० डी० टी० फैक्टरी से बाहर निकलने वाले बेकार पदार्थ में ऐसा पदार्थ होता है जो जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक तथा हानिकर होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां ।

(ख) अदालत की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है ।

नेफा, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

2535. **श्री हेम राज :**
श्री प्रतापसिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा, नागालैंड, मनीपुर और त्रिपुरा का कोई प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) नेफा, मनीपुर और त्रिपुरा में व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्राद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है तथा नागालैंड में ऐसा ही सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) जो प्रतिवेदन प्रकाशित हुए हैं उन पर ध्यान दिया गया है और वे दस्तावेज जनसाधारण के लिये उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं

2536. श्री अब्राहम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के लिये दो और ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाए मन्जूर की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक परियोजना वारीकोन में चालू करने का है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Searches Made by Enforcement Directorate

2537. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 52 on the 23rd March, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the searches made by the Enforcement Directorate and the cases unearthed as a result thereof has since been completed ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, further time likely to be taken in the enquiry ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Out of the cases relating to the 198 searches mentioned in the reply to starred Question No. 52 answered on the 23rd March, 1967, adjudication proceedings have been initiated in 5 cases. 75 cases have been closed after enquiries, as prima facie no offence was disclosed in these cases. Investigations are in progress in the remaining 118 cases.

(c) The time required for completion of the enquiries cannot be forecast with any precision. However, every effort is being made to finalise the enquiries at an early date.

Seizure of Gold in Bombay

2538. Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) the total value of the gold seized by the Central Customs/Income-tax authorities on the 21st April, 1967 from a motor car in Western Bombay ;

(b) whether it is a fact that one of the main offenders sitting in the car suceeded in making good his escape and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The value, at the international rate of the gold seized by the Customs authorities at Bombay on 21-4-67 from a motor car in Worli, Bombay, is Rs. 5,88,690 approximately. No gold was seized by the Income-tax authorities.

(b) No, Sir. There was no body in the car when it was located with the contraband and hence the question of anybody from the car making good his escape does not arise.

(c) Two persons, whom investigations revealed as connected with the car in which the contraband was found, were arrested and subsequently enlarged on bail. Further investigations are in progress.

दिल्ली की बृहद् योजना

2539. श्री उमानाथ :
श्री विं० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने "कीट नाशक दवाई उद्योग" को बृहद् दिल्ली की बृहद् योजना के अन्तर्गत 'दुर्गन्धवाला' उद्योग घोषित किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि नगर निगम, दिल्ली ने दिल्ली में डी० डी० टी० का कारखाना लगाने के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये नक्शों को पहले स्वीकार नहीं किया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(घ) क्या गृह-निर्माण आयुक्त ने इस मामले को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान निदेशालय के पास परामर्श के लिए भेजा था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा क्या सिफारिशें की हैं ;

(च) क्या यह सच है कि नगर निगम ने हाल ही में उस भवन निर्माण प्लान को मंजूरी दे दी है जो हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड ने अपनी डी० डी० टी० फैक्टरी का विस्तार करने के लिए दिया था ; और

(छ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली की बृहद् योजना (मास्टर प्लान) के अन्तर्गत केवल उन कारखानों को दुर्गन्धवाला घोषित किया गया है जिनमें बड़े पैमाने पर कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती हैं और ऐसे कारखानों

को दिल्ली में लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । तथापि, कम मात्रा में ऐसी दवाइयों को बनाने वाले कारखानों को अनुमति दे दी जायेगी ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम नक्शों को अस्वीकृत नहीं करता है । वह कम्पनी को यह परामर्श देता है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण से इस बात का प्रमाण-पत्र ले ले कि वह बृहद् योजना के अनुरूप है ।

(घ) और (ङ) यह मामला स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय को सौंपा गया था जिसने यह सिफारिश की थी कि कारखाने के बिस्तार की अनुमति इस शर्त पर दे दी जाये कि वह डी० डी० टी० से उत्पन्न होने वाली गन्दगी को कम करने के लिये प्रयास करेगा ।

(च) और (छ) दिल्ली नगर निगम से यह बात नहीं पूछी जा सकी कि क्या उसने भवन निर्माण की प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है अथवा नहीं । तथापि, दिल्ली विकास अधिकरण ने निम्नलिखित दो शर्तों पर अपनी स्वीकृति दे दी है ।

(एक) डी० डी० टी० के उत्पादन के परिणामस्वरूप कारखाने के और सामान्य वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिये ऐसे उपाय करना जिनसे स्वास्थ्य अधिकारी संतुष्ट हो जायें ।

(दो) चूंकि यह कारखाना एक न्यूसेंस उद्योग है, इसलिये इसे यथासम्भव शीघ्र और किसी भी हालत में 1 सितम्बर 1977 तक किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जाना होगा ।

जीवन बीमा निगम में काम करने की हालत

2540. श्री क० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1958 से अब तक जीवन बीमा निगम में काम करने की हालतों की जांच करने के लिए एक प्रशासनिक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति का स्वरुप तथा कार्य क्षेत्र क्या होगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सरजू परियोजना

2541. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० कृ० सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के लिए शारदा नहर तथा उसकी उप-नहरों को पानी देने के लिए सरजू परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ; और

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना धन खर्च आयेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख) सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य चल रहे हैं ।

भारत का स्टेट बैंक

2542. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्टेट बैंक का कलकत्ता मुख्यालय आसाम, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड तथा अन्दमान राज्यों में बैंक के कार्य का नियंत्रण करता है ;

(ख) क्या इस मुख्यालय के स्थानीय बोर्ड में पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों ने यह मांग की है कि उनके राज्यों में पृथक मुख्यालय बनाये जायें और उनके बनने तक उन्हें स्थानीय बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक तथा भारत सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) स्थानीय बोर्डों में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है । स्थानीय बोर्डों का गठन भारतीय राज्य बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21 के अधीन किया जाता है जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर के कारण यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कलकत्ता में पटसन के सौदों में गड़बड़ी

2543. श्री फ० गो० सेन :
श्री मि० सु० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षण निदेशालय, कलकत्ता ने हाल में एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जिसने कई करोड़ रुपये के मूल्य के पटसन के जाली सौदे किये थे ; और

(ख) क्या अब कोई ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इससे कितने आयकर का अपवंचन हुआ है और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जांच पड़ताल चल रही है।

Utilisation of Lignite in Plana Colliery

2544. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the progress made so far in respect of the scheme formulated for a power plant for the utilisation of lignite in Plana Colliery in the State of Rajasthan ; and

(b) the reasons for the delay in respect thereof ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) :– The Government of Rajasthan were requested to prepare a scheme report for the installation of a thermal power station with one 50 MW or alternately to 30 MW generating units pending detailed exploration of the lignite reserves at Palana. The scheme report is still awaited.

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

2545. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री चक्रपाणि : श्री उमानाथ : श्री एस्थोस : श्री अनिरुद्धन : श्री अब्राहम : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड तथा उप-समितियों की बैठकों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन बैठकों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) 32,898.19 रूपये।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन का दर्जा ऊंचा करना

2546. श्री वासुदेवन नायर : श्री जनार्दनन : श्री अदिचन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई कि उस स्थान को 'ए' वर्ग का स्थान घोषित किया जाये ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि वृहत कोचीन क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से अधिक है; और

(ग) इस अभ्यावेदन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : जी, हां। नगर निवास पूर्ति भत्ता तथा मकान किराया भत्ते के निमित्त कोचीन को उच्चतर श्रेणी में रखने के लिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि कोचीन तथा उसके संश्लिष्ट नगरपालिका-क्षेत्र की जन संख्या अगली उच्चतर श्रेणी के लिये अर्हता देने वाली 4 लाख की सीमा से कम है, इसलिए कोचीन को उसके वर्तमान 'ग' श्रेणी के वर्गीकरण से उच्चतर श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद्

2547. श्री शशि रंजन :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिषद् के ध्येय तथा उद्देश्य क्या होंगे : और

(ग) इसकी कार्य-प्रणाली क्या होगी ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं। समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। समाज विज्ञान अनुसंधान समिति ने यह अन्तरिम सिफारिश की थी कि देश में एक समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् स्थापित की जाये। योजना आयोग ने इस सिफारिश पर विचार किया और यह निश्चय किया कि जब तक समिति अन्तिम प्रतिवेदन न दे तब तक इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न की जाये।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा को दी गई सहायता

2548. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 में उड़ीसा राज्य को उससे कम सहायता दी गई जितनी उसे देने का वचन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वह सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है, जिसे देने का उसने वचन दिया था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) फरवरी और मार्च के महीनों के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की अन्तिम किस्तें दी गई थी । उड़ीसा से खर्च के विवरण इतनी देर से मिले कि वित्तीय वर्ष के बन्द होने के पहले सहायता देने के लिये उन पर विचार नहीं किया जा सका । इन पर बाद में विचार किया गया और 117.36 लाख रुपये की राशि उड़ीसा सरकार को दे दी गई है ।

उड़ीसा में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण

2549. **श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री हीरजी भाई** :
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को "चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिये 1966-67 में कुल कितना धन दिया गया ; और

(ख) उस राज्य ने उक्त अवधियों में इस राशि का किस प्रकार प्रयोग किया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) अप्रैल 1967 में उड़ीसा सरकार के लिये 2 लाख रुपये की सहायता अनुदान मंजूर किया गया था, जो 1966-67 में राज्य सरकार द्वारा "चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण" शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च किया गया ।

(ख) राज्य सरकार ने इस राशि को एस० सी० बी० मेडिकल कालेज और बुरला मेडिकल कालेज के एक एक विभाग के विस्तार करने में खर्च किया है ।

प्रतिनियुक्ति पर विदेशों में भेजे गये उड़ीसा के महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारी

2550. **श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री हीरजी भाई** :
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित महालेखापाल के कार्यालय के कितने कर्मचारियों को 1966-67 में प्रतिनियुक्ति पर विदेशों में भेजा गया था; और

(ख) तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) किसी को भी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर राज्य में हरिजन

2551. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में हरिजनों को केवल अछूत होने के कारण अभी तक मन्दिरों में दाखिल होने नहीं दिया जाता, ग्रामों में कुओं का प्रयोग नहीं करने दिया जाता और कुछ गलियों में चलने भी नहीं दिया जाता; और

(ख) अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के उपबन्धों का उलंघन कर के हरिजनों के साथ होने वाले इस प्रकार के समाज-विरोधी व्यवहार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में निम्न आय वर्ग आवास योजना

2553. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न आय-वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के लिये कितनी रकम नियत की गई थी;

(ख) कितने मकान बनाये गये तथा कहां कहां ; और

(ग) 1966-67 और 1967-68 में इस कार्य के लिये कितनी रकम नियत की गई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबालसिंह) : (क) 75 लाख रुपये की राशि नियत की गई थी और उसमें से 51.08 लाख रुपये खर्च किये गये।

(ख) 769 मकान बनाये गये। यह जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये मकान कहां कहां बनाये गये।

(ग) वर्ष 1966-67 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 7 लाख रुपये की राशि नियत की गई थी और 1967-68 के लिये 25 लाख रुपया नियत किया जाना है।

उर्वरक आदि के आयात के लिये अमरीका के साथ करार

2554. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और अमरीका सरकार ने हाल में एक करार किया है जिस के अन्तर्गत अमरीका, भारत में कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये अपेक्षित

उर्वरक, कीटनाशक औषधियां, मशीनें, फालतू पुर्जे तथा अन्य वस्तुएं आयात करने के लिये भारत को ऋण देगा ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया जायेगा ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के साथ 10 मई, 1967 को 13.2 करोड़ डालर (99 करोड़ रुपये) के लिए "वस्तु कार्यक्रम सहायता-1967" से सम्बद्ध करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) करार के अनुसार मूलधन का कोई अंश पहले दस वर्षों में चुकाया नहीं जाना है ; मूलधन की वापसी इसके बाद शुरू की जायगी और अगले तीस वर्षों में लगभग बराबर-बराबर का छमाही किस्तों में डालरों में की जायगी। ब्याज डालरों में पहले दस वर्षों में 1 प्रतिशत की वार्षिक दर से और उसके बाद बाकी 30 वर्षों में 2½ प्रतिशत की वार्षिक दर से हर छमाही अदा किया जाना है।

Drug Factory in Collaboration of Rumania

2555. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that a drug factory would be set-up in India in collaboration of Rumania;

(b) if so, when, and the total amount of expenditure to be incurred thereon; and

(c) the place where the said factory is likely to be set-up ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

केरल में सिंचाई के लिए अतिरिक्त धन

2556. श्री मंगलाथुमाडोम : श्री श्रीधरण :
श्री विश्वम्भरम : श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खाद्यान्न की अत्याधिक कमी को देखते हुये क्या उस राज्य में सिंचाई कार्यों के लिए अतिरिक्त धन दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) केरल में बड़ी और मंझली सिंचाई परियोजनाएँ निर्माण के विविध चरणों में है। बहुत सी परियोजनाओं को चौथी योजनावधि में काफी हद तक पूरा करने के लिए निर्माण गति में तेजी लाने का विचार है। चौथी योजना में परियोजनाओं की सही लागतों पर अभी फैसला होना है।

अखिल भारतीय विद्युत सलाहकार परिषद

2557. श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक उच्च शक्ति प्राप्त अखिल भारतीय विद्युत सलाहकार परिषद् स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं तथा इसके कृत्य क्या होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। केन्द्रीय बिजली सलाहकार परिषद् स्थापित करने का विचार है।

(ख) इस परिषद् की बनावट पर विचार हो रहा है।

यह परिषद् एक सलाहकार संस्था होगी और बिजली के उत्पादन, सप्लाई और वितरण संबंधी मामलों के बारे में तथा इसको निर्दिष्ट नीति के अन्य मामलों पर सिफारिशें करेगी।

बकाया करों की राशि का जमा हो जाना

2558. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1962 से 1966 तक के वर्षों की अवधि में धन कर, आय-कर, व्यय-कर, उपहार कर तथा सीमा-शुल्क की कितनी बकाया राशि राज्य-वार जमा हो गई है; और

(ख) उसे वसूल करने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर दी जायगी।

Flats in Possession of Ex-M.Ps.

2559. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister for **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of ex-M.Ps. in possession of Government Houses at present from whom rent is being charged at market rate; and

(b) the market rate for different types of flats and bungalows separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The number of ex-M.Ps. in possession of Government Houses at present is 15.

(b) Damages are being charged at the rate of market rent from them as per the statement attached. **(Placed in Library, See No. L. T. 673/67)**

Compensation to Women for Suffering After Effects of Loop.

2560. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the women who suffer from pain and bleeding as a result of making use of the loop device, are paid any monetary compensation; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) : Monetary compensation for out-of pocket expenses, loss of wages etc. is offered to all women for I.U.C.D. insertions.

In cases where pain and bleeding are reported, free medical attention is also provided.

Social Welfare Centres

2561. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Social Welfare Centres or branches operating at present under the Central Social Welfare Board and the expenditure proposed to be incurred thereon this year; and

(b) the percentage of expenditure on social welfare being contributed by the State Governments by way of grants ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) 40 Centres of the Welfare Extension Projects of the Original Pattern and 2452 Centres of the Welfare Extension Projects of the Co ordinated Pattern are functioning at present. The former are functioning only in the hilly, remote and backward areas of the country. The Central Social Welfare Board proposes to incur an expenditure of Rs. 31 lakhs on the Centres under Projects of both the patterns during the current financial year.

(b) The State Govt.'s share of expenditure on the Welfare Extension Projects of the Co-ordinated Pattern comes to 26 and 29% respectively in Stage I and Stage II Projects. In the case of Welfare Extension Projects of the Original Pattern, the State Governments' share is $33\frac{1}{3}\%$ of the expenditure.

केरल में ताप बिजली घर

2562. श्री अ० कु० गोपालन : श्री चक्रपाणी :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री राममूर्ति :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में ताप-बिजली घर बनाने का काम आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है;

(घ) क्या राज्य तथा केन्द्र सरकार के बीच इस योजना के बारे में कोई मतभेद चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या; और

(च) इसका निर्माण-कार्य वस्तुतः कब आरंभ होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने केरल में 55 मैगावाट की क्षमता के ताप यूनिट के प्रतिष्ठान के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप से मान लिया है। स्कीम रिपोर्ट की इस समय जांच की जा रही है।

(ग) राज्य सरकार ने इस स्कीम के लिए चौथी योजना में 2.5 करोड़ रुपये के लिए कहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस कार्य को इसकी औपचारिक स्वीकृति के पश्चात् आरम्भ किया जायगा।

हौजों का समाहार

2563. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के असैनिक तथा प्रतिरक्षा क्रेताओं को हौजों का समाहार करने में क्या क्या कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं;

(ख) सरकार ने हौज बनाने के लिये कितने औद्योगिक एककों को अब तक लाइसेन्स दिये हैं;

(ग) छोटे पैमाने के कितने उद्योगों ने हौज सप्लाई करने के लिये अपने मूल्य बताये हैं;

(घ) उनको किन कारणों से क्रयादेश नहीं दिये गये; और

(ङ) विभिन्न सरकारी क्रेताओं के लिये हौजों का समाहार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पूर्ति और निपटान महा निदेशालय को मांग पत्रों के अनुसार होजों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। कच्चे माल के न मिलने से कभी कभी ऐसे होजों की सप्लाई प्रभावित होती है, जो विदेशी कच्चे माल से बनाये जाते है।

(ख) 21

(ग) 5

(घ) पाँचों एककों को क्रयादेश दिये गये थे ।

(ङ) क्रेताओं की आवश्यकतानुसार खरीददारी की जाती है । सामान्यतः संविदा-प्रक्रिया अपनाई जाती है । जहां आवश्यक होता है वहां दर और अस्थिर ठेके किये जाते हैं ।

मध्य प्रदेश के उद्योगों से सामान का समाहार

2564. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के असैनिक तथा प्रतिरक्षा इन्डैंट कर्ताओं को निम्न वस्तुओं के समाहार के लिये उद्योगों ने कितना योगदान दिया;

(एक) इमारती लकड़ी (दो) कागज तथा लेखन-सामग्री (तीन) तेल तथा तेल से तैयार सामान (चार) इलैक्ट्रिकल तथा मकेनिकल इंजिनियरिंग का साज़-सामान तथा सहायक वस्तुएं (पांच) स्टोर-विविध तथा लोहे का सामान (छः) रोगन तथा रसायन (सात) कृषि-उत्पादन ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय ने वर्ष 1965–66 और 1966–67 (फरवरी 1967 तक) मध्य प्रदेश के विक्रेताओं को जितने मूल्य के क्रयादेश दिये थे, उनका विवरण निम्न प्रकार है :

सामान	मूल्य लाख रुपयों में	
	1965–66	1966–67 (फरवरी 1967 तक)
इमारती लकड़ी (लकड़ी की वस्तुएं)	6.36	3.03
कागज तथा लेखन-सामग्री (कागज और कागज से तैयार सामान)	8.48	15.66
तेल तथा तेल से तैयार सामान (चर्बी और बनस्पति तेल)	12.74	16.33
इलैक्ट्रिकल तथा मेकनिकल इंजिनियरिंग का साज-सामान और सहायक वस्तुएं	135.65	127.63
विविध सामान और लौहे की वस्तुएं (अर्थात रबड़ की वस्तुएं धातु की वस्तुएं और रेलवे का सामान)	70.25	34.89
रोगन और रसायन (रसायन उत्पादन)	1.12	2.08

पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय द्वारा कृषिजन्य वस्तुओं की खरीदारी नहीं की जाती है ।

गांवों में बिजली लगाना

2565. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में गांवों में बिजली लगाने के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में गांवों में बिजली लगाने के काम के विस्तार के लिए कितना धन नियत किया गया है;

(ग) ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और इन योजनाओं के चलाने में प्रति वर्ष कितना खर्च आता है;

(घ) ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं के कारण प्रति वर्ष कितनी ठीक वास्तविक हानि हो रही है; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चौथी योजना अभी तैयार नही हुई है। चौथी योजना में देश में ग्राम्य विद्युतन के लिए अस्थायी रूप से लगभग 300 करोड़ रुपये के प्रबन्ध का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) बिजली संबंधी कार्यकारी दल ने 12 करोड़ रुपये के व्यय की सिफारिश की है। बहरहाल मध्य प्रदेश की चौथी योजना अभी तैयार नहीं हुई है।

(ग) तीसरी योजना के अन्त तक ग्राम विद्युतन कार्य में सारे भारत में लगभग 230 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। चूंकि राज्य बिजली बोर्ड ग्राम विद्युतन स्कीमों के लेखे पृथक नहीं रखते हैं, इसलिये सरसरी तौर पर वार्षिक खर्च को बताना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) चूंकि राज्य बिजली बोर्ड ग्राम विद्युतन स्कीमों के लेखे अलग नहीं रख रहे हैं, इसलिए हानि का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु यह सर्वमान्य है कि गांवों में साधारणतः बिजली की छुट-पुट मांग होती है और बिजली का उपयोग भी कम होता है और साथ ही बिजली दर आम खेतीकार की पैसे देने की न्यून क्षमता के अनुकूल निर्धारित करने पड़ते हैं, इसलिए ग्रामों में बिजली की सप्लाई के लिए लम्बे लम्बे पारेषण तथा वितरण पथों को लगाने के लिए धन की बड़ी बड़ी रकमों को लगाने की आवश्यकता के कारण ये स्कीमें अमितव्ययी होती हैं।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली की लाइनों में क्षति

2566. श्री गा० शं० मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में बिजली पैदा करने की कुल अधिष्ठापित क्षमता में से जितने प्रतिशत बिजली लाइनों की हानि हुई है उसकी तुलना में सरकारी क्षेत्र में बिजली पैदा करने की कुल अधिष्ठापित क्षमता में से कितने प्रतिशत बिजली लाईनों की हानि हुई है;

(ख) बिजली लाइनों की अत्यधिक हानि के परिणामस्वरूप राजस्व में कुल कितनी राशि की हानि हुई है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में हानि अधिक हुई है और यदि हां, तो इस हानि को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) किस राज्य बिजली बोर्ड की सबसे अधिक बिजली लाइन क्षमता है और किस बोर्ड की सबसे कम तथा कितने कितने मूल्य की बिजली पैदा करने की उनकी क्षमता है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 674/67]**

सामान्य बीमा समवाय

2567. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने सामान्य बीमा समवाय हैं;

(ख) इनमें से कितने समवायों पर विदेशियों का नियंत्रण है;

(ग) इनमें से कितने समवाय बिड़ला के नियंत्रणाधीन हैं; और

(घ) सामान्य बीमा समवायों की नौकरी में भारत में कुल कितने व्यक्ति हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और तैयार होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Primary Health Centres in U.P.

2568, Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount actually allocated to the Uttar Pradesh Government for opening Primary Health Centres in the State during 1966–67; and proposed to be allotted during 1967–68.

(b) the number of such Centres set up so far; and proposed to be opened during 1967–68.

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No amount was allocated for the opening of Primary Health Centres in Uttar Pradesh during 1966–67; nor is any allocation proposed to be made for the purpose during 1967–68.

(b) 651 Primary Health Centres have so far been set up in Uttar Pradesh. No additional Centres are proposed to be opened during 1967–68.

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का कल्याण

2569. श्री बिश्वनाथ पाण्डेय : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कितनी रकम व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यह रकम किन किन कार्यों पर खर्च की जायेगी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 1967-68 के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कल्याण पर 80.20 लाख रुपये की राशि अस्थाई रूप से खर्च करने का विचार है। राज्य सरकारों द्वारा गैर-योजना खर्च के रूप में अपने-अपने साधनों में से किये जाने वाले वचन-बद्ध खर्च से यह राशि अलग है।

(ख) योजनाओं की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 675/67**]

भूतपूर्व जरायम पेशा जातियां

2570. **डा० रानेन सेन** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में रहने वाली भूत-पूर्व जरायम-पेशा जातियों के जिन्हें अब विमुक्त जातियां कहा जाता है, तरीकों को बदलने के लिये अब तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं। जैसा कि नीचे दिये गये विवरण में बताया गया है, भारत सरकार विमुक्त जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में बड़ी राशियां खर्च कर रही है :—

कालावधि	रुपये लाखों की राशियों में विमुक्त जातियों पर खर्च
प्रथम पंच वर्षीय योजना	102.43
द्वितीय पंच वर्षीय योजना	271.90
तृतीय पंच वर्षीय योजना	382.40
जोड़ :-	756.73

चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान विमुक्त जातियों के लिये 5 करोड़ रुपये नियत करने का विचार है। तृतीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करके इस कार्यक्रम को और अधिक प्राथमिकता दे दी गई है। चतुर्थ योजना में भी इस कार्यक्रम को केन्द्रीय क्षेत्र में रखा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास क्षेत्र में आय-कर अधिकारियों को पदोन्नति

2571. **श्री सम्बन्धन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास क्षेत्र में गुमनाम याचिकाएं मिलने के कारण आय-कर अधिकारियों की पदोन्नति रोक दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इन गुमनाम याचिकाओं के संबंध में जांच की गई थी और निर्णय किये गये थे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। गुमनाम याचिकाएं मिलने के कारण मद्रास आयुक्त के कार्य क्षेत्र में आयकर अधिकारियों के पद पर कोई पदोन्नति नहीं रोकी गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई में उर्वरक कारखाना

2574. श्री न० कु० सांघी :
श्री वेदव्रत बरूआ :

क्या पेंट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुवेत की एक फर्म के सहयोग से बम्बई में एक ऐसे उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है, जो तरल अमोनिया पर आधारित होगा ?

पेंट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : मामला सरकार के विचाराधीन है।

नेशनल टैस्ट हाउस, कलकत्ता

2575. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल टैस्ट हाउस, कलकत्ता का दर्जा बढ़ा कर अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के दर्जे के बराबर न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने नेशनल टैस्ट हाउस में काम करने वाले वैज्ञानिक कर्मचारियों की उनके वेतन-क्रम को बढ़ाने की मांगों पर विचार किया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में मूल अनुसंधान का कार्य किया जाता है और इन संस्थाओं में देश विदेशों में ख्याति प्राप्त बड़े वैज्ञानिकों की देख रेख और नियंत्रण में काम किया जाता है। नेशनल टैस्ट हाउस, कलकत्ता के कार्य कुछ भिन्न प्रकार के हैं। वहां पर सामग्रियों का परीक्षण किया जाता है तथा ऐसे ही अन्य कार्य किये जाते हैं। यह एक छोटे स्तर की वैज्ञानिक संस्था मानी जाती है।

(ख) जी हां। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तात्कालिक महा निदेशक, श्री एम. एस. थेकर तथा विज्ञान विभाग के सचिव की सिफारिशों के आधार पर वेतन आयोग

द्वारा 1–7–1957 से निर्धारित वेतन-मानों को नेशनल टेस्ट हाउस के विज्ञान सेवा वर्ग I के सहायक निदेशक और उप निदेशक को दिये जाने वाले निम्नतम वेतन-मानों में 9–3–1962 से बदल दिया गया था, जब से कलकत्ता के नेशनल टेस्ट हाउस छोटी विज्ञान संस्था घोषित किया गया था। निदेशक के पद के वेतन-मान को 9–3–1962 से 1300–60–1600 रुपये से बढ़ा कर 1600–100–1800 रुपये कर दिया गया। इसके बाद में उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत विद्यालंकार अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निदेशक का वेतन-मान 9–12–1966 से 1600–100–1800 रुपये से आगे बढ़ाकर 1600–100–2000 रुपये कर दिया गया। इस अध्ययन दल ने यह सिफारिश नहीं की थी कि नेशनल टेस्ट हाउस में काम कर रहे अन्य वैज्ञानिक कर्मचारियों के वेतन-मानों में परिवर्तन किया जाये।

नेशनल टेस्ट हाउस के सहायक निदेशकों ने इस आशय का अभ्यावेदन दिये हैं कि उनके वेतन-मानों को बढ़ाया जाये। इन पर विचार किया जा रहा है।

Nagarauni Dam in Madhya Pradesh

2576. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) since when the Sindh River Nagrauni Dam Project which was selected for meeting the unavoidable needs of the Gwalior Division in Madhya Pradesh has been under consideration of the Central Government for their approval;

(b) whether he made an inspection of the site of the said project recently ;

(c) if so, whether he made any announcement there that the construction work on the said project will commence by certain scheduled date ; and

(d) if so, whether the construction work has stared as scheduled ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) (a) : The project report on Sindh Diversion Weir Scheme (Stage I) was received in October 1966 and is under technical scrutiny in consultation with the Madhya Pradesh Government.

(b) Yes, in April, 1965.

(c) No.

(d) Does not arise.

Chambal Hydel Scheme

2577. Shri Y. S. Kushwah : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total amount spent so far on the Chambal Hydel Scheme in Madhya Pradesh ;

(b) the time by which the entire work on the said scheme would be completed ;

(c) the estimated expenditure to be incurred on this scheme and the quantity of water and power which would be available therefrom ;

(d) the acreage of land which was irrigated by the Chambal Canal during the last agricultural year ,· and

(e) the voltage of electricity generated from Chambal and the voltage of electricity supplied out of it to rural areas for the purpose of agriculture, cottage industries and lighting and that supplied to urban areas respectively during the last one year ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Rs. 93.76 crores have been spent upto March 31st 1967 on the Chambal Multipurpose Project.

(b) 1969-70,

(c) Total estimated expenditure of the Chambal Multipurpose Project is Rs. 107.73 crores. On full development the project will yield 230 MW of hydel power at 60 per cent load factor and provide irrigation facilities to 14 lakh acres in both Madhya Pradesh and Rajasthan.

(d) 61,000 acres in Madhya Pradesh and 2,3 ,000 acres in Rajasthan.

(e) Electricity generated from Chambal is fed in to grids of Madhya Pradesh and Rajasthan and so the break up under different consumers is not available.

भारतीय तेल निगम के तेल को सहकारी समितियों के माध्यम से बेचना

2578. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नि० चं० चटर्जी :

क्या **पेट्रोलयम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अपने तेल उत्पादों को अधिकतर सहकारी समितियों के माध्यम से, जो उन्हें बेचने के लिये तैयार हैं, बेचने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम एक गैर-सरकारी फर्म, हिन्दुस्तान आर्गनाइजर्स को सभी सहकारी समितियों को दिये जाने वाले कुल कोटे से चार गुना कोटा दे रहा है और वह भी सस्ती दर पर ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम द्वारा सहकारी समितियों की तुलना में एक गैर-सरकारी फर्म को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है और दूसरे भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ग) करार के अनुसार हिन्दुस्तान आर्गनाइजर्स से मूल्य लिया जाता है और इस का कारण तीसरी लोक सभा में प्रस्तुत की गई पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज की समिति की रिपोर्ट में दिया गया है ।

सरकारी उपक्रमों का कार्य संचालन

2579. श्री वेदब्रत बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि सरकारी उपक्रमों को होने वाली हानि उन्हें न हो ; और

(ख) गत दो वर्षों में सरकारी उपक्रमों को कितनी हानि हुई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के काम की बराबर समीक्षा की जाती है और उनके द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुओं की लागत आदि कम करके उन वस्तुओं के लिए पर्याप्त आर्डर प्राप्त करने में उनकी सहायता कर के उनके काम में सुधार करने का हर प्रयत्न किया जाता है।

(ख) 1965-66 में 40 'चालू' प्रतिष्ठानों में से केवल 8 को कुल 7.9 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 1964–65 में 4 प्रतिष्ठानों को कुल 2.4 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

मध्य प्रदेश में ग्रिड व्यवस्था

2580. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक धन देने के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की कोई प्रार्थना केन्द्र के पास आई हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) निर्माणाधीन 220 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिये आवश्यक आयातित माल मंगाने के लिये मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को कितनी विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यह प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल में ली जाने वाली प्रस्तावित कुछ नई स्कीमों के लिए, जिनके अन्तर्गत पम्पों को ऊर्जित किया जाना है, 2 करोड़ रुपये का एक विशेष आंवटन दिया जाए।

(ख) इस समय इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन 220 के० वी० पारेषण प्रणाली से सम्बन्धित कुछ सामान का आयात करने के लिए कुल 3.76 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी।

उड़ीसा में गृह-निर्माण कार्य क्रम

2581. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में उड़ीसा में गृह-निर्माण कार्यक्रम के लिये कितनी राशि दी गई ;

(ख) गृह-निर्माण के विभिन्न मदों के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) नियत राशि में व्यय कम होने के क्या कारण है ;

(घ) 1966–67 और 1967–68 में उड़ीसा को कितनी राशि का नियतन किया गया ; और

(ङ) 1966–67 में कितनी राशि खर्च की गई ?

निर्माण ग्रावास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) (ख)(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 676/67**]

(ग) कमी का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारों ने विद्युत, सिंचाई और कृषि आदि योजनाओं की अपेक्षा ग्रावास योजना को कम प्राथमिकता दी है।

लाकबा में तेल खोज कार्य

2582. श्री रा० बरुग्रा : क्या **पेंट्रोलियम ग्रौर रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज का काम दक्षता-पूर्वक करने तथा उसकी देख-भाल करने के लिये लाकबा में काफी भूमि अर्जित किये जाने तथा इमारतों और सड़कों के बनाये जाने के बाद, क्या अब इन कार्यालयों को वहां से चुपचाप उठा कर शिबसागर ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उचित तथा सापेक्ष जांच के बाद ऐसा किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इन कार्यालयों को लाकबा से उठाकर शिबसागर ले जाने के प्रस्ताव का सरकार पुनर्विलोकिन करेगी ?

पेंट्रोलियम ग्रौर रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रौर (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पटना नगर का दर्जा बढ़ाना

2583. श्री रामावतार शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना नगर का दर्जा 'बी' 2 से बढ़ाकर 'बी' 1 कर दिया गया है, यद्यपि उसकी जन संख्या इस प्रयोजन के लिये निर्धारित 8 लाख की नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नगरीय क्षेत्र की चार नगरपालिकाओं, अर्थात पूना छावनी, किर्की छावनी, दापोदी तथा चिन्चेवादु की जन संख्या इस नगर का दर्जा बढ़ाने के प्रयोजन से पूना की जनसंख्या में शामिल की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पटना नगर निगम की जनसंख्या तथा उसकी अन्य चार नगरपालिकाओं, अर्थात, दानापुर निजाम नगरपालिका, दानापुर रेलवे कोलोनी, दानापुर छावनी बोर्ड तथा खगौल नगरपालिका, की जनसंख्या चार लाख से अधिक है, जो पटना नगर का दर्जा 'सी' से बढ़ाकर बी–2 करने के लिये निर्धारित सीमा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पटना का दर्जा बढ़ाने के लिये इसी आधार को अपनाने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : पूना नगर निगम के संश्लिष्ट क्षेत्रों अर्थात पूना तथा खिड़की छावनियों की जनसंख्या को और सर्वेक्षण द्वारा स्पष्ट हुई उसकी अपेक्षाकृत मंहगाई को ध्यान में रखते हुए, पूना नगर के वर्गीकरण को ऊंचा करके 'बी' 1 कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : बिहार सरकार ने हाल ही में पटना नगर निगम की सीमा में कुछ क्षेत्र शामिल कर लिये हैं। इन परिवर्तनों के कारण पटना के वर्गीकरण में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है अथवा नहीं, इस प्रश्न की जांच की जा रही है।

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in U. P.

2584. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali:

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2379 on the 20th April, 1965 and state :

(a) whether any investigation has since been conducted in the expenditure incurred out of the grants totalling, Rs. 8,73,:92 given to the three institutions of U. P viz., (i) Ishwar Saran Ashram, Allahabad ; (ii) Allahabad University and (iii) Kumar Ashram, Meerut during the years 1961-62 and 1964--65;

(b) if so, whether any irregularities have been found; and

(c) the various items on which the money was spent by these institutions ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) The accounts of the Ishwar Saran Ashram, Allahabad for the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66 were inspected by the Department. The accounts of the Allahabad University are usually inspected by the Examiner of the Local Fund Accounts. No inspection has been made in respect of Kumar Ashram as grant-in-aid was given to the institution for only one year.

(b) So far no irregularities have come to the notice of Government except some minor technical lapses.

(c) The information is as follows:—

Ishwar Sara Ashram, Allahabad : Propaganda for removal of untouchability.

Allahabad University : To run the Pre-examination Training Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for competing in the I.A.S. etc. examinations.

Kumar Ashram, Meerut : For construction of Sardar Patel Bhavan, installation of tube-well and purchase of furniture.

Production Bonus to Workers of Opium Factory, Ghazipur

2585. **Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the workers of the Ghazipur Opium Factory have not been paid production bonus this year;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the officers of the factory have sent their recommendations in regard to the payment of production bonus to the workers; and

(d) if so, how long will it take Government to arrive at a decision in this matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes sir. The workers have not been paid production bonus for the opium year 1965-66 (1-10-1965 to 30-9-1966) ;

(b) The production award was not paid to the workers since the norms of production prescribed for the payment of the award were not fulfilled during the opium year 1965-66;

(c) and (d) The Factory authorities have not recommended the payment of the production award for the year 1965-66. However, the Ghazipur Opium Workers' Union had represented regarding the payment. As the norms prescribed had not been fulfilled, their request was not acceded to.

Income-Tax Relief to persons with large number of Children

2586. **Shri Ishaq Sambhali :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Income-tax relief had been given to persons having large number of children ;

(b) if so, the limits thereof ;

(c) whether it is also a fact that in order to stop the increasing population Government propose to abolish the rule ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. The annual Finance Acts provide for the grant of tax relief to resident individuals, *inter alia* with reference to the number of their dependent children. This relief is admissible only upto two children.

(b) The tax relief in respect of personal allowances under the Finance (No. 2) Bill, 1967 is given in the statement laid on the Table of the House [**Placed in Library, See No. LT-682/67**]

(c) No, Sir.

पटना शहर का दर्जा बढ़ाना

2587. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) विंध्याचल और मिर्जापुर के बीच की दूरी कितनी है;

(ख) क्या "सी" श्रेणी के नगरों के रूप में वर्गीकरण करने के प्रयोजनार्थ विंध्याचल और मिर्जापुर को एक साथ रखा गया था;

(ग) पटना नगर निगम और फूलवाड़ी शरीफ के बीच तथा पटना नगर निगम और दीनापुर निजामत नगरपालिका के बीच की दूरी कितनी कितनी है;

(घ) क्या बिहार की सरकार ने दिनांक 21 मई, 1966 के अपने पत्र संख्या 3543 एल० एस० जी० के द्वारा सूचित किया है कि फूलवाड़ी शरीफ और दीनापुर निजामत नगरपालिका पटना नगर निगम से बिल्कुल साथ लगते हैं; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (घ) के उत्तर "हां" हों, तो पटना का दर्जा बढ़ाने के लिये फूलवाड़ी शरीफ और दीनापुर निजामत नगरपालिका की आबादी को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मिर्जापुर तथा विन्ध्याचल एक ही नगरपालिका के भाग हैं तथा इनकी जनसंख्या 1,00,097 है। 1961 की जनगणना रिपोर्ट में इन्हें मिर्जापुर-तथा-विन्ध्याचल दिखाया गया है। तदनुसार, इसका वर्गीकरण 'सी' श्रेणी के नगरों में किया गया है।

(ग) और (घ) पटना नगर निगम तथा फूलवाड़ी शरीफ यूनियन बोर्ड संश्लिष्ट हैं, बिहार सरकार ने बताया था कि सम्पूर्ण व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए दीनापुर पटना के साथ संश्लिष्ट है। किन्तु उनसे प्राप्त मानचित्र से पता चलता है कि दीनापुर निजामत नगरपालिका पटना नगरपालिका के साथ संश्लिष्ट नहीं है।

(ङ) मकान किराया भत्ते तथा नगर निवास भत्ते की मन्जूरी के लिए नगर का वर्गीकरण करने में उस नगर की तथा उसकी संश्लिष्ट नगरपालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों तथा छावनियों की जनसंख्या को हिसाब में लिया जाता है। फूलवाड़ी शरीफ की जनसंख्या को, जो केवल संघ बोर्ड है, पटना नगर के वर्गीकरण के निमित्त से हिसाब में नहीं लिया जा सकता।

यमुना पर बांध

2588. श्री अब्दुल गनी दार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में यमुना पर बांध बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्विमिंग पूल

2589. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कनाट प्लेस में रीगल बिल्डिंग के सामने तैरने का एक तालाब (स्विमिंग पूल) बनाया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त तालाब अब प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उस पर कुल कितना धन व्यय किया गया था; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस काम के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। तथापि नई दिल्ली नगरपालिका ने रीगल बिल्डिंग के सामने वाले पार्क में इस पार्क के सुधार-कार्य के एक अंग के रूप मे एक लिल्ली तालाब बनाया है।

(ख) और (ग) रीगल-पार्क की सुधार योजना का क्रियान्वयन नई दिल्ली नगरपालिका ने 1964 में प्रारम्भ किया था। जब यह कार्य चल रहा था उस समय यह फैसला किया गया था कि उस स्थान पर एक भूमिगत गैरेज बनाया जाय। नई दिल्ली नगरपालिका ने यह भी निर्णय किया है कि केवल चहारदीवारी बनाई जाये और सीखों की बाढ़ लगाई जाय तथा लिल्ली तालाब के ऊपर डैक-स्लैव, पार्क के मध्य के स्तम्भों में लता मण्डप आदि जैसे शेष कार्यों को रोक दिया जाय।

पार्क के सुधार कार्य पर आज तक 75,000 रुपये खर्च हुए।

(घ) सरकार ने इस कार्य के लिए नई दिल्ली नगरपालिका को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

2590. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्राम्बे उर्वरक कारखाने का विस्तार करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसके उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) भारतीय उर्वरक निगम लि० से ट्राम्बे उर्वरक कारखाने के विस्तार के

लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विस्तार-परियोजना की अर्थ-व्यवस्था के लिए अमरीकी सहायता (US AID) को प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) उत्पादन में यह वृद्धि 124,000 मीटरी टन नाइट्रोजन और 124,000 मीटरी टन पी$_2$ ओ$_5$ या पोषकांशो (Nutrients) के कुल 248,000 मीटरी टन अतिरिक्त होंगे। इसके अलावा लगभग 33,000 मीटरी टन नाइट्रोजन विक्रय के लिए अमोनिया और अन्य नाइट्रोजन उत्पादनों के रूप में उपलब्ध होगा।

नियन्त्रक तथा महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2591. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियन्त्रक तथा महालेखापाल के कार्यालय के सभी वर्गों के कितने कर्मचारियों को रकारी क्वार्टर दिये जा चुके हैं;

(ख) 30 अप्रैल, 1967 को कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं दिए गए थे; और

(ग) उन्हें उपयुक्त रिहायशी सरकारी आवास देने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 203.

(ख) 256.

(ग) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के दिल्ली स्थित अन्य कर्मचारियों के साथ समूह में रखे गये हैं, और सरकारी निवास नियतन (दिल्ली में सामान्य समूह) नियमावली 1963 के अनुसार सामान्य समूह से मकान पाने के पात्र हैं।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पंखे

2592. श्री हीरजी भाई : श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू ग्रीष्म ऋतु में पंखे खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ऋण देने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : नियमों में केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक से अधिक 100 रुपये अथवा मेज के पंखे के प्रत्याशित मूल्य, में जो रकम कम हो, उसके बराबर रकम ब्याज पर पेशगी दिये जाने की व्यवस्था है। इस रकम की वसूली अधिक से अधिक 10 बराबर मासिक किस्तों में की जाती है। पेशगी रकम की मंजूरी देने वाले विभिन्न अधिकारियों द्वारा जितने पंखों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है उसे ध्यान में रखते हुए बजट में इस प्रकार की पेशगी रकम के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारी

2593. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रध.नी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय में कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों को 1966–67 में प्रतिनियुक्ति पर विदेशों में भेजा गया; और

(ख) उन्हें किन किन देशों में भेजा गया ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में सरकारी बंगलों के आउट हाउसों का दुरुपयोग

2594. श्री क० प्र० सिंह देव : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री प्र० के० देव : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में जिन लोगों को बड़े बंगले दिये गये हैं उनमें से अधिकांश लोगों ने आउट-हाउसों तथा गैराजों में अनधिकृत रूप से दुकानों और चाय के स्टाल चलाने की अनुमति दे रखी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक बंगले में एक मुद्रणालय स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सरकार को यह पता नहीं है कि आउट-हाउसों और गैराजों का अनधिकृत रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है।

(ख) और (ग) यह शिकायत मिली थी कि एक भूतपूर्व संसद सदस्य को दिये गये बंगले में एक मुद्रणालय काम कर रहा था। यह सदस्य चौथी लोक सभा के लिये नहीं चुना गया है। उससे अब मकान खाली कराया जा रहा है।

Pay drawn by Employees

2595. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the lowest amount of salary drawn by an employee in the Central Government service;

(b) the highest amount of monthly salary drawn by an employee in the Central Government service; and

(c) the number of employees drawing lowest salary whose total emoluments if taken together would be equal to the highest amount of salary drawn by a Central Government official ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Rs. 117/- p. m. (Rs. 70/- basic pay plus Rs. 47/- dearness allowance).

(b) Rs. 3500/ p.m. but Officers whose emoluments are guaranteed under the Constitution and the incumbents of certain offices and posts specifically provided for in the Constitution draw higher rates of pay.

(c) 29.91.

Currency notes recovered in Bombay,

2596, Shri Bramha Nandji :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Anti-Corruption Bureau recovered currency notes ammounting to five lakhs of rupees near Flora Fountain in Bombay on 23rd May, 1967; and

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken in this regard and the details of the action taken ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai). : (a) Yes, Sir.

(b) Two persons were arrested and later released on bail. The c sh of Rupees five lakhs has been seized by the Income-tax authorities and investigations under the Income-tax Act are in progress.

अपवंचित आयकर की राशि वसूल करने में जनता का सहयोग

2597. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपवंचित आय-कर की राशि वसूल करने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) अपवंचित आय-कर के आंकड़े राज्य-वार क्या हैं;

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या सूचना देने वाले को पुरस्कार देने के लिये धन की कोई व्यवस्था की गई है?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : सरकार ने इस मामले में पहले ही जनता का सहयोग मांगा है। यह घोषणा की गयी है कि जो लोग इस प्रकार की सूचना देंगे जिससे छिपाई गई आय का पता चले, अथवा जिन मामलों में विभाग द्वारा वसूली करने के प्रयत्न असफल हो गये हों उन मामलों में वसूली की कार्यवाही में सूचना/सहायता प्रदान करेंगे, उनको ऐसी सूचना तथा/सहायता के कारण वसूल हुए अतिरिक्त कर के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक की रकम इनाम में दी जायगी। उपयुक्त मामलों में अन्तरिम इनाम भी दिये जायेंगे। इनामों पर आयकर नहीं लगता है।

(ग) इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितने आयकर का अपवंचन किया गया है।

(घ) कानून के अधीन उपलब्ध सभी उपाय किये जा रहे हैं।

(ङ) जी, हां।

Assistance for Irrigation and Power Schemes in Mysore

2598 **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the amount of assistance being provided by the Centre to Mysore State for implementing their power and irrigation shcmes during the Fourth Plan; and

(b) the details of the schemes for which the aid is being given ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) : The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised.

(b) : Does not arise.

Upper Krishna Project in Mysore

2599. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the survey of Upper Krishna project in Gulbarga District of Mysore State has been completed;

(b) if so, when; and

(c) when the construction work is likely to be undertaken ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) and (b) : Yes, Surveys in respect of the Dam sites and alignment of main canals have been completed. Soil surveys are yet to be taken up.

(c) : The construction work at the Almatti Dam was taken up in March 1964. Work at the Siddapur Dam site has not yet been taken up.

भारत में अमरीकी पूंजी

2600. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 में भारत में कुल कितनी गैर-सरकारी अमरीकी पूंजी लगी हुई थी और इस समय कितनी पूंजी लगी हुई है तथा उस पूंजी विनियोजन का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) लाभ, ब्याज तथा अन्य रूपों में इस समय कुल कितना धन प्रतिवर्ष अमरीका को भेजा जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भारत में विदेशी-पूंजी निवेश के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये पहले के सर्वेक्षण का सम्बन्ध जून, 1948 के अंत तक की स्थिति से और सब से अंतिम सर्वेक्षण का सम्बन्ध मार्च, 1965 तक की स्थिति से है। इन दोनों तारीखों को उद्योगों की स्थूल श्रेणियों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के बकाया गैर-सरकारी निवेश का ब्यौरा देने वाला एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है। इस विवरण में संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा किये गये निवेश के 1965–66 और 1966–67 में स्वीकृत उद्योगवार आंकड़े दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 677/67**

लाभ, लाभांश, ब्याज की अदायगियों आदि के सम्बन्ध में 1965–66 में भेजी गयी रकमें इस प्रकार थीं :–

		(करोड़ रुपयों में)
1.	चालू लाभ	1·5
2.	लाभांश	2·3
3.	ब्याज की अदायगियां	भारत में गैर सरकारी क्षेत्र से संयुक्त राज्य अमेरिका के गैरसरकारी क्षेत्र को—नगण्य
4.	मूलधन की अदायगियां	
5.	संचित लाभ	0·1
6.	तकनीकी और अन्य व्यावसायिक सेवाएं	1·4
7.	अधिकार शुल्क (रायल्टी)	0·9

इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक

2601. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच पटेल :
श्री एम० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश कर्मचारी अस्थायी रखे गये हैं, तथा उन्हें स्थायी नहीं किया गया है;

(ग) क्या इस प्रेस के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों में कोई ऐसा विवाद है जिससे औद्योगिक शांति भंग हो सकती है; और

(घ) प्रेस के संचालन में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : 6,722

(ख) : कर्मचारियों के 2384 पद स्थायी हैं और बाकी अस्थायी पदों में से जो पद स्थायी रूप में आवश्यक हो सकते हैं उन्हें स्थायी बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) और (घ) : इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस के स्टूडियो अनुभाग के कर्मचारियों ने कुछ मामले उठाये हैं जिनकी जांच इस समय प्रादेशिक श्रम आयुक्त, बम्बई द्वारा की जा रही है। इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस मजदूर संघ ने, जो मान्यता प्राप्त संघ है, हाल ही में वेतनमानों पर पुनर्विचार करने और कर्मचारियों का पुनर्वर्गीकरण करने, जैसी कुछ मांगे पेश की हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

orks undertaken in U. P. by Patel Commission

2602, Shri Nageshwar : Will the Minister of Plannig be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in the works undertaken in the four districts of Eastern U. P. in accordance with the recommendations of the Patel Commission, district-wise; and

(b) when the said works are likely to be completed ?

The Minister of Planning Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b) The State Government has been requested to furnish the necessary information. The same will be placed on the Table of the House as soon as received.

कलकत्ता उच्च न्यायालय में आयकर सम्बन्धी अपीलें

2603. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 में आय कर आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में ऐसी कितनी अपीलें दायर की गई जिनमें विवादास्पद राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है; और

(ख) इस सम्बन्ध में आयकर विभाग द्वारा की गई अपीलों की प्रतिशतता क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयकर अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत कर-निर्धारितियों को आयकर आयुक्त के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार हो ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

2604. श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शारदा नन्द :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में करदाताओं तथा आयकर आयुक्तों ने आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्तों के निर्णयों के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की कलकता पीठ के समक्ष क्रमश कितनी अपीलें दायर कीं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध प्रत्येक ने उच्च न्यायालय में कितनी अपीलें दायर कीं तथा प्रत्येक श्रेणी के कितने प्रतिशत मामलों में सफलता मिली ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को की गई अपीलें	
	निर्धारितियों द्वारा	विभाग द्वारा
1965-66	3,092	1,034
1966-67	3,814	1,248

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

आवास परियोजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण

2605. श्री पार्थसारथी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न गृह-निर्माण परियोजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये जीवन बीमा निगम को कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितनी राशि का ऋण मांगा है; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं और योजनाओं के लिये ऋण मांगा गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि इस मन्त्रालय ने वर्ष 1967-68 के लिये 15 करोड़ रुपये मांगे थे, परन्तु निगम ने केवल 12 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया है।

(ग) इस समय निगम राज्य सरकारों को निम्नलिखित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ऋण दे रहा है :

(एक) मध्य स्तर की आय वाले लोगों के लिये आवास-योजना।

दो) कम आय वाले लोगों के लिये आवास योजना।

(तीन) ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना।

(चार) बागों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये आवास योजना।

(पांच) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये किराया आवास योजना।

(छः) भूमि अर्जन तथा विकास योजना।

Bidi Industry

2606. **K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the increased taxes on cigarettes are likely to give any fillip to Bidi industry; and

(b) if so, the other steps Government propose to take for the development of Bidi industry ?

The deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Excise duty on cigarettes has been substantially increased in the budget proposals 1967-68 as a revenue measure and also to restrain increasing consumption of cigarettes and to conserve cigarette tobacoo for export. In the process, the increased duty on cigarettes is likely to improve the competitive position of bidis vis-a-vis cigarettes.

(b) No other fiscal measure is contemplated for the development of bidi industry.

Effect of Milo on the Health of People

2607. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the milo which is being distributed through ration shops in the scarcity and famine-stricken areas is baving an adverse effect on the health of the common people;

(b) whether it is also a fact that its use has resulted in heavy loss of the capacity to work of labourers; and

(c) if so, the action proposed to be taken by the Central Government to prevent the deterioration in health of the public ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S Chandra Sekhar) : (a) and (b) Government have not received any report about the adverse effect of milo on the health of the people or their capacity to work.

(c) Does not arise.

बन्ध्यीकरण

2608. **श्री रवि राय : श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये : श्री जे० एच० पटेल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन व्यक्तियों को जो परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत अपना बन्ध्यीकरण कराते हैं ; कुछ धन देती है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 14/15 वर्ष के एक लड़के के मामले की ओर दिलाया गया है, जिसका बन्धीकरण का आपरेशन मद्रास जनरल अस्पताल के भूतपूर्व डीन ने किया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न परिवार नियोजन योजनाओं को लागू करने और इस योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर होने वाली कुरीतियों और बुराइयों को रोकने के लिये धन का "प्रलोभन," नगद भुगतान समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। जिन लोगों का बन्ध्यीकरण किया जाता है उनको जेब खर्च तथा मजूरी की हानि के लिये कुछ राशि दी जाती है।

(ख) जी, हां। एक पन्द्रह वर्षीय लड़के के बन्ध्यकरण के मामले की पुलिस द्वारा जांच कराई जा रही है।

(ग) जेब खर्च तथा मजूरी की हानि के लिये कुछ राशि देना आवश्यक समझा जाता है। अतः इसे समाप्त करने या इसके आधार पर योजना में कुछ फेर बदल करने का अभी कोई विचार नहीं है।

Family Planning

2609. Shri Sarjoo Pandey :
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether scheme for enlisting the assistance of private doctors to augment the family planning work has been finalised; and

(b) if so, the details thereof.

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S Chandra Sekhar) : (a) Yes.

(b) Details are given in the enclosed statement. **[Placed in Library, S.e. No.LT-678/67]**

मोती नगर नई दिल्ली में जल सम्भरण

2610. श्री पार्थसारथी :
श्री किकर सिंह :
श्री राम चरण :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 17 नवम्बर 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1674 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में पानी की मुख्य पाइप लाइन की इस बीच सफाई कर दी गई है और जलाशय से जोड़ दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो "बी०" ब्लाक के ऊपरी क्वार्टरों (पहली मंजिल) में रहने वाले लोगों को पानी न मिलने के क्या कारण हैं;

(ग) यह कठिनाई कब तक; और

(घ) गर्मी के इन महीनों वहां के निवासियों की कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) इस क्षेत्र की भूमिगत जल नालियां आकार में छोटी हैं तथा नीचे की और पहली मंजिल के क्वार्टरों के पानी के कनेक्शन भी एक साथ हैं। भूमिगत नालियों के सुधार के प्रश्न को दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने दिल्ली नगर निगम के गन्दी बस्ती विभाग से उठाया है। उनसे इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया है ;

(ग) भूमिगत नालियों के सुधार होते ही यह कठिनाई दूर हो जायेगी ;

(घ) अधिकांश क्षेत्रों में पानी का दबाव पहले ही बढ़ाया जा चुका है। जलमार्ग-कपाटों के विनियमन से भी कुछ राहत दी जा रही है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां

2611. श्री कं० हाल्दर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों को जब कारखानों में लगाया जाता है तो उनको सरकारी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, जो मुख्यालय में काम करने पर उन्हें मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) कारखानों में तैनात केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कार्यकारी कर्मचारी सम्बन्धित कारखानों द्वारा मनायी जाने वाली छुट्टियां मनाते हैं जबकि प्रधान कार्यालयों में तैनात कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की घोषित छुट्टियां मनाते हैं। जिन मामलों में कारखानों द्वारा मनायी जाने वाली छुट्टियां केन्द्रीय सरकार की घोषित छुट्टियों की अपेक्षा संख्या में कम होती हैं उनमें कर्मचारियों को छुट्टियों की बाकी रही संख्या के बदले में प्रतिपूरक छुट्टियां लेने की अनुमति दी जाती है। लेकिन कारखानों में तैनात कर्मचारियों को माह के दूसरे शनिवार की घोषित छुट्टियां नहीं दी जाती क्योंकि ये घोषित छुट्टियां सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गयी हैं जो पहले सभी शनिवारों को आधी छुट्टियां मनाते रहे थे और

जिनके मामले में महीने के सभी शनिवारों को, दूसरे शनिवार को छोड़कर, पूरा समय काम करने के दिन बनाने के आदेश 1960 में जारी किये गये थे।

इड्डिक्की जल विद्युत परियोजना

2612. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में इड्डिक्की जल विद्युत परियोजना के लिये कितनी रकम नियत की गई है ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिये केरल सरकार ने कितने धन की मांग की थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) योजना आयोग को वार्षिक योजना (1967–68) देते हुए केरल सरकार ने इड्डिक्की परियोजना के लिये चालू वर्ष में 18 करोड़ रुपये मांगे थे। विद्युत से सम्बन्धित कार्य संचालन ग्रुप ने 13 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने अपने बजट में इसके लिये 8.6 करोड़ रुपये की अन्तिम रूप से व्यवस्था की है।

नई दिल्ली में लोधी कालोनी में चमरियों का अलाटमेंट

2613. श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशक ने सभी कार्यालयों में कोई सूचना परिपत्र जारी किये बिना ही एक साल से कम सेवा वाले तथा टाइप दो के क्वार्टरों के लिये हकदार सरकारी कर्मचारियों को लोधी कालोनी में एक कमरे वाली 70 चमरियां अलाट कर दी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 15 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को ये चमरियां नहीं दी गई; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं। कुछ उन लोगों को जो सेकिन्ड टाइप क्वार्टर की प्रतिक्षा सूची पर थे, लोदी कालोनी में बनी चमरियां अलाट की गई थीं, परन्तु वे उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। इसलिए सरकार ने इन खाली चमरियों को होस्टल के रूप मान लिया और ऐसी 64 चमरियां उन कर्मचारियों को अलाट कर दी गई, जो होस्टल क्वार्टर के लिये सेकिंड टाइप के क्वार्टरों की प्रतीक्षा सूची पर थे और उन कर्मचारियों को, जिन्होंने होस्टल क्वार्टरों के लिये आवेदन किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिये धन का नियतन

2614. श्री पार्थसारथी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के लिये चौथी योजना में शामिल योजनाओं के लिये और अधिक धनराशि का नियतन किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं। अक्टूबर/नवम्बर, 1966 में राज्य के मुख्य मंत्री के साथ हुई बातचीत के और उस समय के वित्तीय संसाधनों के आधार पर राज्य की चौथी योजना के लिये 522 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। तब से राज्य सरकार से इस विषय पर कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में पादप-रसायन कारखाना (फाइटो-केमिकल्स फैक्टरी)

2615. श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरन :
श्री अनिरूद्धन :
श्री अदिचन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नेरियांमंगलम में पादप-रसायन कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : (क) कच्चे माल के अधिक मूल्यों और केफीन के, जो उत्पादन कार्य-क्रम के अनुसार निर्माण के लिए मुख्य पदार्थ था, उत्पादन के लागत में लगातार वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए; नेरियांमंगलय में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित पादप-रसायन कारखाने को छोड़ दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि

2616. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा घाटे की अर्थव्यवस्था की नीतियों का पालन किये जाने के कारण सरकार द्वारा नियंत्रित कर्मचारी भविष्य निधि में जमा धनराशियों का अवमूल्यन किया जा रहा है ; और

(ख) जीवन बीमा निगम के द्वारा साम्य बीमा पालिसियां जारी करके प्रभावित कर्मचारियों को, विशेषकर सरकारी नौकरी वाले कर्मचारियों को, सुरक्षा प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भविष्य निधि में दिये जाने वाले अंशदानों और उन पर मिलने वाले ब्याज की रकम, अंशदान करने वालों को उसी तरह से वापस की जाती है जिस तरह से वाणिज्यिक बैंकों में जमा करायी जाने वाली रकमें या सरकारी प्रतिभूतियों में या छोटी बचतों में लगायी जाने वाली रकमें। ये रकमें मूल्य-सूचक अंक से सम्बद्ध नहीं होती और इसलिये किसी प्रकार के अवमूल्यन का और उसके लिए किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

C. H. S. Dispensary For Shakur Basti, Delhi

2617. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of Health **and Family Planning** be pleased to state.

(a) whether Government are aware that more than 2,000 Central Government employees are putting up in Shakur Basti Delhi ;

(b) whether it is a fact that the said employees have represented to Government many a time to provide the Central Health Scheme facilities in this area ; and

(c) if so, the time by which Government propose to implement the said scheme in this area ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a)The information available with the Ministry of Health and Family Planning indicates that there are about 1,000 Central Government employees (including Defence Civilians) putting up in the Shakur Basti area, Delhi.

(b) Yes.

(c) The present number of Government servants residing in the Shakur Basti area does not justify the opening of a dispensary there.

Employees of Raj. Ghat Samadhi, New Delhi

2618. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Nihal Singh :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some employees of Raj Ghat Samadhi have been retrenched without assigning any notice ;

(b) whether it is also a fact that the said employees had been working for more than ten years and are now squatting in front of the Office for over a month ;

(c) if so, the reasons for their retrenchment ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Sardar Iqbal Singh)(a) (b),(c) and (d) The pay scales of the class IV employees of the Rajghat Samadhi Committee were revised and their working hours made similar to those of Central Government employees of that grade. The requirements of staff of the Samadhi Committee were then reassessed and five chowkidars and two sweepers, out of a total of 25 chowkidars and sweepers, were found surplus. The Committee retrenched the seven surplus workers, after giving them one month's pay in lieu of notice. Only one of them had put in over ten years' service. The workers refused to accept their pay, have put up tents in the Samadhi area and have been squatting there. The decision on retrenchment has been taken by the Rajghat Samadhi Committe, which is a statutory body presided over by the Lt, Governor of Delhi.

Smuggling of Kerosene Oil

2619. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state

(a) whether it is a fact that, 6,000 litres of kerosene oil were seized while being taken out stealthily from the Capital on or about the 25th May, 1967 ;

(b) if so, the action taken against the culprits and the number of persons involved ; and

(c) the name of the company from which kerosene oil was obtained ?

Minister of State in The Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri K. Raghu Ramaiah) (a) , (b) and (c) The information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha,

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये क्रयादेश

2620. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1961–62 से 1966–67 तक विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा इंजिनियरिंग के सामान के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा भेजे गये विभिन्न क्रयादेश कितने मूल्य के हैं तथा उनका विवरण क्या है, जो उन्होंने सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अलग अलग भेजे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : सम्भरण और निपटान महानिदेशालय ने इंजिनियरी और अन्य सम्बद्ध सामान के लिये 1962–63

से 1966–1967 के दौरान (फरवरी 1967 तक) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं और माल सप्लाई करने वालों को जो क्रयादेश दिये थे उनका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया—देखिये एल० टी० संख्या 679/67]

सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के वर्ष 1961–62 के आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

भाखड़ा नांगल परियोजना के कर्मचारी

2621. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के कुछ कर्मचारियों और मजदूरों को फालतू घोषित किया जा रहा है अथवा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नियमित तथा कार्य-भारित दोनों में से प्रत्येक श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) फालतू घोषित कर्मचारियों को अन्य पदों पर नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भाखड़ा के कार्यों के धीरे धीरे पूर्ण होने पर साथ ही साथ कर्मचारियों की संख्या में भी कमी की जा रही है। संख्या की इस कमी का हिसाब तीन मास पहले ही लगा लिया जाता है।

(ख) 30 जून, 1967 को खत्म होने वाली तिमाही के लिए निम्नलिखित वर्कचार्ज कर्मचारी फालतू घोषित किए गये हैं :—

(1)	पर्यवेक्षीय	...	49
(2)	कुशल तथा अर्द्धकुशल	....	211
(3)	अकुशल	...	221
		कुल	481

इस अवधि के दौरान नियमित कर्मचारियों में से किसी को भी फालतू घोषित नहीं किया गया है ;

(ग) 481 कर्मचारियों में से 136 को व्यास परियोजना में लगाया जा रहा है। अकुशल कर्मचारी, जो कि बहुधा स्थानीय श्रमिक हैं, अन्य परियोजनाओं को जाने के लिए तैयार फालतू घोषित व्यक्तियों की सूचियां देश में अन्य परियोजनाओं में परिपत्रित करके परियोजना अधिकारी फालतू घोषित स्टाफ को नौकरियां दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

गर्भ-निरोधक खाने की गोली का बनाया जाना

2622. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकागो की सियरले एन्ड कम्पनी के सहयोग से रैलिस (इंडिया) लिमिटेड का विचार कम मात्रा की गर्भनिरोधक खाने की "ओवुलेन" नामक गोली भारत में तैयार करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन गोलियों को बड़ी मात्रा में खरीदने और अन्य गर्भ-निरोधक वस्तुओं की तरह लोगों को बांटने का है ; और

(ग) इस गोली का प्रचार करने तथा लोगों के दिमाग से अन्य खराबियां होने के भय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) मैसर्स रैलिस (इंडिया) लिमिटेड ने 'ओवुलेन' गोलियों के निर्माण करने के लिए लाइसेन्स मांगा था ।

(ख) और (ग) इन गोलियों को प्रयोगात्मक आधार पर चलाने और परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन जो तरीके अपनाये जा रहे हैं उसमें वृद्धि करने के प्रश्न पर मन्त्रालय की चिकित्सा अनुसन्धान और तकनीकी समिति की भारतीय परिषद के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है । इसलिए बड़े पैमाने पर गोलियों की खरीद, उन्हें लोगों को बाटने और उनका प्रचार करने के प्रश्नों पर अभी आगे विचार किया जा रहा है ।

After-Effects of the use of Loop and Birth Control Pills

2624. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 20 per cent of women using birth control pills and loop etc. suffer from nervousness, pimples on the face and obesity ;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the reports of two scientists of Paris, Dr. Fricois Mirklane and Dr. George Melki in this regard ; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Health and Family Planning) (Dr.S. Chandra Sekhar) (a) There is no firm data to indicate that birth control pills have resulted in obesity or nervousness. A degree of androgenicity may be seen in the form of acne (pimples) when oral pills are used for prolonged periods.

Loops are not known to cause either obesity, pimples, or nervousness.

(b) No Government are not aware of the reports.

(c) Does not arise.

Employees in Planning Commission

2625. Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the repsective number of Class I, II, III and IV employees working in the Planning Commission at present ;

(b) the Catogory-wise number of technical and non-technical employees among them ; and

(c) the total expenditure incurred thereon during 1965-66 ?

Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a), (b) and (c) Two statements containing the information in respect of the Planning Commission, the Programme Evaluation Organisation and the Committee on Plan Projects are laid on the table of the House.

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, पांडिचेरी

2626. श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री मधु लिमये :
श्री देवेन सेन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी स्नातकोत्तर संस्था पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) उसकी इमारतों पर तथा फर्नीचर आदि की साज सजावट पर इसमें से कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या इस संस्था का एक मुद्रणालय भी है ;

(घ) उस मुद्रणालय पर अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ङ) क्या इस संस्था में एक दर्जन से अधिक मूर्तियां लगाई गई हैं ;

(च) यदि हां, तो उन पर कितना धन व्यय किया गया गया है ;

(छ) क्या संस्था ने कई सौ घड़ियां कई स्थानों पर लगा रखी हैं ;

(ज) क्या इस समय तीन शल्यागारों (आपरेटिव थेटरों) में से केवल एक ही वातानुकूलित है जबकि कालेज परिषद् कक्ष में चार वातानुकूलक (एयर कंडीशनर) लगे हुए हैं ; और

(झ) दवाइयों पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) इस संस्थान पर जिसमें उपस्नातक विंग भी सम्मिलित है, 1957–58 से कुल 4 करोड़ 53 लाख 48 हजार रुपये खर्च हुए है।

(ख) संस्थान के भवनों के निर्माण तथा साज–सजावट (अस्पताल का सामान, वार्डों की फिटिंग, उपकरण और पुस्तकों सहित) पर क्रमशः 200.8 लाख रुपये तथा 90·00 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 52,000 रुपये।

(ङ) जी हां।

(च) संगमरमर की एक अर्द्ध प्रतिमा के अलावा, जिस पर लगभग 10,000 रुपये की लागत आई, प्रतिमाओं को खड़ा करने पर कोई खर्च नहीं किया गया।

(छ) इस संस्थान को आवश्कता के अनुसार बड़ी घड़ियां दी गई हैं।

(ज) संस्थान के आठ आपरेशन थियेटरों में से दो थियटरों का ए सेट, जो लम्बे ओपरेशनों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं, वातानुकूलित कर दिया गया है। अन्य आपरेशन थियेटरों में जिन्हें अलग अलग तिथियों पर चालू किया गया है, केन्द्रीय वातानुकूल यन्त्र से अभी वातानुकूलन की सुविधायें नहीं दी गई हैं। परिषद् कक्ष में चार वातानुकूल यंत्र फिट किये गये हैं।

(झ) अब तक दवाइयों पर कुल 7.5 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था पांडिचेरी

2627. श्री शिवपूजन शास्त्री : श्री मधु लिमये :
श्री गुणानन्द ठाकुर : श्री देवेन सेन

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'जिपमेर' (जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान) पांडिचेरी के पदाधिकारी इस संस्थान पर सरकारी धन का अपव्यय कर रहे हैं;

(ख) क्या प्रधानाचार्य सहित सभी पदाधिकारी बार बार दिल्ली की अनावश्यक यात्रा कर रहे हैं;

(ग) इन यात्राओं पर अब तक (वर्षवार पृथक-पृथक) कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) क्या व्यय को रोकने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या संसद सदस्यों की समिति ने अथवा किसी विभागीय समिति ने इस अपव्यय के बारे में जांच की है अथवा ऐसी जांच करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) वर्ष	यात्राओं पर हुआ खर्च		
	प्रधानाचार्य	अन्य स्टाफ	योग
1962–63	236 रुपये	–	236 रुपये
1963–64	675 रुपये	416 रुपये	1091 रुपये
1964–65	2456 रुपये	–	2456 रुपये
1965–66	3708 रुपये	–	3708 रुपये
1966–67	6762 रुपये	3107 रुपये	9869 रुपये
1967–68	–	–	–
	13837 रुपये	3523 रुपये	17360 रुपये

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) संस्थान के प्रधानाचार्य तथा अन्य कर्मचारी सरकारी दौरों पर दिल्ली उचित अधिकारी की मंजूरी से ही आते हैं। संस्थान के हिसाब-किताब की जांच महालेखापाल, मद्रास द्वारा की जाती है। ऐसा कोई कारण नहीं बना जिससे संस्थान के इस खर्च की विशेष जांच करायी जाती।

नई दिल्ली में पंचकुई रोड के समीप बच्चों का पार्क

2629. श्री स० मो० बनर्जी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइप I के क्वार्टरों की बस्तियों में बच्चों के पार्क बनाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पंचकुई रोड स्थिति टाइप I के सरकारी क्वार्टरों की बस्ती में ऐसे पार्कों के लिए धन की कोई व्यवस्था की हुई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

नई दिल्ली में पंचकुई रोड स्थित क्वार्टरों में मेहतर-सेवा

2630. श्री सो० म० बनर्जी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुई रोड स्थित टाइप I के दूसरी मंजिल के क्वार्टरों में शौचालय साफ करने के लिए जाने वाले मेहतरों के लिये कोई सीधा रास्ता नहीं है और उन्हें मुख्य कमरे से होकर भीतर–बाहर आना जाना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये क्वार्टरों के पीछे की ओर से सीढ़ियों की व्यवस्था करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। क्योंकि इस पर अत्यधिक खर्च आयेगा।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में हड़ताल

2631. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक के कितने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों ने उस एकक के कर्मचारियों द्वारा हाल में की गई हड़ताल के दौरान काम किया;

(ख) उनके (एक) परिवाहन (दो) आवास (तीन) खाने तथा मनोरंजन और (चार) अन्य आमोद-प्रमोद पर कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) क्या उन्हें कोई विशेष राशि अथवा पुरस्कार देने का विचार है ; और

(ए) यदि हां, तो कितना धन व्यय किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और योजना एवं समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघु रमैया) : (क) ट्राम्बे की मौजूदा हड़ताल में कुल 158 अधिकारियों तथा 229 अन्य कर्मचारियों ने काम किया

(ख) (1)	परिवहन—	बहुत कम
(2)	आवास—	शून्य
(3)	खाने तथा मनोरंजन—	76,500 रुपये
(4)	अन्य आमोद-प्रमोद—	शून्य

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने में उत्पादन

2632. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में उर्वरक का वस्तुत: दैनिक उत्पादन कितना है ; और

(क) हाल में हुई हड़ताल के पहले बारह दिनों में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और योजना एवं समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघु रमैया) : (क) 15 अप्रेल से 16 मई, 1967 तक प्रतिदिन औसतन उत्पादन निम्न प्रकार था :–

अमोनिया	162.00 मीटरी टन । प्रति दिन
यूरिया	123.00 मीटरी टन । प्रति दिन
नाइट्रोफास्फेट	231.00 मीटरी टन । प्रति दिन

(ख) हडताल से पहले 12 दिनों के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार था :–

अमोनिया	2278.05 मीटरी टन
यूरिया	1691.44 मीटरी टन
नाइट्रोफास्फेट	1577.75 मीटरी टन

हड़ताल के 12 दिनों के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार था :-

अमोनिया	1761.80 मीटरी टन
यूरिया	1125.20 मीटरी टन
नाइट्रोफास्फेट	1255.70 मीटरी टन

Markets In R. K. Puram Sectors

2633. Shri Sharda Nand:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri J. B. Singh:
Shri Ram Singh Ayarwal:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that markets have been construct d in all the sectors constructed so far in Ramakrishna Puram, New Delhi;

(b) whether it is a fact that no water arrangements have been made for the shopkeepers of the markets and other basic amenities have not been provided in any of the sectors; and

(c) if so, the reasons therefor ?

Deputy Minister of Works Housing and Supply (Shri Sardar Iobal Singh): (a) Markets have been built in sectors I to VII of Ramakrishnapuram.

(b) and (c) Sanitary arrangements including baths have been provided in the markets in sectors V to VII. Work on the provision of these services in sectors I to IV will be taken up soon. Some shopkeepers in these sectors have taken water connections from the Delhi Municipal Corporation.

दिल्ली की वृहद योजना

2634. श्री कं० हाल्दर :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की वृहद योजना को कार्य-रूप देने के मामले में अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वृहद योजना को क्रियान्वित करने में अब तक वस्तुतः कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) योजना को शीघ्र क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग) वृहत् योजना 1962 के मध्य में बनाई गई थी। दिल्ली की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश क्षेत्रके सम्बन्ध में हमने काफी सिफारिशें की थी। 1981 में अन्त होने वाली 20 वर्ष की अवधि के दौरान इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार है। इस योजना की प्रारिम्भक अवस्था में काम की गति आवश्यक रूप से धीमी होगी क्योंकि प्रारम्भिक कार्य के लिये काफी समय की आवश्यकता है। फिर भी इसकी क्रियान्विति में काफी प्रगति हुई है। 136 खंडीय विकास योजनाओं में से 76 पहले ही तैयार कर ली गई हैं, 62 की दिल्ली विकास अधिकार द्वारा जांच कर ली गई है और 14 सरकार द्वारा अनुमोदित कर ली गई हैं। तैयार किये जाने के पश्चात्, प्रत्येक खण्डीय योजना को लोगों की आपत्तियां और सुझाव जानने के लिये प्रकाशित किया जाता है और दिल्ली विकास प्राधिकार का जांच बोर्ड उनकी जांच करता है और उसके बाद इसकी स्थायी समिति और अन्त में प्राधिकार स्वयं उन सुझावों और आपत्तियों की जांच करता है। इसमें काफी समय लग जाता है इन योजनाओं के उपबन्धों के अनुसार स्थानीय निकाय निर्माण कार्यों पर नियन्त्रण रख रही हैं। उद्योगों को शहरों से औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं और सड़कों को चौड़ा करने, पुलों का निर्माण करने, रिंग रेलवे, बस टर्मिनल्स, और कार पार्कों की व्यवस्था और रिंग टाउन्स आदि के विकास के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) वृहत् योजना की क्रियान्विति में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये संघ निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई है जिसमें दिल्ली के उप-राज्यपाल और सम्बन्धित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

Over-Time For C. P. W. D Staff

2635. Shri Hardyal Devgun : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Electrical Division No. II of the C. P. W. D who worked beyond their normal duty-hours at the All India Radio during the Indo--Pak conflict, were not paid any overtime allowance;

(b) whether it is also a fact that overtime allowance was all along paid to those employees of All India Radio who worked overtime during those days; and

(c) if so, the reasons for not paying overtime allowance to the employees of the Electrical Division ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Sardar Iqbal Singh) (a) Yes.

(b) Yes, in respect of certain engineering staff like Shift Assistant, Mechanics etc,

(c) The workcharged staff of the C. P. W. D. employed on "maintenace works" are not entitled to overtime allowance as admissible to office staff or under the Minimum Wages Act or Factories. According to the Government of India orders dated 7th August, 1962 workcharged staff who are required to work beyond the prescrided hours of work on any working day may be permitted "compensatory off" i. e. to attend late or leave early on any other working day by the number of hours of extra work put in by them.

साउथ एवेन्यु,नई दिल्ली में जल की सप्लाई

2636. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली में दिन में 12 बजे से 4 बजे तक तथा रात्रि में 10 बजे के बाद पानी बंद रहता है जब कि नार्थ एवेन्यु में 24 घंटे पानी आता है; और

(ख) यदि हां, तो साउथ एवेन्यु में 24 घंटे जल की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) पानी की सामान्य कमी के कारण दिन के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक और रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई बन्द कर दी जाती है। फिर भी, साऊथ एवेन्यू के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सभी फ्लेटों के लिये छत की टंकियों का प्रबन्ध करने के लिये 64,000 रु० का प्राक्कलन मंजूर किया गया है। काम शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है।

मध्य प्रदेश में चिकित्सा कालेज

2637. **श्री आत्मदास :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता से मध्यप्रदेश में गत दस वर्षों में कुल कितने चिकित्सा कालेज खोले गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) पिछले 10 वर्षों में केन्द्र की वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश के रीवा तथा रायपुर स्थानों पर दो मेडिकल कालेज खोले गये।

हरियाणा द्वारा भाखड़ा सम्बन्धी ऋण की अदायगी

2638. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार से, जो पहले ही

घाटे में है भाखड़ा परियोजना सम्बन्धी अपने ऋणों की अदायगी करने के लिये कह रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हरियाणा सरकार को उचित किश्तों में इस धन की अदायगी करने को अनुमति देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के उपबंधानुसार संगठित पंजाब राज्य के राष्ट्रीय ऋण के भार को जो भाखड़ा नंगल परियोजना के लिये केंद्रीय सरकार से लिये गये ऋण से संबंध रखते हैं, उत्तराधिकारी राज्यों में उस अनुपात से बांटा जाना है जिस अनुपात को वे आपस में मान लेंगे। एक बैठक में जिस में अन्य प्रतिनिधियों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, यह निर्णय किया गया कि जब तक इस बारे में समझौता नहीं हो जाता, लिये गये और 31 अक्तूबर, 1966 को अदायगी के लिये बाकी बच रहे ऋण के भार को अस्थायी रूप से केवल एतदर्थ आधार पर पंजाब और हरियाणा के बीच 53:47 के अनुपात से बांट दिया जाये। जहां तक 31–10–1966 के पश्चात् दिये गये अथवा दिये जाने वाले ऋणों का संबध है, ऋण लेने वाला राज्य ही उस की अदायगी के लिये जिम्मेदार होगा। परन्तु यदि ऋण एक ही राज्य को दिया जायेगा तो ऋण/अदायगी के भार को पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात में विभक्त किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

2639. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पन्द्रह वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने बाढ़ नियंत्रण गांवों में बिजली लगाने अथवा सिंचाई के लिये कितनी सहायता मांगी तथा कितनी दी गई; और

(ख) आगामी दो वर्षों में तथा इस वर्ष कितनी सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्यों को योजना में शामिल स्कीमों के लिये केन्द्रीय वितीय सहायता की मांग पर हर साल फैसला किया जाता है, जबकि वार्षिक योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जाता है गत तीन योजनाओं की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित वितीय सहायता ऋण के रूप में दी गई।

(i) बाढ़ नियन्त्रण		लाख रुपये
प्रथम योजना	......	0.50
द्वितीय योजना	......	3.40
तृतीय योजना	......	8.22
चतुर्थ योजना 1966–67	......	3.00

(ii) ग्राम विद्युतन

प्रथम योजना	नौकरी के अवसरों में वृद्धि लाने के लिये बिजली सुविधाओं के आवर्द्धनार्थ	48.5
द्वितीय योजना		40.0
तृतीय योजना		611.83
चतुर्थ योजना—1966—67		175.00

(iii) चम्बल परियोजना

(दोनों सिंचाई और बिजली) 50.3 करोड़

(iv) तवा परियोजना

तृतीय योजना 1.75 करोड़

शरणार्थियों को नौकरियां दिला कर उन्हें दुबारा बसाना

(ख) 1967—68 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। जहां तक आगामी दो वर्षों का सम्बन्ध है, फैसला वार्षिक योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के बाद ही किया जाएगा।

मेडिकल कालेजों में स्थानों का संरक्षण

2640. श्री नीतिराज सिंह चौधरी: क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेडिकल कालेजों में सरकारी सेवा में चिकित्सा कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्थानसुरक्षित करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को ऐसी हिदायतें दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार चिकित्सा व्यवसाय में पैतृक उत्तराधिकार के सिद्धान्त को नहीं मानती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये खरीद

2641. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये बिना टेंडर आमंत्रित किये तथा केवल तय किये गये मूल्यों पर राज्य के औद्योगिक एककों से खरीदारी की जाय:

(ख) स्थापित प्रथा तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उपकरणों के सम्भरण के लिए टेंडर आमंत्रित करने की नीति को छोड़ देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन--किन उपक्रमों ने पहले ही इस नयी प्रथा को स्वीकार कर लिया है ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं (ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मिर्जापुर में उर्वरक कारखाना

2642. श्री हेम बरुआ : श्री समर गुह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री नाथ पाई :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मिर्जापुर में एक उर्वरक कारखाना खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित कारखाना सरकारी अथवा, गैर-सरकारी क्षेत्र में खोला जायेगा; और

(ग) यदि यह कारखाना गैर-सरकारी क्षेत्र में खोला गया तो क्या इसका नियंत्रण भारतीय लोगों के हाथ में होगा या विदेशी लोगों के ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रघुरमैया) : (क) से (ग) : गैर सरकारी क्षेत्र में मिर्जापुर में एक उर्वरक कारखाना लगाने के लिए मुख्यतः भारतीय स्वामित्व सहित एक भारतीय कम्पनी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव विचाराधीन है ।

GANDAK PROJECT

2643, Shri R. Shastri:
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the district-wise acreage of land likely to be irrigated by the Gandak Irrigation Project in Bihar after its completion;

(b) the amount of grant given by the Central Government to the Bihar Government for this project as against the demand made by the Bihar Government;

(c) the reason for not meeting the Bihar Governments demand in full;

(d) whether the Government of Bihar also asked for five crores of rupees from the Central Government for the construction of Champaran Canal included in the Gandak project which the Central Government are not willing to give; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The district-wise break-up of the actual irrigable area (crop area) in Bihar when the Gandak Project is completed is given below :

District	Irrigable area in lakh acres
Saran	11.35
Champaran	7.58
Muzaffarpur	7.30
Darbhanga	2.22
Total :	28.45

(b) and (c) Government of India gives grant for meeting the cost of works benefiting Nepal. So far Rs. 150 lakhs has been given. Further amounts will be released as the works progress.

(d) and (e) Bihar Government has asked for Rs. 6 crores for the Tirhut Canal in 1967-68. This is under consideration.

दिल्ली में नकली दवाइयों का जप्त किया जाना

2644. श्री दी० चं० शर्मा : श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री आत्म दास : श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानकारी मिलने पर कि नकली और घटिया किस्म की दवाइयां बनाने वाली कुछ प्रयोगशालाओं ने दिल्ली के कुछ दवाई-विक्रेताओं को हाल में बड़ी मात्रा में दवाइयां सप्लाई की थीं, दिल्ली में 1 जून, 1967 को लगातार मारे गये कई छापों में भारी मात्रा में दवाइयां तथा रसायन पदार्थ पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) लोगों को उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाओं से बचाने के लिये नकली दवाइयों की सप्लाई और निर्माण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) पहली जून, 1967 को अथवा उसके आस-पास दिल्ली प्रशासन के औषध नियंत्रक अधिकारियों ने कोई छापे नहीं मारे। इसलिए भारी मात्रा में नकली दवाइयों तथा रसायन पदार्थों के पकड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल टी० 681/67]**

उर्वरक कारखाने

2645. श्री कामेश्वर सिंह : श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री श्रीधरन : श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के जनरल मैनेजरों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था और क्या निर्णय किये गये; और

(ग) इटली की एक फर्म के सहयोग से दुर्गापुर और कोचीन में दो और कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हां । मैं भारतीय उर्वरक निगम के प्रधान प्रबन्धकों को मिला था ।

(ख) यह एक नेमी (Routine) बैठक थी ।

(ग) दो परियोजनाओं के लिए यन्त्र एवं मशीनरी की सप्लाई के आदेश इटालियन प्रदायकों को दिये गये हैं । दुर्गापुर में स्थल पर निर्माण कार्य शुरु हो चुका है । कोचीन में भी इसी प्रकार के प्रारम्भिक स्थल कार्य प्रगति पर है ।

UNQUALIFIED DOCTORS IN DELHI

2646. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Balraj Madhok :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri B S. Sharma :
Shri T. P, Singh :
Shri Bedabrata Barua :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 1,000 unqualified doctors are doing private medical practice in Delhi; and

(b) if so, action taken against them under the Indian Medical Council Act, 1956 ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S, Chandrasekhar) : (a) The precise number of unqualified doctors engaged in private medical practice in Delhi is not available.

(b) According to sub-section (2) of section 15 of the Indian Medical Council Act, 1956 as amended in 1964, no person other than a medical practitioner, enrolled on a State Medical Register, can practise medicine in any State. Contravention of this provision is punishable under sub-section (3) of section 15 of the Act.

No action has been taken so for by the Delhi Administration under these provisions since the question of amending the law has been under consideration.

कर की वापसी

2647. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री टी० पी० शाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966 में वापसी सप्ताह मनाये जाने की अवधि में जन सम्पर्क अधिकारी आयकर विभाग केन्द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली को आयकर की वापसी के लिये कितने आवेदन पत्र मिले थे तथा उनमें से कितनों को आयकर की वापसी की मंजूरी दी गई तथा अन्य आवेदन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दिसम्बर 1966 में मनाये गये 'कर की वापसी सप्ताह' के दौरान जन सम्पर्क अधिकारी, आयकर विभाग, केन्द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली को कर की वापसी के लिये 273-प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 110 मामलों में 'कर की वापसी सप्ताह' के दौरान और 81 मामलों में उक्त सप्ताह के पश्चात, ऐसे कुल मिलाकर 191 मामलों में, कर की वापसी के आदेश जारी किये गये। बाकी के 82 मामलों में आयकर विवरणियां, कर्मचारियों के सही पतों की सूचना, अदायगियों की जांच आदि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं होने से कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकी। इन 82 मामलों के सम्बन्ध में जांच चल रही है।

आयकर विभाग, दिल्ली द्वारा दिये गये वसूली प्रमाणपत्र

2648. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री टी० पी० शाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1966–67 में आयकर आयुक्त दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आयकर अधिकारियों में कितने वसूली प्रणामपत्र दिये तथा उनमें से कितने प्रमाणपत्र पहले भुगतान किये जाने के कारण वापिस लिये गये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आयकर आयुक्त, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आयकर अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 1966-67 में भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए जारी किये गये प्रमाण पत्रों की संख्या 21,331 थी। उनमें से, 183 प्रमाण-पत्र, पहले ही भुगतान हो जाने के कारण, वापस ले लिये गये।

USE OF HINDI IN STATE BANK OF INDIA

2649. Shri Nageshwar : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether he has issued any orders regarding the use of Hindi in the State Bank of India;

(b) whether his attention has been drawn to the fact that any paper written in Hindi is accepted in the State Bank of India only when accompanied by an English translation thereof; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No.

(b) The State Bank accepts any paper written in Hindi and also cheques signed and/or endorsed in Hindi for encashment at all branches of the bank throughout the country.

(c) Does not arise in view of the answer to part (b).

चिकनाई वाले पदार्थ

2651. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी तेल कम्पनियां आयात किये गये चिकनाई वाले पदार्थों का अपना अधिकांश स्टाक ऐसे तेल तैयार करने में प्रयोग कर रही है, जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ मिलता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में उनसे बातचीत की गई है और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या यह भी सच है कि चिकनाई वाले पदार्थों की कमी पीपों के अभाव के कारण है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में उपयुक्त पीपे तैयार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां, स्थिति अब सामान्य हो गई है।

(घ) चिकनाई वाले पदार्थों के लिए पीपों के निर्माण में अब हम आत्म-निर्भर हैं।

फालतू असिस्टेंट

2652. श्री म० ला० सोंधी : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में लगभग 56 असिस्टैन्ट और बहुत से अन्य कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें उनके मंत्रालय में तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों में अथवा अन्यत्र रोजगार देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश कर्मचारी उक्त मंत्रालय में 20 वर्ष से और उससे भी अधिक अवधि से केन्द्रीय सरकार की लगातार सेवा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों को इतने बड़े पैमाने पर फालतू घोषित किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय या इसके सम्बद्ध कार्यालयों में कोई नियमित रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः फालतू सहायकों को इस मंत्रालय या इसके सम्बद्ध कार्यालयों में खपाने की संभावना नहीं है। गृह-कार्य मंत्रालय के फालतू कर्मचारियों के विभाग को उनको सौंपने का विचार है जो अन्य स्थानों पर लगाने का उनका प्रबन्ध करेगा।

(ग) 56 फालतू सहायक पिछले 3–11 वर्षों से काम कर रहे थे। निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में वे 20 वर्ष से भी अधिक से वे निरन्तर रूप से सरकारी सेवा में रहे हैं।

(घ) कर्मचारियों को फालतू घोषित करने का कारण, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के संगठन और प्रणाली एकक की सिफारिशों तथा श्री ए० एन० विद्यालंकार, संसद सदस्य की अध्यक्षता में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय पर नियुक्त अध्ययन दल के प्रतिवेदन के अनुसार पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का पुनर्गठन किया जाना और मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालयों में फालतू सहायकों को खपाने के लिये पर्याप्त संख्या में नियमित रिक्त स्थानों का न होना है।

हाल के सामान्य निर्वाचन में विदेशी धन के तथाकथित प्रयोग के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : USE OF FOREIGN FUNDS IN THE RECENT GENERAL ELECTIONS

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने कल सूचना दी थी। मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें 20 नाम दर्ज हैं। तीस और नाम प्राप्त हुये हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि सभी सहमत हों तो इस पर एक घन्टे की चर्चा की जाये।

श्री कन्डप्पन (मैट्टूर) : मैंने आपको एक पत्र लिखा था...

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रति दिन दर्जनों पत्र प्राप्त होते हैं। यह मामला इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इस बात की सभा को पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि गुप्त सूचना विभाग पिछले सामान्य निर्वाचनों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के उपयोग के सम्बन्ध में जांच करेगा। उसका प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है और उसका सावधानी से अध्ययन किया जा रहा है। प्रतिवेदन के निष्कर्ष निकालने में तथा यह निश्चय करने में, कि इस सम्बन्ध में अग्रेतर जांच करना आवश्यक है अथवा नहीं, सरकार को कुछ समय लगेगा। न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित समाचार, जिसे भारतीय समाचार पत्रों ने

14 जून का उद्धृत किया था, गुप्त सूचना विभाग ने प्रतिवेदन पर आधारित नहीं थी। उसे प्रतिवेदन के निष्कर्षों के सम्बन्ध में अनुमान ही कहा जा सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या प्रारम्भिक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ताकि उस पर पूरी चर्चा की जा सके।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं यह प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रख सकता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : A summary of the report may be laid on the Table.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद उसकी कुछ मुख्य बातें सभा को बताई जा सकेंगी।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : 'न्यूयार्क टाइम्स' में की गई आलोचना से कुछ राजनैतिक दलों के नाम पर बट्टा लगा है। इसलिये, मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय यदि समूचा प्रतिवेदन नहीं तो उसका सारांश सभा-पटल पर रखें ताकि उस पर लाभप्रद चर्चा की जा सके।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यदि सरकार सभा-पटल पर कोई प्रतिवेदन न रखे तो इस पर चर्चा करना बहुत कठिन होगा। उसके बिना संसद का समय इस पर लगाने का क्या लाभ है...(अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : यदि इस मामले पर सभी 60 सदस्य पूछने लगें तो इस पर बहुत समय लगेगा। इन 60 सदस्यों में से दो या तीन सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम यह चर्चा 5 बजे शुरु करेंगे।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जमा बीमा निगम के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन तथा सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) जमा बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमा बीमा निगम के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 645/67]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 782 जो दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 783 जो दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 784 जो दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 785 जो दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 786 जो दिनाँक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर० 787 जो दिनाँक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी० एस० आर० 829 जो दिनाँक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी० एस० आर० 830 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० एस० आर० 833 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) जी० एस० आर० 834 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजप्रत्र में प्रकाशित हुई थी। **(पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 655/67)**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 32वां संशोधन नियम, 1967 को दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 831 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 33वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 832 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 34वाँ संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 835 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 35वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 836 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 36वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 837 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 37वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 838 मे प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 661/67]**

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 26 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० 788 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 662/67]**

(5) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 3 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 826 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 663/67]**

(6) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 30 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1949 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 664/67]**

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं डा० श्री चन्द्रशेखर की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 4 (जी) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 5 वर्ष की अवधि के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 4 (जी) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, 5 वर्ष की अवधि के लिये अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

पांचवे इस्पात संयंत्र के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377 RE. FIFTH STEEL PLANT

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I would like to draw the attention of the Minister of Steel, Mines and Minerals to a statement which he made at Indore. He made a policy statement in a Press Conference regarding the Fifth Steel Plant.

It is an established practice that whenever the session of Parliament is going on, no policy statement should be made outside the House. Why should the Minister have made a statement the e while the House was in session ? He should have made the statement in the House.

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैंने कहा था कि सरकार तथा योजना आयोग का विचार दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में वर्तमान इस्पात संयंत्रों का विस्तार करके इस्पात के उत्पादन के पुनरीक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता देने और बोकारो में चौथे इस्पात संयंत्र को, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, यथाशीघ्र पूरा करने का है तथा बहुत से आर्थिक तथा अन्य कारणों से पांचवें इस्पात संयंत्र की स्थापना का मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

मैं विशेष रूप से आपका ध्यान 6 अप्रैल, 1967 को संसद में इस्पात, खान तथा धातु मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि चतुर्थ योजना

की अवधि में पांचवें इस्पात संयंत्र की आवश्यकता की पूर्ति का समूचा प्रश्न प्रत्याशित मांग तथा संसाधनों की उपलब्धि की दृष्टि देखना होगा ।

समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार कि सरकार ने पांचवें इस्पात संयंत्र की स्थापना को स्थगित करने का निर्णय किया है, शायद इन्दौर में मेरे द्वारा कही गई बातों का गलत निष्कर्ष है ।

संसद के बाहर नीति के बारे में कोई वक्तव्य देकर सभा को कोई आपत्ति करने का अवसर देने का मेरा कोई विचार नहीं है । आशा है कि माननीय सदस्य इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो जायेंगे ।

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker ***in the Chair*** **}**

न में भारतीय राजनयिकों के बारे में
RE : INDIAN DIPLOMATS IN CHINA

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं आपका ध्यान चीन में भारतीय राजनयिकों की ओर दिलाना चाहता हूं जो पेकिंग से स्वदेश लोटने वाले हैं । मालूम हुआ है कि कैंटन में उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिये लाल रक्षक भारी संख्या में जमा हो रहे हैं । उन्हें आज 10.45 पर हांगकांग पहुँचना था परन्तु हमें उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली । क्या आप सम्बन्धित मंत्री को इस बारे में सूचना देने के लिये रहेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : It has just now been broadcast from the Radio that they were ill-treated in Canton. There can be its repercussions here also.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसद-कार्य मंत्री इस बारे में सभा की भावनाओं के बारे में वैदेशिक-कार्य मंत्री को बतायेंगे । यदि उन्हें कोई सूचना उपलब्ध हुई तो वह सभा के स्थगित होने से पहले वह सूचना सभा को देंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Chinese diplomats must also learn some lesson. They should also be subjected to open trial.

भ्रष्टाचार विरोध विधियां (संशोधन) विधेयक–जारी

ANTI-CORRUPTION LAWS. (AMENDMENT) BILLS Contd.

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सन्थानम् समिति की सिफारिशों के आधार पर भ्रष्टाचार विरोध विधियों में संशोधन करने के लिये एक विधान प्रस्तुत किया गया था। अन्य अधिनियमों के साथ साथ भ्रष्टाचार विरोध अधिनियम 1947 में भी 1964 में संशोधन किया गया था। 1967 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 3 (3) को अन्य बातों के साथ साथ समाप्त किया गया था और उसके स्थान पर आपराधिन दुराचार का एक नया वर्ग जोड़ा गया था। संशोधन के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी या उसके बदले कोई अन्य व्यक्ति कभी भी सरकारी कर्मचारी की कार्य अवधि में उसकी आय के प्रकट साधनों के अनुकूल न होने वाली ऐसी अस्तियों का स्वामी हो रहा हो जिनका सरकारी कर्मचारी संतोषजनक कारण न बता सके तो वह आपराधिन दुराचार का दोषी है।

परन्तु भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1947 की धारा 5 (3) को समाप्त करते समय संशोधन करने वाले अधिनियम में अपवाद खण्ड को शामिल न करने के कारण एक असंगत स्थिति पैदा हुई है। इस अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात परन्तु पुरानी धारा 5 (3) के समाप्त होने की तिथि 18 दिसम्बर, 1964 से पहले किसी अपराधी को भी लोभ हुआ जिसका कि कोई इरादा नहीं था।

भ्रष्टाचार निरोध विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1964 में लम्बित प्रक्रियाओं के बारे में कोई अपवाद खण्ड नहीं है क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि सामान्य परिभाषा अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबन्ध लागू होंगे। परन्तु पंजाब उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच ने 14 सितम्बर, 1966 को अपने निर्णय में कहा है कि सामान्य परिभाषा अधिनियम, 1897 को धारा 6 के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होते। इन निर्णय के फलस्वरूप ऐसे मामले गम्भीर रूप से प्रभावित हुये जो 18 दिसम्बर, 1964 को विभिन्न न्यायालयों में जांच के लिये विचाराधीन थे और जिनमें अभियुक्त मुरजता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 (3) में दिये गये साक्ष्य नियम पर निर्भर करता था।

इसलिये, इन मामलों की सुरक्षा के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम. 1947 की पुरानी धारा 5 (3) के अधीन दी गई पूर्व धारणा को उस दिन से तुरन्त पहले न्यायालयों में पड़े मामलों के सम्बन्ध में 18 दिसम्बर, 1964 से 5 मई, 1967 को प्रख्यापित भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1967 द्वारा पुनः प्रवर्तित किया गया।

पूर्व धारणा के भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित किये जाने के कारण उन मामलों में फंसे अभियुक्त व्यक्तियों पर बचाव के मामले में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पूर्व धारणा की अनुपस्थिति में वे अभियुक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण द्वारा या बचाव में साक्ष्य देकर अनुपातहीन सम्पति पर कब्जे का स्पस्टीकरण देने का प्रयत्न न करते। निष्पक्ष जाँच कराने के लिये 18 दिसम्बर, 1964 के बाद दिये गये साक्ष्य से आगे नये सिरे से जांच की मांग करने का अधिकार अभियुक्त को दिया गया है।

अब भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) अध्यादेश के स्थान पर भ्रष्टाचार विरोध विधियां (संशोधन) विधेयक लाया जा रहा है और यह विधेयक अध्यादेश में किसी संशोधन के बिना उसके स्थान पर लाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भ्रष्टाचार विरोध विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : माननीय मंत्री ने इस विधेयक का अविवादास्पद बताने का प्रयत्न किया है परन्तु यह विधेयक व्यापक नहीं है, यदि किसी सरकारी कर्मचारी का ऐसी आस्तियों का, जो उसकी उपलब्धियों के अनुसार उचित न ठहराई जा सकें, स्वामी होना अपराध है तो किसी मत्री का भी उसी प्रकार की अस्तियों का स्वामी होना अपराध समझा जाना चाहिये। विधेयक तब तक अधूरा है जब तक उसमें मंत्री शामिल नहीं किये जाते। प्रशासन का मुखिया होने के कारण वास्तव में मंत्री अधिक भ्रष्ट हैं। कम से कम उन्हें भ्रष्टाचार करने के अधिक अवसर प्राप्त हैं। मंत्रियों के लिये कोई विधि नहीं है।

क्या सिराजउद्दीन मामले की जांच के पश्चात श्री के० डी० मालवीय के विरुद्ध कोई जांच निलंबित है। क्या उड़ीसा में श्री पटनायक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है? मुझे दुख है कि वह उन्हे जांच के सुझाव से ही दूर रखना चाहते हैं। मैं किसी खास मंत्री या दल विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इसमें गैर-कांग्रेसी मंत्री तथा अधिकारियों को भी सम्मिलित कर रहा हूं। इस अधिनियम के अन्तर्गत मंत्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि अधिक उत्तरदायित्व के नाते वे अधिक भ्रष्ट हैं अथवा कम से कम उनके पास भ्रष्टाचार के अधिक अवसर है।

यदि सभा में यह भावना भी हो कि मंत्री सरकारी कर्मचारी नहीं होता तो उसे सरकारी कर्मचारी बनाने अथवा कम से कम विधान की सीमा में बांधने के लिये कोई विधान होना चाहिये।

यदि आप इसको सामाजिक कुरूति समझते हैं तो इसकी निन्दा की जानी चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : विधेयक के उपबन्ध मंत्रियों पर भी लागू होने हैं। केवल सरकारी कर्मचारी ही इस विधि के अन्तर्गत नहीं आते हैं बल्कि मंत्री भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

श्री नी० श्रीकान्तननायर (क्विलोन) : एक मंत्री लोक सेवक नहीं हो सकता। संविधान के उपबन्धों के अनुसार एक मंत्री लाभ पद पर नहीं होता, अत: उसे लोक सेवक नहीं माना जा सकता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य को एक दम निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिये।

श्री रा० ठो० भन्डारे (बम्बई-मध्य) मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि मंत्री एक लोक सेवक है और वह भी इस नियम के अन्तर्गत आता है।

यह वक्तव्य गलत है। कोई भी मंत्री लोक सेवक नहीं है और इस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। केवल मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है तो वह कानून नहीं बन जाता।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : चाहे मंत्री महोदय कितना ही आश्वासन दें परन्तु वह कानून का प्रभाव नहीं नहीं आ सकता। यदि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में वास्तव में गम्भीर हैं तो उन्हें इस आशय का संशोधन लाना चाहिये।

श्री कृष्ण मूर्ति (कड्डलूर) : या तो मंत्री महोदय को यह दिखाना चाहिये कि मंत्रीगण भी 'लोक सेवक' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, या उन्हें यह मान लेना चाहिये कि उन्होंने सभा को गुमराह किया है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : इसको आश्वासन समझा जाना चाहिये और इसको आश्वासन समिति को सौंपा जाना चाहिये। यदि 'मंत्री' शब्द इस विधि के अन्तर्गत नहीं आता तो यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि यह एक आश्वासन है और सरकार द्वारा इस आश्वासन का संशोधन लाया जायेगा। सभा को इस आधार पर कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): It has been admitted in a Supreme Court Judgment that the Minister is a public servant. When it is a ruling of the Supreme Court, there should not be any difficulty.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मन्त्री महोदय द्वारा एक विधेयक विचार के लिये प्रस्तुत किया गया और उन्होंने इसकी स्थिति बताई। उसके बाद उन्होंने वक्तव्य दिया। यदि यह वक्तव्य है तो इस पर नियम 372 लागू होगा। इस प्रकार के वक्तव्य के लिये अध्यक्ष की अनुमति ली जानी आवश्यक है। इसके आधार पर मन्त्री महोदय लोक सेवक है। परन्तु यदि हम इस विधेयक का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि इसके अन्तर्गत मन्त्री लोक सेवक नहीं हैं। अतः उनका वक्तव्य नीति वक्तव्य समझा जाना चाहिये और इसके लिये नियम 372 के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति लेनी आवश्यक है। यह बात बहुत अनुचित है कि आप कम वेतन पाने वाले लोक सेवकों को दण्ड देते हैं और मन्त्रियों को छोड़ देते हैं।

सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधेयक पारित करने का ढोंग रच रही है। क्या यह उपयोगी सिद्ध होगा जबकि वह भ्रष्टाचार करने के अवसरों को बढ़ा रही है।

श्री लोबो प्रभु : गैर सरकारी क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है परन्तु इसके लिये कोई अवसर उत्पन्न नहीं करता। दूसरी ओर जब आप राजकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आप भ्रष्टाचार के अवसरों में भी बढ़ोतरी करते हैं। एक ओर तो आप कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं दूसरी आप भ्रष्टाचार करने के अवसर उत्पन्न करते हैं।

आप सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को 713 रु० एक वर्ष में दे रहे हैं। इतनी राशि देने के बाद भी क्या आप समझते हैं कि वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा ? यदि आप भ्रष्टाचार

समाप्त करना चाहते हैं तो सरकारी व्यापार समाप्त कीजिये तथा परमिट लाईसेंस राज्य समाप्त कीजिये ।

सरकार ने जांच आयुक्त (विजिलेंस कमिश्नर) नियुक्त किये हैं । यह सरकार का तीसरा पहिया है । पहले दो पहिये थे विभाग का अध्यक्ष तथा स्थानीय पुलिस । यदि आप विभाग के अध्यक्ष के पास कोई शिकायत भेजेंगे तो उनका उद्देश्य अधिकांश अपने साथियों को बचाने का होता है । रहा पुलिस का विभाग, वे तो भ्रष्टाचार को कोई अपराध ही नहीं मानते । मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ भ्रष्टाचार के मामले जांच आयुक्त के पास भेजे और उस शिकायत पर 25 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे । हाल ही में मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है कि मेरा पत्र विभाग के अध्यक्ष के पास भेज दिया है । मैं गृह-कार्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या जांच आयुक्त एक डाकखाने का कार्य कर रहे हैं ?

मैंने एक शिकायत यह भी की थी कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी निजी मोटर का रजिस्ट्रेशन तब तक फिर से नया नहीं करते जब तक उन्हें कुछ घूस नहीं दी जाती । वह घूस प्रार्थना पत्र लिखने वाले के द्वारा ही दी जाती है । मैंने यह शिकायत अपने समाचार पत्र में भी दी । परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । यदि वहाँ एक इतने बड़े जिले में यह इतने बड़े स्तर पर घूसखोरी हो रही है तो जांच आयुक्त की क्या आवश्यकता है ?

मेरा सुझाव यह है कि जांच आयोग में आप अवकाश प्राप्त अधिकारी नियुक्त न कीजिये बल्कि उन्हें नियुक्त कीजिये जो अवकाश प्राप्त नहीं हैं और जिन्हें अपने वेतन तथा पेनशन का ध्यान है ।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि धड़ाधड़ कानून मत बनाईये । अब तो गैर-सरकारी सदस्य भी इस मामले में पीछे नहीं हैं । वह भी विधेयक ला रहे हैं । मन्त्रियों के साथ भी भ्रष्टाचार के मामलों में वही स्थिति होनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों की होती है यदि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I fully support the Bill which the Home Minister has brought here. Corruption has crept into the body politic of the nation. An ordinary peasant these days says that a corrupt officer is better than an honest one as the former at least after obtaining his bribe accomplishes your work whereas an honest officer does not do your work. What a dirty mentality is it ? We have to chance it or else it will ruin our country.

Coruption has spread to such an extent that you cannot cure it by small pills or mixtures but you will have to administer a big injection of it. In the Act before the year 1947 there was sub-section (3) of Section 5 where they had a presumption that the accused had to rebut it. If he could not rebut it he could be punished. But after the Act of 1964 that presumption has been removed. I want that the Act should be revised so that the same provision should be restored with retrospective effect.

You will find officers from a Patwari to an I. C. S. and I. A S. officer as corrupt. A Patwari whose basic pay is only Rs. 60/- to Rs. 70/- charges anything from Rs. 100- to Rs. 500/- and more from poor peasants for supplying an ordinary form, the real price

of which is only 4 annas. They earn by means of illegal gratification anything upto Rs 4000/- p. m. The same is the case with ordinary overseers.

I want the hon, members of the opposition not to oppose this Bill as this affects the whole country.

I congratulate the Home Minister for bringing this Bill. The Congress Government was the first to have instituted inquiry against the ex-Chief Minister Snri Pratap Singh Kairon and they have removed ten Chief Ministers from their offices.

I want that frcm a Patwari to a Chief Secretary, a Judge of the Supreme Court and even a Minister should be brought within the purview of this Bill and any public servant against whom there is even a doubt of having received bribe should be suspended from service.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I am surprised that although we have a big law Department on which we spend so much yet they did not introduce any savings clasue in the Bill of 1964. I want that the officers who ignored it.

The present measure is a pice-meal legislation. I want a comprehensive Bill to take its place. When the Santhanam Committee gave its report the e was demand from the Government all its recommendations should be incorporated in the Bill. We also formed a study group to suggest measures for putting an end to corruption in the departments which are directly connected with the public such as C. P. W. D., Licensing, supplies, export-import department etc. I want to know what happened to that study group ?

The Santhanam Committee gave 131 recommendations. One of the recommendations was incorporated in the first bill there were 37 recommendations which were accepted by the Government but they did not take any action on them till 1964. Apart from that there were 49 other recommendations about which Government said that they were considering them. I want to know what has happend to them ? Had you accepted in full the Stanthanam Committee's recommendations, the corruption in the country would have ended.

The Santhanam Committee also recomended that the office bearers of Co-operative Societies should be treated as public servants for the purposes of this law. You spend crores of rupees on the Co-operative Societies but you never care about the character of the people who work them. In Delhi the Co-operative Society indulged in the gur scandal, coal scandal, dates scandal, land scandal and what not. The political leaders of Congress were involved in them and in 90% of the cases there was embezzlement and bribe. The same happened to the case of Shri Patnaik in Orissa. The C. B. I. report on him should be given to the Government of Orissa. The report of the police against Congress leaders of Delhi should be given to the Delhi Administration so that appropriate action in the matter might be taken against those people.

The Ministers should be of high moral character. You spent Rs. 87 lakh on the staff of Vigilance Department in 1965-67 and yet there is not end to corruption. Unless and until yon set an example whether one may be a Congressman or a Jan Sanghi, you cannot end corruption. There should be open trial of the corrupt people.

There is one more way of corruption. The sons and relatives of the politicians are employed at high salaries ranging even upto Rs. 500/- p. m, in private firms although they may not be fit even to get a salary of Rs.150/-p.m. This type of corruption should also end.

I want the Government to think about all these matters and bring a comprehensive bill,

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : इस विधेयक के बारे में सदस्य महोदय ने भिन्न-भिन्न प्रकार के तर्क दिये हैं और यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक समाप्त होनी चाहिए । परन्तु मै समझता हूं कि इस अवसर पर हमें इस विधेयक को एक और दृष्टि से देखना चाहिए ।

यहां एक प्रयास यह किया जा रहा है कि एक गलती 1964 के विधेयक में हो गई जब यह विधेयक यहां पास हुआ था । क्या यह भूल थी ? क्या यह नजर अन्दाजी थी अथवा जिन्होंने वह विधेयक बनाया था इन्हें अपने दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास था । यह संशोधन सम्बन्धी विधेयक सरकार को उन मामलों से बचाना चाहती है जो अदालतों में पड़े हैं । क्योंकि वहां अधिकारी एक त्रुटि के कारण बच सकते हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह त्रुटि जिसे पंजाब उच्च न्यायालय ने बताई है वह भूल के कारण हुई अथवा जानबूझ कर की गई । इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता । इसलिए मैं इस विधेयक को इस दृष्टि से देखना चाहता हूँ ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरे मित्र श्री लोबो प्रभु ने इस चर्चा का स्तर ऊंचा उठा और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ । वह न विधेयक पर बोले बल्कि सारे भ्रष्टाचार पर ही बोले । यह भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक हैं और इस कारण इसमें भ्रष्टाचार पर चर्चा होना स्वाभाविक है ।

मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक की परिधी के क्षेत्र में मन्त्रियों को भी शामिल कर लिया है । मैं श्री रणधीर सिंह से सहमत हूं कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार आज घर कर गया है । यह यहां हर चीज में विद्यमान है । यदि दिल्ली में आपको अपना नया बनाया मकान नियमित रूप से ठीक करार करवाना है तो आपको केवल 200 रु० देने होंगे । यदि किसी अध्यापक को अपनी बदली करवानी हो अथवा अपनी पदोन्नति करवानी है तो रिश्वत देनी होगी । मुझे पता है कि हमारे गृह-कार्य मंत्री एक भले व्यक्ति हैं परन्तु यदि उन्हें भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए छुरा भी लेना पड़े ताकि ठीक आपरेशन हो तो उन्हें वह भी करना चाहिए ।

श्री लोबो प्रभु ने कहा कि हम 713 करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र के कारखानों में व्यय कर रहे हैं और यह परमिट, लाईसेंस का राज्य है । मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि संसार में कोई भी ऐसा राष्ट्र है चाहे वह लोकतन्त्र हो अथवा वहाँ तानाशाही हो, जहां थोड़ा बहुत लाईसेंसों का प्रबन्ध अथवा कार्य नहीं है ? यह तो रूस में भी मौजूद है और वहां इसे 'ब्लाट' कहते हैं ।

भ्रष्टचार के मामले में आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास आधा दर्जन व्यक्ति ड्राईवर की भर्ती के लिए आये और उन सब के पास प्रमाणपत्र तथा लाईसेंस थे परन्तु उनमें से कोई भी व्यक्ति मेरी गाड़ी 'गैरिज' से बाहर नहीं ला सका । ऐसे ही आप दिल्ली की किसी भी क्लब में चले जाइये वहां आपको हर प्रकार का भ्रष्टाचार मिलेगा । इस भ्रष्टाचार को हम सब को मिलकर समाप्त करना होगा ।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है। मेरे मित्र श्री लोबो प्रभु ने भ्रष्टाचार के बारे में बड़े भेद खोले हैं।

मंत्री महोदय ने कहा कि इस विधेयक में मंत्रियों को भी शामिल कर लिया है। हम सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। परन्तु हमें स्वयं भी इससे ऊपर उठना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस विधेयक पर न केवल केन्द्रीय मंत्रिगण बल्कि राज्यों के मंत्री, संसद सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल करने चाहिये ताकि भ्रष्टाचार के आरोप से कोई अपने पद के कारण न बच सके। यह विधेयक केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं होना चाहिये।

निर्वाचन से पूर्व तो दल सत्ता में था उसने करोड़ों रुपया बिड़ला, बजाज तथा अन्य उद्योगपतियों से निर्वाचन के लिए लिया। यह किसने प्राप्त किया। इसका कारण यह था कि जब दल दोबारा सत्ता में आजावे तो उन्हें लाईसेंस आदि दे सकें। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? विधेयक में कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारियों के पास अपनी आय से अधिक धन अथवा सम्पत्ति है तो यह भ्रष्टाचार के कारण है। मैं जानता हूँ कि कितने मंत्रियों पर यह बात लागू की गई है? कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री संजीवैया ने कहा था कि कुछ व्यक्ति सत्ता हाथ आने से पूर्व बिलकुल होते हैं परन्तु सत्ता आने के पश्चात् लखपति और करोड़पति बन जाते हैं। उनके पुत्रों तथा पत्नियों के नाम और अन्य सम्बन्धियों के नाम बहुत धन जमा होता है। इसलिए इस प्रकार का भ्रष्टाचार भी समाप्त होना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे एक व्यापक विधेयक लायें जिसमें वे सुझाव भी हों जो सदस्यों ने दिये हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : यदि सरकार भ्रष्टाचार का अन्त करना चाहती हो तो उसे शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये, मंत्री महोदय ने कहा है कि मंत्री भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु मेरे विचार में यह ठीक नहीं है? केवल यह कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि यह विधेयक मंत्रियों पर भी लागू होता है। उसके लिये सरकार को शीघ्र ही संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसे संशोधन के पश्चात मूल अधिनियम में और भी कई संशोधन रखने होंगे।

मैं श्री कुंटे तथा श्री कृष्णमूर्ति के साथ उनके इस विचार से सहमत हूं कि सविधान की दृष्टि से इस विधेयक में कुछ कठिनाइयाँ हैं। प्रस्तुत विधेयक का प्रयोजन अपराध की पूर्वकल्पना को भूतलक्षी प्रभाव देना है। ऐसा करना संविधान के प्रतिकूल है। इस मामले में मंत्री महोदय को सभा को संतुष्ट करना होगा।

मैं यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार का पूर्णतया उन्मूलन नहीं किया जा सकता। परन्तु निश्चय ही हम उसे कम कर सकते हैं भ्रष्टाचार के उन्मूलन के हम सभी इच्छुक हैं। परन्तु वास्तविक भ्रष्टाचार तो राजनैतिक भ्रष्टाचार है जिसे वर्तमान भ्रष्टाचार निरोध विधियों से नहीं रोका जा सकता। हमें एक ऐसा व्यापक विधेयक तैयार करना चाहिये जो राजनैतिक भ्रष्टाचार समाप्त करने में समर्थ हो और जिससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सके।

श्री शंकरानन्द (चिकोड़ी) : श्रीमान, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। विधेयक के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध बोलने की बजाय माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के बारे में बोलते रहे हैं जिसका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक का आशय यह है कि 1964 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निलम्बित मामलों से सम्बन्धित परिकल्पना को प्रभावी बनाया जाये। विधि में त्रुटि होने के कारण अपराधियों के बन जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी त्रुटियों को दूर करना होगा। विधेयक का प्रयोजन यही है। इसलिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

सभा का प्रत्येक सदस्य यह चाहता है कि प्रत्येक दोषी को दंड मिले। इसलिए, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में असंगत बातें कहने की बजाय उन्हें इस विधेयक का पूर्ण समर्थन रखना चाहिये। किसी भी सदस्य ने इस विधेयक के विरुद्ध कोई बात नहीं कही है।

Shri Rabi Ray (Puri) : This Bill is not comprehensive. This Bill does not cover the Ministers and millionaires. It only covers the Government servants. The Ministers, the millionaires and the bureaucrats are exploiting the people. If you overlook this fact, you will not be able to check corruption. Mahatma Gandhi had inculcated the habit of simple living amongst the officers but they have again reverted to the officers but they have again reverted to luxurious life during Nehru regime. The Minister of Home Affairs, Shri Chavan, refused to hold an enquiry into corruption by Ministers. The Central Government has refused to give a copy of the report of C. B. I. to Orissa Government.

[**श्री मनोहरन पीठासीन हुये**
Shri Manoharan *in the Chair*]

If we want to eradicate corruption, it is necessary that the Ministers should themselves set an example of good conduct but the fact is that they are themselves indulging in wastage of Government money. There should be a limit to the expenditure incurred by them. Unless and untill that is done, the corruption would go on increasing. We should start an agitation to put an end to the luxurious life being led by Ministers, bureaucrats and millionaires.

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा (जम्मू) : पहले की तरह इस बार भी सरकार का अभिप्राय स्पष्ट है। सरकार देश से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये गम्भीर प्रयत्न कर रही है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हम कितने अधिनियम पारित करते हैं। जब तक विधियों के निष्पादन के सच्चे प्रभुत्व नहीं किये जाते तब तक देश में भ्रष्टाचार का वर्तमान वातावरण बदलना सम्भव नहीं है।

भ्रष्ट अधिकारी बहुत चतुर होता है। उसे पकड़ा जाने पर जब उसके विरुद्ध जांच की जाती है तो वह इतना प्रभावशाली होता है कि जांच समिति के समक्ष सभी प्रकार के साक्ष्य गढ़ सकता है। अन्त में उसे छोड़ दिया जाता है और जांच के दौरान हजारों रुपये का शेष वेतन उसे दे दिया जाता है, अतः जहां कहीं भी त्रुटि हो, सरकार को उसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हमें भ्रष्टाचार के बारे में सरल किन्तु व्यापक विधेयक लाना चाहिये। विधान जितना अधिक जटिल तथा गोलमोल होगा, भ्रष्टाचार दूर करने में उतनी ही अधिक कठिनाइयां होंगी।

श्री लोबो प्रभु ने बड़े जोश से तथा बलपूर्वक कहा है कि सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। परन्तु लाइसेंस लेने वाले गैर सरकारी लोग होते हैं और सरकारी प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवन में भ्रष्ट तरीकों को प्रोत्साहन देने के लिये गैर-सरकारी लोग उत्तरदायी हैं। वास्तविकता तो यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत भ्रष्टाचार है।

देश के समक्ष जांच आयोगों के जो प्रतिवेदन रखे गये हैं, उनके आधार पर उन सभी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये जो भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं। इस सम्बन्ध में केवल सरकार की तथा सत्तारुढ़ दल की जिम्मेवारी नहीं है। जब तक सभी राजनैतिक दल तथा व्यक्ति मिलकर प्रयत्न नहीं करेंगे हम इस सम्बन्ध में उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I support this Bill. Any measure to eradicate corruption, however incomplete it may be, must be supported. It can be of any use only when it is implemented seriously.

Corruption is so rampant that no department has remained unaffected. Even the Congress Members like Shri Randhir Singh and Shri Sharma has censured their own Government for the same. The Government had sufficient powers to deal with corruption but they have failed to take action. No action was taken against Shri Shanti Prasad Jain. Sahu-Jain or Shri Birla inspite of the strictures passed by Vivian Bose Commission. The firm of M/s. Amin Chand Pyare Lal was black listed by S. Swaran Singh in October and it was removed from that list three months thereafter.

The officers indulge in many irregularities at the instance of Ministers. It is not clear from the amendment whether the Ministers are included in it or not. If the Government is really interested in wiping out corruption. I will support any bill brought forward in this connection, however stringent it may be.

Shri Sheo Narain (Basti) : I support this amending Bill. It is the Congress Government at the Centre which has introduced this Bill. There are nine non-Congress Governments in the States. What have they done in this connection ? I would request the Government to bring forward a comprehensive bill.

There is no doubt about it that we are determined to find out a solution to the problem of corruption. No person guilty of corruption will be left scot free, no matter how high office he might be occupying, The law should be applied universally. The Anti Corruption Bill should be without any lacuma so that the problem of corruption could be solved.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Depu y-Speaker *in the Chair* }

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैं भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जब तक सत्तारुढ़ व्यक्ति स्वय ईमानदार नहीं होंगे तब तक इन विधियों से कोई लाभ नहीं होगा। दुर्भाग्य से उच्च पदों पर आसीन अफसर तथा देश के शासक अर्थात कांग्रेसी इसके लिये जिम्मेवार हैं। यह सिद्ध हो गया है कि कई मंत्री भ्रष्ट हैं।

भ्रष्टाचार राज्यों के प्रशासन तथा केन्द्रीय प्रशासन के कई क्षेत्रों में फैला हुआ है, सन्थानम् समिति ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये थे। परन्तु कांग्रेस सरकार ने इनमें से कितने सिद्धान्त क्रियान्वित किये हैं।

देश में भ्रष्टाचार ऐसे तरीके से प्रविष्ट हुआ है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

गृह-कार्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप लगायेगा तो सरकार उसकी जांच करेगी। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि श्री जी० वी० हालीकेरी ने जब वह खादी बोर्ड के चेयरमैन थे 40 लाख रुपये की गड़बड़ी की थी, श्री जी० वी० हालीकेरी अब मैसूर कांग्रेस के उप-प्रधान हैं। इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैसूर के वर्तमान मुख्य मंत्री के विरुद्ध 22 गम्भीर आरोप लगाये गये हैं परन्तु उनके विरुद्ध भी कोई जांच नहीं की गई है। वास्तव में सरकार द्वारा संथानम् समिति द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निर्धारित किये गये सिद्धान्तों पर कार्य नहीं किया गया है। जब तक इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाता लोकतन्त्र एक हास्यस्पद वस्तु बन कर रह जायेगी और देश की सम्पत्ति में गड़बड़ी करते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।

श्री क० लकप्पा : मुझे केवल एक बात और कहनी है और यहकि जब हमने राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को आरोप पत्र दिया तो प्रधान मंत्री ने कहा कि वह इसकी उप-समिति को सौंप देंगे। उप-समिति ने कहा कि इसमें कोई भी आरोप नहीं है और मामला समाप्त कर दिया। जांच के सिद्धान्त किन सिद्धान्तों पर अमल किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री क० लकप्पा : हमारे यहां जांच अधिनियम है। मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : महोदय **

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य चर्चा 2½ घंटे का निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अब आचार्य कृपलानी तथा अन्य कई सदस्यों ने मुझे लिखा है कि वह भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ा दिया जाये।

**कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री हो॰ ना॰ मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : हमारे दल के वक्ता को नहीं बताया गया है जबकि वास्तव में हमारी बारी बहुत पहले आगई थी। इस प्रकार से चर्चा नहीं चल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि प्रत्येक माननीय सदस्य अपने भाषण को दो अथवा तीन मिनटों तक सीमित रखे तो कुछ अन्य सदस्यों को भी अवसर दिया जा सकता है।

श्री वासुदेवन नायर (पीरपाडे) : कई मुख्य दलों को बोलने का अवसर नहीं दिया गया यद्यपि उनका अवसर पहले आ गया था। अब आप दो अथवा तीन मिनट लेने के लिए कह रहे है। यह अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय को आधे घंटे के लिए बता दूंगा। प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट दिये जायेंगे।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Although the amendment in the Bill is a minor one, but it is an important one. It will help in removing the fallacy. The present is that knowing well that a particular officer has accumulated huge wealth no action can be taken against him under the law. After the introduction of this amendment the officer will have to prove that the wealth accummulated by him has not been earned by unfair means.

Presentation of the present Bill is a clear proof that the Government is sincere in removing the existed lacuno which was not left deliberately.

There are three aspects of the corruption i. e. Social, Administrative and Political. Capitalists are mainly responsible for this sort of corruption. They will not hesitate to adopt even the most hatred method for having their own way. Private Sector should be curbed to avoid the corruption in the society. In political field politicians should put up examples of honesty.

श्री धीरेश्वर कलित (गोहाटी) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु इसको इतना व्यापक नहीं बनाया गया है कि यह मंत्रियों आदि पर लागू हो सके जोकि देश में सबसे अधिक भ्रष्ट हैं।

गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मंत्रियों को भी इस संशोधन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जायेगा। मेरे विचार में इस विधेयक को इसलिए लाया है कि न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में अधिकारियों को छूट जाने की आशंका है तथा डर है कि सरकार प्रतिकर के अलावा बकाया वेतन आदि भी उन अधिकारियों को देना पड़ेगा।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

इस विधेयक को और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिए जिससे कि ऐसे लोग भी इसके क्षेत्राधिकार में आ सकें जो धन जमा करने के पश्चात राजनतिक सेवा में शामिल होकर भारत से बाहर चले जाते हैं।

अशोका होटल में रिवालविंग रेस्टोरेन्ट बनाने के बारे में भी आसाधारण प्रक्रिया अपनाई गई है, श्री ओंकार लाल बेरवा के सीधे प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दिया गया है। इससे लोगों के दिल में सन्देह उत्पन्न होगा। भ्रष्टाचार के सभी स्रोत बन्द कर दिये जाने चाहिए। इसके लिये व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।

आसाम को केन्द्र द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दिये गये लोहे के पाइपों को बड़े बड़े व्यापारियों में वितरित कर दिया गया था। उनको कृषि के लिए बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। इस बार आसाम एसम्बली में बात उठाई गई तो एक आयोग नियुक्त किया गया था। परन्तु उस आयोग के प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री वी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां यह कहा गया है कि एक मंत्री भी सार्वजनिक सेवक है। मैं इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अधिनियम में दी गई परिभाषा अथवा माननीय मंत्री द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य लागू होता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत मंत्री नहीं आते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट कर दूंगा।

Shri J. B. Kripalani (Guna) : The amendment is a step in the right direction. There was a ban in Madhya Pradesh on the export of the grain· This ban was lifted for few days and a trader was allowed to export the grain to other States. Again the ban was imposed. I would request hon. Minister to appoint an Inquiry Committee to look into the matter.

अध्यक्ष महोदय : इस समय पांच बजने वाले हैं। माननीय मंत्री चर्चा का कल उत्तर देंगे।

अब वैदेशिक कार्य मंत्री चीन में स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों से हुए व्यवहार सम्बन्धी नवीनतम स्थिती के बारे में वक्तव्य देंगे।

चीन में भारतीय राजनयिकों से किये गये बर्ताव के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: TREATMEMENT WETED OUT TO INDIAN DIPLOMATE IN CHINA

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : पेकिंग में लाल रक्षकों द्वारा हमारे राजनयिकों के साथ किये गये अपमानजनक व्यवहार के समाचार से समूचे विश्व को धक्का लगा है। हवाई अड्डे पर श्री रघुनाथ पर आक्रमण किया गया तथा उनको चांटा मारा गया। उनकी ऐनक तोड़ दी गई तथा कहा जाता है कि उनके चेहरे से रक्त बह रहा था। श्री विजय जिनको केवल अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया गया था और जो चीन का क्षेत्र छोड़े जाने तक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजनयिक के सभी विशेषाधिकारों के हकदार थे, को एक घंटे

तक परेड कराई गई तथा अपमानित किया गया । हमारे प्रथम सचिव को लाल रक्षकों द्वारा सिर झुकाने के लिए बाध्य किया गया, हालांकि उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था । इसके पश्चात लाल रक्षक अनुशासित युद्ध-समूह का मार्च करते हुए बाहर चले गये । इससे यह सिद्ध होता है कि यह सब सोची समझी योजना के अनुसार किया गया । आशा है कि शाम तक अथवा कल प्रातः तक पूरी रिपोर्ट मिल जायेगी

कैन्टन में श्री रघुनाथ को हवाई अड्डे के चारों ओर घुमाया गया तथा उनको एक खुले ट्रक में नगर में ले जाया गया । उनके साथ सांस्कृतिक क्रान्ति के शिकार बन जाने वाले लोगों-जैसा सलूक किया गया अर्थात, उन पर जूते फेंके गये, उन पर थूका गया, और छोटी छोटी लाठियों से प्रहार किया गया । इससे उनके शरीर पर निशान बन गये, जिससे उनको बहुत कष्ट हो रहा है । अभी तक कैन्टन में विजय को कुछ भी नहीं कहा गया । परन्तु उनके विरुद्ध नारे आदि लगाये गये हैं ।

लगभग तीन घंटे पूर्व यह सूचना मिली थी कि श्री रघुनाथ तथा विजय हांगकांग पहुँच गये हैं । एक घंटा पहले हमने टेलीफोन पर हांगकांग स्थित अपने आयुक्त तथा स्वयं श्री रघुनाथ से बातचीत की थी । यद्यपि शारीरिक दृष्टिकोण से वे दोनों स्वस्थ नहीं थे तथापि उनका साहस ज्यों का त्यों बना हुआ है । उनके शनिवार को भारत लौट आने की सम्भावना है ।.

पेकिंग स्थित अपने दूतावास से हम पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कि आज शाम तथा कल प्रातः तक मिल जायेगी । चीन सरकार ने कूटनीतिक परम्परा के साधारण नियमों का उल्लंघन किया है तथा हमारे कार्यवाही राजदूत को दिये गये वचनों को भी भंग किया है । यात्रा के समय श्री रघुनाथ के साथ जारहे अधिकारी श्री राव को उनसे बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई । हमारे अधिकारियों का अपमान करने के लिए ही उनके कैन्टन में रातभर ठहरने की योजना बनाई गई थी । अत : चीन सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वह केवल सभ्यता के सिद्धान्तों की ही परवाह नहीं करते बल्कि अपने वचनों को पूरा करने के अयोग्य हैं ।

भारत में हाल के निर्वाचनों में विदेशी धन के तथाकथित प्रयोग के बारे में नियम १९३ के अन्तर्गत चर्चा

DISCUSSION UNDER RULE 193 RE: ALLEGED USE OF FOREIGN FUNDS TO THE RECENT ELECTION IN INDIA

अध्यक्ष महोदय : अब हम सी. आई.ए. तथा अन्य विदेशी अभिकरणों द्वारा चुनाव के लिए दी गई निधियों के बारे में चर्चा करेंगे ।

श्री बाकरअली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : यह मामला सुबह उठाया गया था तथा गृह-कार्य मंत्री ने एक वक्तव्य भी दिया था । यदि उन्होंने यह कहा था कि रिपोर्ट कहती है कि आरोप आधारहीन है तब मामला अलग है । इस सभा के अन्दर तथा बाहर भी आरोप लगाये गये हैं ।

इस अवस्था में वाद-विवाद का अर्थ एक दूसरे पर कीचड़ उछालना होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर विचार कर लेने के बाद ही इस पर यहां चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : सब पहलूओं पर विचार करने के बाद ही ऐसा करने का निर्णय किया गया है।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : यह मामला एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

कुछ समय से इन आरोपों के बारे में सुनने में आ रहा था कि विदेशी शक्तियां, विदेशी दूतावास तथा सी. आई. ए. द्वारा हमारे राजनैतिक आन्दोलनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब यह बात इतनी फैल गई है कि इस बारे में कुछ करना आवश्यक हो गया है। लोगों का विश्वास हो गया है कि इस बारे में जो समाचार आ रहे हैं वह ठीक ही है, क्योंकि सरकार सी. आई. ए. की गतिविधियों का खण्डन नहीं कर रही है।

आज सुबह सभा में लगभग $2\frac{1}{2}$ घंटे तक भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई ऐसा लगता था जैसे समूचा वातावरण ही भ्रष्ट हो और कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट न हो। परंतु यह सबसे खतरनाक बात है कि राजनैतिक दलों, जिनको जनता की समृद्धि तथा कल्याण का संरक्षक समझा जाता है, पर ऐसे आरोप लगाये जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि कौन सा दल धन ले रहा है परन्तु एक बात सच है कि लोगों को विश्वास हो गया है कि विदेशों द्वारा हमारे लोकतन्त्र को क्षति पहुंचाई जा रही है।

हम जानते हैं कि किस प्रकार पश्चिम एशिया में विदेशी धन ने अपना प्रभाव दिखाया है। मुझे डर है कि यहां भी ऐसा ही होने वाला है।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि चीन के आक्रमण के दौरान कुछ दलों, और ग्रुपों द्वारा हमारे देश की प्रभूता को क्षति पहुंचाने के लिए कार्य किया गया था। मेरा किसी राजनैतिक पार्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु, मुझे देश की प्रभुता तथा लोकतन्त्रीय-आधारों के बारे में चिन्ता है। अब समय आगया है जबकि सभी राजनैतिक दलों को मिलकर ऐसी बातों को सदैव के लिए खत्म करें।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है ये आरोप बिल्कुल झूठा है। हमने चुनाव निधि के लिए देश से ही अपने मित्रों तथा समर्थकों से धन एकत्र किया था। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम इस बात के लिए तैयार हैं तथा अनुरोध करते हैं कि इस मामले की जांच कराई जाये ताकि तथ्य का पता लग सके।

मुझे प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्री ने सरकारी पक्ष में किसी द्वारा किये गये रहस्योद्घाटन को निराधार तथा झूठा बताया है। परन्तु इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। जिसने भी ऐसा किया है उसने न तो देश की ओर न ही सरकार की कोई सेवा की है। ऐसा पहली बार नहीं किया गया है। गृह-कार्य मंत्री को इस बात का पता लगाना चाहिए कि इस रहस्योद्घाटन के लिये कौन जिम्मेदार हैं।

इस बारे में मेरे दो सुझाव हैं। एक तो यह कि सरकार को अपने निष्कर्षों सहित इस प्रतिवेदन को प्रकाशित कर देना चाहिए क्योंकि मेरे विचार में इसको प्रकाशित न करने से अधिक क्षति होगी। इस मामले को चर्चा के लिए जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब सरकार अपनी प्रारम्भिक जांच पूरी करले तो उसको एक उचित न्यायाधिकरण स्थापित करना चाहिए। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा उसी के रुतबे के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। हमारे चुनाव में विदेशी धन के सम्भावित उपयोग के बारे में सार्वजनिक जांच की जानी चाहिए। उचित सुनवाई के पश्चात न्यायाधिकरण को अपने निष्कर्ष बताने चाहिए। इस देश में यदि कोई दोषी है तो उसको बताना चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों के सम्मान को बचाया जाना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पहले लोकतन्त्र में लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हमारा लोकतन्त्र शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रतिवेदन तथा निष्कर्षों का यथासम्भव प्रचार किया जाये।

Shri Balraj Madhok (South-Delhi) : This matter is being discussed in the country for the past few years. Actually the day we started getting foreign aid and started making payments in rupee, this question became the subject matter of discussions. The countries to whom we make rupee payments do not take away the money instead they use that money for sabotaging our social, political and economic life. We have demanded many times through the resolutions that a probe may be made in this matter. But nothing has been done in this regard so far. I therefore support the suggestion made by Shri Masani that a Tribunal may be set up to see if there is any guilty people in this country. Its report should be published.

Anybody who has done this mischief has done a great harm not only to the opposition parties but to the country as a whole. He has down graded the nation in the eyes of other nations. I would therefore suggest that Government should not hesitate in starting the enquiry into the matter.

We should learn to depend on our own resources instead of depending on the foreign aid which is the main root of the corruption.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है हमने किसी देश से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं ली है। यह आरोप कि साम्यवादी देशों के दूतावासों ने वामपंथी दलों की सहायता की है, बिल्कुल झूठा है। सी० आई० ए० एक बहुत ही बदनाम संगठन है और विभिन्न देशों में यह तोड़-फोड़ जहां तक कि सरकारों को बनाने अथवा मिटाने का भी काम करती है।

इस बात को सभी जानते हैं कि चुनाव के दौरान सी० आई० ए० के धन का प्रयोग किया गया है। मैंने स्वयं कलकत्ता में अपने निर्वाचन क्षेत्र में सुना था कि मेरे विरुद्ध सी० आई० ए० के धन का प्रयोग किया गया है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है, परंतु इस सारे मामले में जांच की जानी चाहिए।

यह बहुत अच्छी बात है कि देश के सभी दलों ने इस बात का खण्डन किया है कि किसी ने भी बाहर से सहायता ली है। जैसा श्री मसानी ने कहा कि इस मामले को संसदीय तथा न्यायिक

जाँच होनी चाहिए। परन्तु जांच उचित ढंग से होनी चाहिए जिससे कि तथ्यों का पता लग सके।

जहां तक हमारा चुनाव में भाग लेने का सम्बन्ध है हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वे न केवल मत से बल्कि धन, समय तथा श्रम से भी हमारी सहायता करें, हमारा चुनाव व्यय न्यूनतम है। हम चुनाव जीतने के लिए न तो धन व्यय करते हैं और न ही लोगों पर अपनी शक्ति का दबाव डालते हैं। हम वहीं पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं जहां हमें सार्वजनिक समर्थन मिलने की आशा होती है। हम लोगों में पानी तथा मछली की तरह मिलकर काम करते हैं। यही कारण है कि हम चुनाव में विजयी हुए हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I support the suggestion that an investigation should be made in this matter either through a Parliamentary Committee on through a tribunal. The report of the investigation should be published.

This is a very old matter About ten years back the present Prime Minister made an allegation in a speech that some political parties are getting monetary help from foreign countries. Although she denied afterwards that she had not said that yet the fact remains that this is a old matter.

The allegation have been made by the Government to weaken the opposition parties. Although the allegations have been repeated but the Government never agreed to conduct an enquiry. If there are any secrets reports with the Government it should hold and proper enquiry. If on the other hand the Government do not have any proof of the allegations made it should leave the habit of throwing mad at the othrrs.

Although there is a provision in the Constitution for free and fair elections-and a ban on the expenditure to be incurred on the electors, the last elections of the country were neither fair not free. It may be due to the prevailing social and economic evils of the country. If the foreign money allowed to pour in and interfere in an election's the democracy in the country will meet its down.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : यद्यपि कुछ समय से देश में विदेशी धन के प्रयोग के बारे में विश्वास नहीं किया जाता रहा है तथापि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 'न्यूयार्क' में छपे इस समाचार से हम इतने अक्षुब्ध हो उठे हैं। मेरे विचार में यह राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि सरकार इस मामले की जांच करे। देश में प्रभुत्ता तथा स्वतन्त्रता के लिए सरकार को सभी सम्भव कदम उठाने चाहिए।

अमरीका और रूस दो शक्तिशाली देश हैं और यदि वे भारत को छोटे छोटे देशों में बांटने का यत्न करें तो यह कोई नई बात नहीं होगी। अमरीका ने चीन में चियागं-काई-शेक को महायता दी तथा जापान से मंचूरिया पर आक्रमण करवाया। इसी प्रकार रूस ने चीन को अपने से दूर रखने के लिए बाह्य मंगोलिया को अपने कब्जे में किया। इसलिए इन शक्तियों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। हमें आपस में मिल बैठ कर अपने भेद-भाव मिटाने चाहिए। प्रस्तावित जांच समिति के निष्कर्ष चाहे कुछ भी हो परन्तु ऐसे नहीं होने चाहिए जिनसे हमारे देश तथा लोगों पर कलंक लगे। हमें विश्व को बता देना चाहिए कि हमने अमरीका, रूस तथा अन्य किसी देश से चुनाव के लिए धन नहीं लिया है।

श्री उमानाथ (पद्दूकोटं) : मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रकार की चर्चा यहां हो रही है। गत कई वर्षों से हमारे उपर यह आरोप लगाया जाता रहा कि हम विदेशों से धन लेते हैं परन्तु आज सभी दल इस आरोप की लपेट में आ गये हैं। हमने सदा हमारे उपर लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है।

जहां तक रिपोर्ट के रहस्योद्घाटन का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। चाहे कोई इस बारे में मेरे साथ सहमत हो अथवा न परन्तु यह सच है कि राजनैतिक उद्देश्य के हेतु गृह-मंत्रालय से किसी ने इस रिपोर्ट का रहस्योद्घाटन किया है। इसका एक आशय यह भी हो सकता है कि विरोधी दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालें तथा राज्यों में जो गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं उनमें फूट पड़ जाये। इसलिए जहां तक गृह-मंत्रालय का सम्बन्ध है सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सी. आई. ए. की गतिविधियों पर आधे घंटे की चर्चा के दौरान हमने एक उच्च शक्ति वाली आयोग नियुक्त करने की मांग की थी। श्री चागला ने कहा था कि वह इस मामले को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखेंगे और मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात यदि आवश्यक हुआ तो वह सभा को इस बारे में बतायेंगे। परन्तु इसकी बजाये हमें पता चला है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस मामले को मंत्रिमण्डलीय समिति के समक्ष रखा गया है अथवा नहीं।

जहां तक सी. आई. ए का सम्बन्ध इसकी पहुंच सरकार के बहुत महत्वपूर्ण स्त्रोतों तक है। अमरीका की एक पत्रिका 'रेमपर्ट' में यह छपा है कि सी. आई. ए. में परियोजनाओं के उपनिदेशक नामक एक विभाग है। इस विभाग की गतिविधियों का पता कुछ इन परियोजनाओं से लगाया जा सकता, जिसमें वह व्यस्त है। ऐसी ही एक परियोजना के अन्तर्गत नेपाल के महाराजा के घरेलू सुरक्षा दल को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे देश तथा हमारी सरकार ने कई अमरीका एजेन्सियों के साथ विकास की गतिविधियों के बारे में करार कर रखे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें सी. आई. ए. के एजेन्ट सम्मिलित नहीं होंगे।

इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली स्थिति को हमें अच्छी प्रकार समझना चाहिए चाहे हम किसी भी राजनैतिक दल के क्यों न हों। इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह इतना गम्भीर मामला है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि कोई इस रिपोर्ट को पढ़े तो पता लगेगा कि समूचे राष्ट्र पर कीचड़ उछाला गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ, सोच समझकर हमारे लोकतन्त्रीय विकास को क्षति पहुंचाने के लिए यह चाल चली गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस बुराई को समाप्त करने का यत्न करें।

यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन हमारे सब के विरुद्ध है तो सरकार को प्रमाण सहित बताना चाहिए कि वह क्या है। मेरे विचार में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को गुप्त समझना आवश्यक नहीं है। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पहले प्रकट हुई

रिपोर्ट तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन में कुछ समानता है अथवा नहीं, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है कि गृह-कार्य मंत्रालय क्या प्रधान मंत्री के सचिवालय से यह प्रकट हुई है तथा उनके अधिकारी इसमें अन्तरग्रस्त हैं।

बात केवल यह नहीं है कि चुनाव के लिए कोई राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति किसी से धन ले रहा है अथवा नहीं बल्कि प्रश्न यह है कि क्या देश में राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन कोई भाग अदा कर रहा है ?

जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है हमें इस बारे में किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम जानते है कि हम किन कठिनाइयों में इस देश में अपना कार्य कर रहे हैं क्योंकि हम किसी प्रकार के किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से अपने दल को सम्बन्धित करना नहीं चाहते। हमारा दल एक राष्ट्रवादी दल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि न केवल इस मामले की जांच के लिए बल्कि राजनैतिक दलों के धन के स्त्रोतों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त किया जाये।

हम देश में लोकतंत्र तथा उचित परम्पराओं का विकास चाहते हैं। चाहे कुछ भी विचार धारा क्यों न हो हम विदेशी दबाव अथवा हस्तक्षेप नहीं चाहते। यदि माननीय मंत्री को यह पता लगे कि कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो हम मंत्री महोदय को इससे निपटने के लिए उचित शक्ति देने को तैयार हैं। हम सब को एकमत होकर यह घोषणा करनी चाहिए कि इस प्रकार की निन्दा से भरपुर आक्षेप करने वाले लोकतंत्र के शत्रु हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस प्रकार इस मामले पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। यद्यपि गत कुछ दिनों से यह प्रतिवेदन मेरे पास है तथापि काम में व्यस्त होने के कारण मैं इसका एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ सका हूँ। जिन लोगों ने इस रिपोर्ट को पढ़ा है उन्होंने मुझे बताया कि यह रिपोर्ट एक कल्पना मात्र है।

इस बात का पता लगाना कि यह रिपोर्ट किसने दी, आवश्यक है। आज सुबह मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को इस बात का पता लगाने के लिए कहा कि इस रिपोर्ट को प्रकट करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। परन्तु मेरे विचार में यह रहस्योद्घाटन का मामला नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो रिपोर्ट ठीक ठीक होती। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी ने, जो कि हमारे देश का मित्र नहीं है यह चाल चली है। यह किसी एक अथवा दूसरी पार्टी की निन्दा का प्रश्न नहीं है बल्कि इससे समूचे राष्ट्र की निन्दा की गई है।

इसलिए इन समस्याओं के बारे में चर्चा करते समय हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। किसी ने यह कहा है कि गृह-सचिव ने यह रिपोर्ट प्रकट की होगी। मैं इस बात का खण्डन करता हूँ। वह एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी है। तथा इस प्रकार उनकी सद्भावना को चुनोती देना अच्छा नहीं है।

इस सभा, समाचारपत्रों तथा जनता में यह झूठा प्रचार किया गया था कि हमारे आम चुनाव में विदेशी धन का हाथ रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि न केवल आम चुनाव में बल्कि हमारे राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भी विदेशी धन का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए श्री चागला ने जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की बात कही है। उन्हीं की प्रार्थना हमने जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने का निर्णय किया है। जांच ब्यूरो एक विशेष ढंग से इस मामले की जांच कर रहा है। किसी को किसी के बारे में कोई सन्देह नहीं है। जांच ब्यूरो को कुछ स्त्रोतों से भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यदि कोई अविश्वसनीय रिपोर्ट प्रकाशित कर जाये जिसकी जांच भी पूरी न हुई हो तो यह उस व्यक्ति के विरुद्ध अन्याय होगा जिसके विरुद्ध यह प्रतिवेदन होगा। इस लिए जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर उचित विचार विनिमय करना है। रिपोर्ट पर पूरी तरह सावधानी से विचार किया जायगा। इसके अध्ययन में समय लगेगा। यदि कोई गलत प्रवृतियां उत्पन्न हो गई हैं तो उनको बन्द करना होगा। इस जांच के पूरा हो जाने पर यदि राजनैतिक दलों के नेता चाहे तो मैं इस पर उनसे चर्चा करूंगा। इसकी मुख्य मुख्य बातों से सभा को भी अवगत किया जायगा। इस अवस्था में छपे यह विचार करना है कि और आगे क्या कार्यवाही की जा सकती।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री 'न्यूयार्क टाइम्स' के दिल्ली स्थित संवाददाता को बुलाकर स्त्रोत जानने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 16 जून, 1967/26 ज्येष्ठ, 1889 शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, June, 16, 1967 Jyaistha 26, 1889 (Saka)